राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 54

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 3 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जयशंकर बोले, कश्मीर पर बातचीत सिर्फ पाकिस्तान से

>>11

अयोध्या पर सुलह नहीं, सुनवाई से होगा फैसला

बड़ा कदम ▶ सुप्रीम कोर्ट छह अगस्त से रोजाना करेगा सुनवाई, मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद दिए आदेश

जन्मभूमि पर मालिकाना हक के केस की नौ साल से शुरू नहीं हो पा रही सुनवाई

माला दीक्षित, नई दिल्ली

नौ साल से अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रहे रामलला के केस का नंबर आ गया है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट छह अगस्त से मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। शुक्रवार को संविधान पीठ ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद उपरोक्त आदेश दिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। जिसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान रामलला सहित हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को मध्यस्थता पैनल से कहा था कि वह 31 जुलाई तक हुई मध्यस्थता की प्रगति रिपोर्ट दे। पैनल ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी। शुक्रवार को पीठ ने कहा कि कोर्ट को मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उन्होंने रिपोर्ट देखी है। मध्यस्थता प्रक्रिया में विवाद का हल नहीं निकला इसलिए कोर्ट अब मुकदमे की लंबित अपीलों पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले पर छह अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक बहस पूरी न हो जाए।

पहले सुनी जाएगी रामलला की अपील : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई की शुरुआत मूल वाद संख्या तीन और पांच से होगी। मूल वाद संख्या तीन निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा है और मूल वाद संख्या पांच भगवान रामलला विराजमान का मुकदमा है। कोर्ट ने मामले में बहस करने वाले वकीलों और पक्षकारों से आग्रह किया है कि जिन साक्ष्यों और दलीलों यानी केस लॉ आदि को वे अदालत में पेश करने वाले हैं उसके बारे में पहले से बता दें ताकि कोर्ट स्टाफ उसे पेश करने के लिए तैयार रखे।

आप सुनवाई को तैयार रहें, अदालत को न बताएं कि क्या करना चाहिए : राजीव धवन ने कहा कि अपीलों पर सुनवाई शुरू करने से पहले लंबित विभिन्न अर्जियों और रिट याचिकाओं का निपटारा होना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने शुरुआत में कहा था कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। धवन ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की रिट याचिका का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका मुख्य मामले के साथ नहीं सुनी जाएगी, लेकिन उसे अभी लंबित रखा हुआ है। मालूम हो कि स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रामलला की पूजा-अर्चना के मौलिक अधिकार की मांग की है। धवन ने ऐसी ही कुछ और याचिकाओं एवं अर्जियों पर पहले सुनवाई की मांग की। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह इन सब मुद्दों पर बाद में विचार करेंगे, पहले सुनवाई शुरू होगी। लेकिन जब धवन ने बार-बार लंबित अन्य मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट से उन पर पहले विचार करने की मांग जारी रखी तो प्रधान न्यायाधीश ने कुछ नाराजगी जताते हुए धवन से कहा कि कोर्ट स्वयं तय कर लेगा कि उसे इस पर क्या करना है। आप केस के लिए तैयार रहिए और कोर्ट को यह मत बताइए कि उसे क्या करना चाहिए।

पहली अपील में सुनवाई में कटौती नहीं होनी चाहिए : राजीव धवन ने अदालत से कहा कि वह इस मामले में 20 दिन बहस करेंगे। यह पहली अपील पर सुनवाई हो रही है इसलिए अदालत को सुनवाई में कटौती नहीं करनी चाहिए।

फैसले की घड़ी (विशेष) पेज>>5

पहले हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनने का विरोध

मुस्लिम पक्ष जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष असद रसीदी की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने पहले मूल वाद तीन और पांच की अपीलों को सुनने का विरोध करते हुए कहा कि पहले मूलवाद संख्या चार की अपील पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल वाद संख्या चार (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील) को ही ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुख्य मुकदमा माना था। उन्होंने कहा कि इस अपील में हिंदू पक्ष भी प्रतिवादी है। धवन की दलील पर पीठ ने कहा कि इससे क्या अंतर पड़ेगा। आप भी उनकी अपीलों में पक्षकार हैं इसलिए आप तभी अपना पक्ष रख दीजिएगा।

नवंबर तक फैसले की उम्मीद

नई दिल्ली : अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट से नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने कहा है कि पांच जजों की संविधान पीठ छह अगस्त से मामले में रोजाना सुनवाई करेगी। बहस पूरी होने तक सुनवाई जारी रहेगी। पीठ के अध्यक्ष सीजेआइ रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं ऐसे में उम्मीद है कि फैसला इससे पहले आ जाएगा। (पेज-5)

कांग्रेस को झटका, जलियांवाला बाग बिल लोकसभा में पास

नई दिल्ली : जलियांवाला बाग स्मारक संशोधन विधेयक लोकसभा में शुक्रवार को पारित हो गया। नए संशोधित कानून के तहत अब कांग्रेस अध्यक्ष जलियांवाला बाग स्मारक समिति के सदस्य नहीं होंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीते सोमवार को इस आशय का बिल पेश किया था। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन के लिए लाये गये बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए पटेल ने कहा कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है और घटना के सौ साल पूरे होने पर हम स्मारक को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। (पेज-3)

मंत्री ने पद से हटने पर आवास नहीं छोड़ा तो दस हजार रोजाना जुर्माना

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को मंत्रियों के पद से हटने के बाद नियत अवधि में सरकारी निवास खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें दस हजार रुपये रोजाना की दर से जुर्माना चुकाना होगा। इस संबंध में बिल शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया। भाजपा विधायकों ने विधेयक को बेहद कड़ा बताते हुए इसका विरोध किया। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने का मामला भी उठा। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने इसे लेकर प्रतिपक्ष को घेरने की कोशिश की। (पेज-4)

सरोकार

तज आई 'वनवास', कर रहीं कौशल विकास

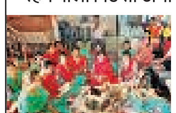

आगरा : नार्थ सिक्किम के हीग्यथांग की रहने वाली पिंटसो डोमा लेपचा आगरा के एक प्रतिष्ठित निजी नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं। पढ़ाने के साथ-साथ वह मास्टर डिग्री लेने की भी तैयारी कर रही हैं। वनवासी क्षेत्र की बौद्ध धर्मावलंबी पिंटसो के इस ख्वाब में रंग भरने का काम कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम। (पेज-13)

जागरण विशेष

धार्मिक एकता की मिसाल हैं दरगाह और मंदिर

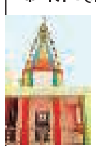

कैथल : हरियाणा में कैथल जिले के पोलड़ गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसकी वजह है मां सरस्वती का मंदिर और शहनशाह नौ गजा पीर की मजार। दोनों एक दूसरे के पूरक बन धार्मिक एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस गांव को रामायणकालीन गांव माना जाता है। इसे हिंदू मुस्लिम आस्था का संगम भी कहा जाता है। (पेज-13)

अंदर पढ़े

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कुलभूषण जाधव से मुलाकात में पाकिस्तान की बंदिश मंजूर नहीं

नई दिल्ली : भारीतय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की भारतीय राजनयिक से मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी प्रस्ताव को भारत ने फिलहाल खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जाधव से राजनयिक की मुलाकात बिना बाधा के अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के आदेश के मुताबिक भय से मुक्त माहौल में होनी चाहिए। ध्यान रहे पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था कि जाधव से भारतीय राजनयिक से भेंट के दौरान उसका भी एक अधिकारी मौजूद रहेगा। (पेज-3)

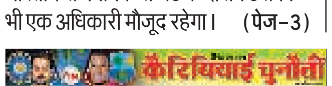

टी-20 सीरीज

वेस्टइंडीज vs भारत

रात 8:00 बजे से

स्थान : लॉडेरहिल, अमेरिका

प्रसारण : सोनी नेटवर्क

बड़े आतंकी हमले की आशंका, अमरनाथ यात्रियों को जल्द लौटने की सलाह

सतर्कता ▶ यात्रा मार्ग से मिले बड़ी संख्या में हथियार, बारूदी सुरंग और स्नाइपर राइफल

अगले कुछ दिनों में कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हो सकता है बड़ा ऑपरेशन

नीलू रंजन, नई दिल्ली

सुरक्षा एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा पर बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश किया है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने तीर्थयात्रियों समेत सभी पर्यटकों को जल्द से जल्द लौटने की सलाह दी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने श्रीनगर में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि किस तरह अमरनाथ यात्रा मार्ग से बड़ी मात्रा में हथियार, आइईडी और स्नाइपर राइफल बरामद की गई हैं। इसमें पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी बारूदी सुरंग (एंटी पर्सन माइन) भी शामिल है जो हमले की साजिश में सीधे पाकिस्तानी सेना के शामिल होने का सुबूत है। वहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि वे पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार, पाकिस्तान पोषित आतंकियों की ओर से अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाकर हमला करने की ठोस खुफिया जानकारी मिल रही थी। इसके बाद अमरनाथ यात्रा के बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्तों के आसपास के इलाकों की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, आइईडी, बारूदी सुरंग के साथ-साथ अमेरिका में बनी स्नाइपर राइफल भी बरामद की गई। अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को तत्काल लौटने की एडवाइजरी जारी करने से साफ हो गया है आतंकी हमले का खतरा फिलहाल टला नहीं है। वैसे नॉर्दन कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने सुरक्षा बलों की ओर से भरोसा दिया, 'कश्मीर में शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। यह कश्मीर और देश के हर नागरिक से हमारा वादा है।' वहीं, दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर नजर रख रहे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान का संकेत दिया।

डोभाल के कश्मीर दौरे के बाद शुरू हुई हलचल : लोकसभा चुनाव के बाद कश्मीर के हालात लगातार सामान्य होते नजर आ रहे थे। यहां तक कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं भी रुकी हुई थीं और अमरनाथ यात्रा भी शांतिपूर्ण तरीके चल रही थी। इसी बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के घाटी दौरे और उसके तत्काल बाद अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने के फैसले से घाटी में कुछ बड़ा होने की अटकलें तेज हो गई थीं। सरकार की सक्रियता से साफ हो गया है कि वह किसी भी स्थिति में आतंकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी।

घाटी में आतंकियों के सफाए से बौखलाया पाकिस्तान : कश्मीर में आतंकियों के सफाए में सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता के बाद पाकिस्तान की बेसब्री बढ़ गई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने और हमले की कोशिश जारी है। कश्मीर पुलिस के आइजी एसपी पाणी के अनुसार पिछले कुछ महीनों में 10 आइईडी हमलों की साजिश नाकाम की गई हैं। इस दौरान आइईडी बनाकर विस्फोट करने वाले पांच मॉड्यूल का पर्दाफाश कर उससे जुड़े कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मुन्ना लाहौरी और फयाज पंजू जैसे आइईडी एक्सपर्ट आतंकियों को मार गिराने में सफलता भी मिली है। वैसे डीजीपी दिलबाग सिंह ने घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले कुछ महीनों में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद के बड़े आतंकियों को मार गिराया गया। अंसार गजवातुल हिंद और अल बदर का लगभग सफाया कर दिया गया है। वहीं, हिजबुल मुजाहिद्दीन को काफी हद तक खत्म करने में सफलता मिली है।

गुलाम कश्मीर में आतंकियों से भरे हैं सभी लांच पैड पेज>>7

श्री अमरनाथ श्रद्धालुओं को लौटने की एडवाइजरी जारी होने के बावजूद जम्मू में यात्रा के आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर में आते श्रद्धालु। जागरण

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के इलाज पर परिवार करेगा फैसला, चाचा को तिहाड़ भेजने का आदेश

▶ परिवार जब चाहेगा तब एम्स में इलाज की व्यवस्था हो जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ स्थित केजीएमसी मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्थानांतरित करने का निर्णय शुक्रवार को पीड़िता के परिवार पर छोड़ दिया। शीर्ष अदालत ने पीड़िता और वकील के परिजनों को इस बात की छूट दी है कि वे जब उचित समझें एम्स में स्थानांतरित करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अदालत ने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को रायबरेली की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह फैसला न्यायमित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि के बयान का संज्ञान लेने के बाद किया। वी. गिरि ने अदालत को बताया कि पीड़िता अभी बेहोश है और वेंटीलेटर पर है। उसके परिजनों की राय है कि फिलहाल लखनऊ के अस्पताल में ही उसका इलाज होने दिया जाए। इस पर पीठ ने साफ कहा कि पीड़िता के परिजन उसे लखनऊ से दिल्ली स्थित एम्स में स्थानांतरित करने के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही पीठ को सड़क दुर्घटना में जख्मी वकील के बारे में भी जानकारी दी गई। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता के वकील को अब वेंटीलेटर से हटा लिया गया है, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी नाजुक है। वकील के पिता उसे दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में अनिर्णय की स्थिति में हैं। इस मामले में अदालत सोमवार को विचार करेगी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 25 लाख रुपये की अंतरिम मुआवजा राशि पीड़िता के परिवार को दी जा चुकी है।

सड़क दुर्घटना का मामला अभी नहीं आएगा दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के वाहन से ट्रक की टक्कर के मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन कर दिया। इस दुर्घटना में दुष्कर्म पीड़िता और उसका वकील बुरी तरह जख्मी है जबकि पीड़िता के दो परिजनों की इसमें मृत्यु हो गई है। पीठ ने सीबीआइ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन का संज्ञान लिया कि रविवार को हुई इस दुर्घटना की जांच जारी है इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, जिसे अदालत ने मान लिया। ज्ञात हो, शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म सहित इससे संबंधित पांचों मामले दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा सीबीआइ को रायबरेली के निकट ट्रक-कार टक्कर की की जांच एक हफ्ते में पूरा करने को कहा था।

सड़क हादसे की जांच के लिए सीबीआइ ने बनाई 20 सदस्यीय टीम पेज>>6

अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में फिसला भारत

▶ विश्व बैंक ने 2018 की रैंकिंग जारी की, भारत 7वें पायदान पर पहुंचा

▶ अमेरिका शीर्ष पर, चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर

नई दिल्ली, जेएनएन : विश्व बैंक की तरफ से जीडीपी के आधार पर जारी 2018 की रैंकिंग में भारत एक पायदान फिसल गया है। अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में छठे स्थान पर विराजमान भारत अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है। 2017 में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए छठे स्थान पर कब्जा जमाया था। 20.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वृद्धि दर में सुस्ती की वजह से रैंकिंग प्रभावित हुई है। 2017 में डॉलर के मुकाबले रुपया तीन फीसद मजबूत हुआ था, लेकिन 2018 में पांच फीसद कमजोर हुआ। 2018-19 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 फीसद रही, जो पांच साल में सबसे कम है। सर्वे के मुताबिक, बीते पांच साल में विकास दर औसत 7.5 फीसद रही। 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल आठ फीसद वृद्धि दर की जरूरत है।

रैंकिंग में शीर्ष 7 देश

रैंकिंग	देश	जीडीपी 2018 (ट्रिलियन डॉलर में)
1	अमेरिका	20.5
2	चीन	13.6
3	जापान	5.0
4	जर्मनी	4.0
5	ब्रिटेन	2.8
6	फ्रांस	2.8
7	भारत	2.7

बदलती तस्वीर

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ हुए और मजबूत, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

हाफिज सईद और दाऊद भी अब घोषित हो सकेंगे आतंकी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ और मजबूत हो गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अब देश के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकेगी। इनमें वे भी शामिल होंगे जो विदेशों में बैठकर देश में आतंकी गतिविधियों को संचालित करते हैं। इनमें हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी शामिल होंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों की संपत्तियां भी अब जब्त की जा सकेंगी।

राज्यसभा ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक (यूएपीए) को मंजूरी दे दी। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून का रूप ले लेगा। विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वह इंसानियत के खिलाफ होता है। ऐसे में सभी दलों को एक स्वर से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहिए। ताकि पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ देश के एकजुट होने का संदेश जाए। इस बीच, विपक्ष विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग पर अड़ा रहा। हालांकि मतदान में प्रस्ताव गिर गया। विरोध के बाद भी कांग्रेस और बसपा ने विधेयक का समर्थन किया।

गृह मंत्री ने इस दौरान विपक्ष की ओर से समझौता एक्सप्रेस के आरोपितों के बरी होने पर सवाल उठाने वालों को कोर्ट का फैसला पढ़ने की नसीहत दी। एनआइए की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दे पाने से वे सभी बरी हुए। साथ ही यह भी साफ किया कि इस मामले का आरोपपत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दाखिल नहीं किया गया था, बल्कि यह 09 अगस्त, 2012 को पेश किया गया था। हमने तो सिर्फ बहस की थी। इसी तरह मक्का मस्जिद मामले में भी हुआ। आरोपपत्र संप्रग सरकार के समय में ही पेश किया गया था। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि पिछली सरकार में किस तरह से आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ा गया था, जबकि उसके असली आरोपित कोई और थे। शाह ने इस दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने एनआइए को दी जा रही शक्तियों की जरूरत पर सवाल खड़ा किया था। शाह ने कहा कि 31 जुलाई, 2019 की स्थिति में एनआइए के मामलों में सजा की दर 91 फीसद है जो दुनिया भर की सभी एजेंसियों में सबसे बेहतर है। एनआइए ने कुल 278 मामले दर्ज किए। 204 में आरोपपत्र दाखिल किया है। 54 मामलों का फैसला आया है, इनमें 48 में सजा हुई है। दूसरे मामलों में भी एनआइए का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। इससे पहले विधेयक पर बोलते हुए चिदंबरम ने कहा कि वह आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इस संशोधन के खिलाफ है। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

चिदंबरम को किया लाजवाब पेज>>3

राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूएपीए पर विपक्ष की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह इंसानियत के खिलाफ है (टीवी ग्रैब)। एएनआइ

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION
LIVE/ONLINE Classes Available
www.visionias.in

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2020
6 Aug | 9 AM

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- निबंध लेखन - शैली, PT 365, Mains 365, सीसैट कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसैट टेस्ट सीरीज

अभ्यास मेन्स 2019
ऑल इंडिया GS मेन्स मॉक टेस्ट (ऑफलाइन)

30 शहरों में
Also in English Medium

GS-I & GS-II 17 अगस्त | GS-III & GS-IV 18 अगस्त

पंजीकरण करें
www.visionias.in/abhyaas

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | COIMBATORE
DEHRADUN | DELHI | GHAZIABAD | GREATER NOIDA | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JAIPUR
JAMMU | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | LUCKNOW | MUMBAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE
RAIPUR | RANCHI | SHIMLA | THIRUVANANTHAPURAM | VARANASI | VISAKHAPATNAM

DELHI
• 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
• 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6,1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9019066066, 9650617807

JAIPUR 9001949244 | PUNE 8007500096 | HYDERABAD 9000104133 | AHMEDABAD 9909447040 | LUCKNOW 8468022022

22 से 26 अगस्त तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। इस दौरान अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, मेट्रो और बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक बिजली के उपभोग के लिए कोई शुल्क नहीं देने जैसे निर्णयों पर चर्चा हो सकती है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 3 अगस्त 2019

डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पतालों में मरीज भगवान भरोसे

बढ़ी मुसीबत ▶ एनएमसी विधेयक का विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर दूसरे दिन भी काम से रहे दूर

सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं रहीं ठप, इमरजेंसी सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित रहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं बंद होने के कारण हाथों में उठाए बीमार महिला को वापस ले जाते उसके परिजन। दिल्ली के 15 हजार रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ध्रुव कुमार

इलाज नहीं होने पर सड़क पर बैठकर यातायात जाम करते मरीजों के परिजन। दो दिन की हड़ताल से ओपीडी में करीब दो लाख मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है। ध्रुव कुमार

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक का विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। बिल में संशोधन की मांग को लेकर फोर्डा (फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन) व एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर लगातार दूसरे दिन भी एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, लोकनायक, जीटीबी सहित दिल्ली में 40 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह से तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरह ठप रही। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित रहीं। मरीज इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकने को मजबूर हुए। इसके अलावा पहले से अस्पतालों में भर्ती मरीजों को देखभाल के लिए भी वार्ड में डॉक्टर मौजूद नहीं थे।

रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठनों के अनुसार करीब 15 हजार रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। इस वजह से दो दिन में ओपीडी में करीब दो लाख मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ है और 6600 से ज्यादा मरीजों की सर्जरी टाली गई।

एम्स में प्रतिदिन करीब 645 मरीजों की सर्जरी व सर्जरी से जुड़ी प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसलिए हड़ताल की सबसे अधिक मार एम्स के मरीजों पर पड़ी। बताया जा रहा है कि यहां दो दिन में करीब 1290 मरीजों की सर्जरी व प्रोसिजर रद किए गए क्योंकि हड़ताल के कारण ऑपरेशन थियेटर बंद रहे।

रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं में भी हड़ताल जारी रखी। हालांकि एम्स सहित सभी अस्पतालों की इमरजेंसी में वरिष्ठ डॉक्टर तैनात थे फिर भी ज्यादातर मरीजों को इलाज के बिना ही लौटना पड़ा।

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ठप रही ओपीडी : दिल्ली सरकार के करीब 34 अस्पताल हैं। इनमें से इहबास, आइएलबीएस (यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान), दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान इन तीन स्वायत्तशासी संस्थानों व एनसी जोशी अस्पताल को छोड़कर करीब 30 अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रही। इन अस्पतालों में वरिष्ठ डॉक्टर भी ओपीडी में ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। दिल्ली सरकार के इन अस्पतालों में ओपीडी में प्रतिदिन करीब 67 हजार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इन अस्पतालों में भी मरीज वापस लौटने को मजबूर हुए।

अस्पतालों से मरीजों की हुई छुट्टी : एम्स, लोकनायक सहित कई अस्पतालों में सैकड़ों मरीजों की छुट्टी कर दी गई। खासतौर पर एम्स में जो मरीज सर्जरी के लिए भर्ती किए गए थे, उन सबको सर्जरी के बिना ही वापस भेज दिया गया, जबकि एम्स में सर्जरी के लिए छह माह से पांच साल तक की इंतजार करना पड़ता है। इससे हृदय, न्यूरो व कैंसर सर्जरी के मरीजों को अधिक परेशानी हुई।

ओपीडी में मौजूद रहे वरिष्ठ डॉक्टर : एम्स, सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के कलावती शरण व सुचेता कृपलानी अस्पताल की ओपीडी में वरिष्ठ डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद रहे लेकिन सामान्य दिनों के मुकाबले बहुत कम मरीजों को देख सके। खासतौर पर नए मरीजों के ओपीडी कार्ड भी नहीं बनाए गए। मरीजों की जरूरी जांच भी नहीं हुई।

मरीज को लेकर तीमारदारों ने किया सड़क जाम : लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज से इन्कार करने पर कुछ तीमारदारों ने हंगामा किया। इसके अलावा कुछ तीमारदारों ने मरीजों को लेकर सड़क जाम कर दी। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से तीमारदारों ने जाम हटाया।

एनएमसी विधेयक का विरोध : रेजिडेंट डॉक्टर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजहों के बारे में बताते हुए एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. जवाहर सिंह ने कहा कि एनएमसी बिल चिकित्सा क्षेत्र में काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि इस बिल में करीब साढ़े तीन लाख सामुदायिक स्वास्थ्य सेवकों को ऐलोपैथी की दवा लिखने के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। एक डॉक्टर वर्षों की पढ़ाई के बाद एलोपैथी का विशेषज्ञ बनता है। सिर्फ कुछ महीनों के प्रशिक्षण के आधार पर दवा लिखने का अधिकार देना एमबीबीएस कर डॉक्टर बनने वालों के साथ अन्याय है। साथ ही मरीजों का इलाज प्रभावित होगा। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए पीजी-नीट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की परीक्षा की मेरिट के आधार पर स्नातकोत्तर में दाखिले का विरोध कर रहे हैं।

केंद्र सरकार के अस्पतालों की ओपीडी में प्रतिदिन आने वाले मरीजों व सर्जरी के आंकड़े

अस्पताल	ओपीडी में मरीज	सर्जरी
एम्स	13,000	645
सफदरजंग	10,000	200
आरएमएल	8,500	140
लेडी हार्डिंग	3,500	30
कुल	35,000	1015

हड़ताली डॉक्टरों से मिले हर्षवर्धन काम पर लौटने की अपील

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ एनएमसी विधेयक मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में दूरदर्शी व क्रांतिकारी कदम

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल के विरोध में धरने पर बैठे डॉक्टरों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने काम पर लौटने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से कहा, 'एनएमसी विधेयक चिकित्सकों एवं मरीजों के हित में है। डॉक्टरों को मरीजों के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।' शुक्रवार को विभिन्न चिकित्सा संघों के रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने हर्षवर्धन से यहां मुलाकात की है। इन संघों ने आरोप लगाया कि विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो गरीब विरोधी, छात्र विरोधी एवं अलोकतांत्रिक हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने विधेयक के विरोध में शुक्रवार को भी अपनी हड़ताल जारी रखते हुए सभी सेवाएं वापस ले लीं।

मंत्री ने एनएमसी और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (सीएचपी) की भूमिका के बारे में कहा कि यह देखा गया है कि मध्यम स्तर के प्रैक्टिशनर के विचार को दुनियाभर में मान्यता मिली है। वर्धन ने अपनी दलील के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अफ्रीका जैसे विकसित एवं विकासशील देशों का उदाहरण दिया कि ये देश भी ऐसी ही व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यह फैसला करेगा कि कौन-कौन लोगों को प्रशिक्षित दिए जाने की आवश्यकता है और कैसे उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल किया जा सकता है।

मंत्री के मुताबिक एनएमसी विधेयक मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक दूरदर्शी क्रांतिकारी कदम है। यह डॉक्टर बनने के इच्छुक लोगों के लिए वरदान के समान है। असल में राज्यसभा से हाल में मिली मंजूरी वाले इस विधेयक में भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कायाकल्प की बात की गई है। इसको लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक के विरोध में दिल्ली सहित देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं।

देश में अब तक मेडिकल शिक्षा, मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी थी। अब अगर इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगी और इसकी जगह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ले लेगा। इसके अलावा यह आयोग चिकित्सा संस्थानों की मान्यता और डॉक्टरों के पंजीकरण की व्यवस्था भी देखेगा।

न्यूज गैलरी

जमाखोरों के खिलाफ करें कार्रवाई : इमरान हुसैन

नई दिल्ली : दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने विभाग और एपीएमसी और मदर डेयरी/सफल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में टमाटर और प्याज की खुदरा कीमतों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें और किसी भी स्थिति में टमाटर, प्याज और दालों के खुदरा दाम बढ़ने नहीं चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल से टमाटर की आपूर्ति बढ़ने से टमाटर की खुदरा कीमतों में गिरावट का रुख दिखाई देने लगा है। दक्षिणी राज्यों से भी आपूर्ति शुरू हो गई है। नासिक से इसी माह के मध्य में टमाटर की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि ये आपूर्ति दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमतों में कमी करने में मदद करेगी। बैठक में प्याज और दालों की खुदरा कीमतों की भी समीक्षा की गई। एजेंसियों ने बताया कि इनकी खुदरा कीमतें नियंत्रण में हैं और निकट भविष्य में इनके खुदरा मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि की उम्मीद नहीं है। मंत्री ने संबंधित सभी एजेंसियों को निर्देश दिया कि साप्ताहिक बैठक कर टमाटर, प्याज, दाल और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखें। (राब्यू)

ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को पीटकर किया घायल

नई दिल्ली : बुराड़ी थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को मोटरसाइकिल चला रहे युवकों को नसीहत देना भारी पड़ गया। दो युवकों ने उनकी पिटाई कर दी। इंस्पेक्टर को लहूलुहान कर आरोपित फरार हो गए। घायल इंस्पेक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित अशोक त्यागी की शिकायत पर बुराड़ी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अशोक त्यागी बुराड़ी अथॉरिटी में इंस्पेक्टर हैं। वह मॉल रोड इलाके में रहते हैं। गुरुवार शाम वह अथॉरिटी से घर की ओर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल पर सवार युवक गलत तरीके से वाहन चला रहे हैं। वह नाले के समीप पहुंचे तो युवक पीछे से आगे आए और अपनी मोटरसाइकिल इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल के आगे अड़ा दी। अशोक ने युवकों को ठीक से गाड़ी चलाने की नसीहत दी। इससे आरोपितों ने इंस्पेक्टर की लात-घूंसों से पिटाई शुरू कर दी। (जासं)

नोएडा में बंद हो सकती हैं एक हजार से अधिक उत्पादन इकाइयां

कुंदन तिवारी, नोएडा

▶ जेनसेट से संचालित इकाइयों को तीस दिन में पीएनजी में कनवर्ट कराने का नोटिस

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने उत्पादन इकाइयों में पेट कोक, कोयला, डीजल के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जेनसेट से इकाइयों के संचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। नोटिस जारी कर जेनसेट से संचालित होने वाली इकाइयों को 30 दिन में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) में कनवर्ट कराने का आदेश दिया है। इससे औद्योगिक सेक्टरों में हड़कंप मचा है।

नोटिस के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा में एक हजार से अधिक उत्पादन इकाइयों पर बंदी की तलवार लटक गई है। इसमें इलेक्ट्रो जिंक प्लेटिंग, फॉसनर, डाइंग, थर्माकोल समेत तमाम उत्पाद इकाइयां शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस के बाद नोएडा एंटरप्रिंयोर्स एसोसिएशन (एनइए) कार्यालय ने इस मामले पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को पत्र जारी कर उद्यमियों के लिए राहत की गुहार लगाई है। इसमें स्पष्ट किया है कि जेनसेट को पीएनजी में कनवर्ट कराने में बहुत खर्च आता है। इसको वहन करने में लघु एवं मध्यम उद्यमी असमर्थ हैं।

> मंदी के दौर से इकाइयां गुजर रही हैं। सरकार को भलीभांति जानकारी है। इसके बावजूद राहत देने के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ है। इसलिए खुद केंद्रीय राज्यमंत्री को पत्र लिखकर संपर्क किया है।
>
> **-विपिन कुमार मल्हन, अध्यक्ष, नोएडा एंटरप्रिंयोर्स एसोसिएशन**

> उद्यमियों की ओर से बातचीत करने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है तो वह कार्यालय पर मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में मजबूरन इकाइयों को बंद करने की नौबत आ रही है।
>
> **-धर्मवीर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एनइए**

बागी आप विधायक कपिल मिश्रा की सदस्यता रद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

विस अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत ठहराया अयोग्य, कोर्ट जाएंगे मिश्रा

आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया। विधानसभा अध्यक्ष के आदेशानुसार, विधानसभा सचिव सी वेलमुरूगन ने जारी आदेश में कहा कि करावलनगर के विधायक कपिल मिश्रा को विधानसभा से अयोग्य ठहराया जाता है। उन्हें 27 जनवरी 2019 से विधानसभा से अयोग्य माना जाएगा। यह आदेश आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर जारी किया गया है। विधान सभा सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के बाद करावल नगर विधानसभा सीट अब खाली हो गई है।

आदेश से पहले सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कपिल मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में प्रशांत भूषण व कुमार विश्वास सहित आधा दर्जन आम आदमी पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं की गवाही दिलाने के अवसर देने की मांग की थी। विधानसभा अध्यक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े किए थे। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर भाजपा से साठगांठ का आरोप है तो मुख्यमंत्री ने भी कई राजनीति दलों के चुनावी मंच साझा किए थे इसलिए मुख्यमंत्री पर भी इसी कानून के तहत त्वरित कार्रवाई होने चाहिए। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि याचिका में दिए गए सभी सुबूतों की प्रति भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने पर कपिल मिश्रा ने कहा कि अलोकतांत्रिक, गैरकानूनी और विधानसभा का अपमान करने वाले इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट में यह आदेश एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। जिस प्रकार कानून एवं प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई गईं, ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। मुझे कोई गवाह व तथ्य रखने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा करके एक तरह से कानून व विधानसभा का मजाक उड़ाया गया है।

कपिल मिश्रा की सदस्यता रद किए जाने पर दिल्ली में राजनीति भी शुरू हो गई है। मिश्रा की सदस्यता जाने पर मनोज तिवारी के बयान के बाद अब आप ने तिवारी पर निशाना साधा है। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तिवारी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व कपिल मिश्रा को औपचारिक रूप से शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अमित शाह दिल्ली विधानसभा में अपनी टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कपिल मिश्रा से बहुत नाराज हैं। साथ ही भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मिश्रा अपने करावल नगर इलाके से फरार हो गए हैं। वह कोई और विधानसभा ढूंढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी उन्हें शामिल नहीं करेगी।

आप में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र : मनोज तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के बागी कपिल मिश्रा की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि आप में लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, उसको केजरीवाल ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप 'वन मैन शो' की तरह राजनीति करने वाला दल है, जिसका देश की राजनीति में अब कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि जब कपिल मिश्रा ने उनकी सियासत की ईंट से ईंट बजा दी थी, तब वह मौन क्यों साधे हुए थे? विधानसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल अपने खिसकते जनाधार को बचाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को नहीं करने चाहिए।

नाकामी को पीछे छोड़ सफलता की चढ़ें सीढ़ियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

प्यारेलाल भवन में इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने छात्राओं से कहा कि असफलताओं से घबराए नहीं। जागरण

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को छात्राओं के सामने राजनेता नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह पहुंचे। उन्होंने कहा कि असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ सफलता की सीढ़ी चढ़ें। असफलता को जो लोग बड़ा बना लेते हैं, वह निराश से घिरकर गलत कदम उठाते हैं। उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल भवन में इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय (आइजीडीटीयूडब्ल्यू) के नए शैक्षणिक सत्र की छात्राओं के स्वागत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

सिसोदिया ने कहा कि सबके पास सपने होंगे, लेकिन ये तब तक सच नहीं होंगे, जब तक इनमें दूसरों को न शामिल किया जाए। परिवार, समाज, क्षेत्र और देश को लेकर भी सपने देखें और ऐसा करते समय असफलताओं से घबराएं नहीं। उपमुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि वे स्कूलों से आई हैं। इसलिए दिल्ली की स्कूली शिक्षा व दिल्ली को बेहतर बनाने को लेकर उनके पास अनुभव और सपने होंगे, जिसे वह सुनना चाहेंगे। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से अलग से एक कार्यक्रम आयोजित करने का आग्रह भी किया।

इस मौके पर दिल्ली के प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के निदेशक एसएस गिल व आइजीडीटीयूडब्ल्यू की उपकुलपति डॉ. अमिता देव समेत शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। समारोह में छात्राओं को विश्वविद्यालय की खासियत के बारे में भी अवगत कराया गया।

पाक में रह रहे भाई मरदाना जी के वंशज को पेंशन देगी डीएसजीपीसी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

बड़ा कदम

▶ गुरु नानक देव जी के कीर्तन में बजाते थे वाद्य यंत्र

▶ गुरबाणी कीर्तन की सेवा निभा रहा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) ने गुरु नानक देव जी के साथी रहे भाई मरदाना जी के वंशज नवी ताहिर लाल के कीर्तन जत्थे को 50 हजार रुपये (पाकिस्तानी रुपये) प्रति माह पेंशन देने का फैसला किया है। कमेटी ने कीर्तन जत्थे को दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया है। कमेटी के अनुसार गुरुद्वारा ननकाना साहिब में डीएसजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसका एलान किया। वह पाकिस्तान से भारत आ रहे नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए गुरुद्वारा ननकाना साहिब गए हुए हैं।

सिख नेताओं का कहना है कि जब गुरु नानक देव जी कीर्तन द्वारा संगतों को उपदेश देते थे, उस समय भाई मरदाना जी रबाब (एक तरह का वाद्य यंत्र) बजाया करते थे। सिख उनके साथ ही उनकी पीढ़ी का बहुत आदर करते हैं। उनके वंशजों ने गुरु जी के समय की संगीत की परंपरा को संभाल कर रखा हुआ है। इस समय नइम ताहिर लाल, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद सरफराज का जत्था गुरबाणी कीर्तन की सेवा निभा रहा है। यह परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है इसलिए डीएसजीपीसी ने उन्हें पेंशन देने का फैसला किया है। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर डीएसजीपीसी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कीर्तन के लिए भी इस जत्थे को निमंत्रण दिया गया है।

बटला हाउस फिल्म की सोमवार को हाई कोर्ट में विशेष स्क्रीनिंग

जासं, नई दिल्ली : बटला हाउस एनकाउंटर में आरोपित ने इस घटनाक्रम पर बनी फिल्म के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कहा गया है कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे केस के ट्रायल पर असर पड़ेगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने आदेश दिया कि सोमवार को इसकी विशेष स्क्रीनिंग हाई कोर्ट में होगी और उसमें देखा जाएगा कि यह फिल्म केस के ट्रायल पर असर तो नहीं डाल रही।

आरोपित अरिज खान ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की है। उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। याचिका में शहजाद आलम ने भी फिल्म रोकने की मांग की है। आलम को निचली अदालत से उम्र कैद हो चुकी है और उसने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

योजना

लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डीडीए दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बसाएगा उपनगर, इन्हें ऐतिहासिक नाम दिए जाएंगे

राजधानी को मिलेगी चार उपनगरों से नई पहचान

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

देश की राजधानी को चार नए उपनगरों से एक नई पहचान मिलने वाली है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ये सभी उपनगर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बसाएगा। खास बात यह है कि इन उपनगरों को ऐतिहासिक नाम दिए जाएंगे। इसके लिए जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं।

11 अक्टूबर 2018 को अधिसूचित अति महत्वाकांक्षी परियोजना लैंड पूलिंग पॉलिसी को डीडीए ने पांच जोन एन, पी टू, के वन, एल और जे में बांटा है। इनमें एक जोन बहुत ही छोटा है। इसलिए डीडीए मुख्य रूप से चार जोन पर ही काम कर रहा है। इन जोनों को भी करीब एक सौ सेक्टरों में बांटा गया है। इस पॉलिसी के तहत 70 लाख की आबादी के लिए 17 लाख घर बनाए जाने हैं।

यह है योजना : इन चारों जोन के तहत डीडीए उत्तरी दिल्ली में नरेला और रोहिणी, पश्चिमी दिल्ली में द्वारका के पीछे एवं दक्षिणी दिल्ली के बार्डर क्षेत्र में चार उपनगर बसाएगा। जमीन की उपलब्धता के आधार पर कोई उपनगर छोटा हो सकता है तो कोई बड़ा। प्रत्येक जोन में सेक्टरों की संख्या 20 से 30 के बीच हो सकती है।

डीडीए को मिल चुके हैं अब तक दो हजार सुझाव : डीडीए ने हर जोन के प्रस्तावित उपनगर को ऐतिहासिक नाम देने का निर्णय लिया है। इसके लिए डीडीए की वेबसाइट पर 'यूअर चांस टू नेम द फ्यूचर ऑफ दिल्ली' लिंक के जरिये दिल्ली वासियों से अपनी पसंद का नाम सुझाने को भी कहा गया है। दिलचस्प यह है कि हफ्ते भर पहले ही डाले गए इस लिंक के जरिये डीडीए के पास दो हजार नाम भी आ चुके हैं। डीडीए को उम्मीद है कि अभी यह संख्या चार से पांच हजार तक जा सकती है।

जोन प्लान तैयार, बनाया जा रहा सेक्टर का मॉडल प्लान : डीडीए अधिकारियों के मुताबिक सभी जोन का डेवलपमेंट प्लान तैयार कर वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआइयूए) की मदद से कुछ सेक्टरों का मॉडल प्लान तैयार कराया जा रहा है। इसे भी जल्द ही वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा ताकि लोग इन उपनगरों की बसावट, नक्शा, और सुख-सुविधाओं को देख सकें। इससे डीडीए को लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए पंजीकरण बढ़ने की भी उम्मीद है।

> चारों उपनगरों के नाम जल्द ही उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष की सहमति से तय कर लिए जाएंगे। डेवलपमेंट प्लान तैयार हैं, मॉडल प्लान बनाए जा रहे हैं। जिस भी जोन में 70 फीसद तक पंजीकरण पहुंच जाएगा, वहां आगे का काम शुरू कर दिया जाएगा।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

जवानों व वीरांगनाओं के लिए सस्ते फ्लैट की योजना लांच

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : डीडीए ने सीमा पर पराक्रम दिखाने वाले जवानों और वीरांगनाओं (शहीद जवान की पत्नी) के लिए सस्ते फ्लैटों की ऑनलाइन आवासीय योजना लांच कर दी है। इसके तहत रोहिणी और नरेला में ऐसे फ्लैट बेचे जाएंगे जो कम दाम के होंगे। ये फ्लैट वीरांगनाओं के अलावा वीरता पुरस्कार पाने वाले जवान और अर्धसैनिक बलों के जवान भी खरीद सकते हैं। फ्लैट पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे। योजना के तहत एक हजार फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। योजना के तहत 15 से 16 लाख की कीमत का एक बेडरूम वाला फ्लैट केवल सात लाख रुपये में मिलेगा। कंवर्जन चार्ज के रूप में 20,080 रुपये अलग से लिए जाएंगे। फ्लैटों का क्षेत्रफल 33 .2 से लेकर 33 .8 वर्गमीटर है। वह जवान जो घायल हैं, अथवा किसी दुर्घटना या युद्ध में दिव्यांग हो गए हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। फ्लैटों का आवंटन ड्रॉ के जरिये ही होगा। डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर ने बताया कि ईडब्ल्यूएस के लिए करीब छह हजार और अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिए पांच सौ फ्लैटों की दो योजनाएं लांच करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। तीन-चार दिन में इनका भी इश्तहार जारी कर इनके लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे।

बच्चों संग जान देने मेट्रो स्टेशन पहुंची महिला, जवानों ने बचाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ पति आस्ट्रेलिया में करता है काम, मकान मालिक पर लगाया यौन शोषण का आरोप

▶ महिला की उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

मकान मालिक के यौन शोषण से परेशान महिला दो बच्चों के साथ आत्महत्या करने इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंच गई। वह मेट्रो के आगे छलांग लगा पाती, इससे पहले ही उसके बेटे ने मां की मंशा की जानकारी स्टेशन पर मौजूद सीआइएसएफ के जवानों को दे दी। जवानों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को आत्महत्या करने से बचा लिया। उसे मेट्रो पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों की पूछताछ में महिला ने मकान मालिक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना एक अगस्त की सुबह करीब 10.50 की है। 31 वर्षीय महिला 10 वर्ष के बेटे और 12 वर्ष की बेटी के साथ इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर पहुंची। वह बच्चों के साथ प्लेटफार्म-तीन पर आत्महत्या के इरादे से खड़ी थी। इसी दौरान मां की मंशा भांप बेटा हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गया और स्टेशन पर मौजूद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों को पूरी बात बताई। इसके बाद तेजी दिखाते हुए बल के जवान महिला को पकड़ कंट्रोल रूम में ले गए और घटना की सूचना मेट्रो पुलिस को दी। वहां, महिला ने बताया कि उनके पति आस्ट्रेलिया में काम करते हैं। वह दोनों बच्चों को लेकर मोती नगर इलाके में किराये के मकान में रहती हैं। पति की गैरमौजूदगी में मकान मालिक ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इसकी शिकायत उन्होंने मोती नगर थाने में भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसलिए घटना सामने आने के बाद उसे इलाज के लिए इहबास में भर्ती कराया गया है।

40 ट्रेनों के निर्माण की योजना है सरकार की अगले तीन वर्षों में। दस ट्रेनें तो अगले एक वर्ष के दौरान बनाई जानी हैं। कलपुर्जों की आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियों की आपत्तियों के बाद टेंडर प्रक्रिया में संशोधन किए गए हैं, जिससे उत्पादन में कुछ विलंब हुआ है।

जाधव से मुलाकात में पाक की बंदिश मंजूर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कुलभूषण जाधव के भारतीय राजनयिक से मिलने की पाकिस्तान की शर्त भारत ने ठुकराई
- विदेश मंत्रालय ने पाक को बताया, बिना किसी बाधा के होनी चाहिए मुलाकात

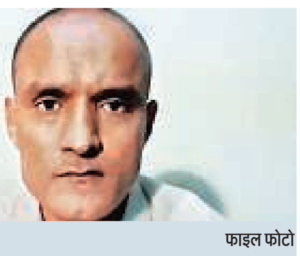
कुलभूषण जाधव फाइल फोटो

भारत के पूर्व नौसैनिक कुलभूषण जाधव की भारतीय राजनयिक से मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी प्रस्ताव को भारत ने फिलहाल खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जाधव से भारतीय राजनयिक की मुलाकात बिना किसी बाधा के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) के आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के भय से मुक्त माहौल में होनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को जाधव को राजनयिक पहुंच देने का प्रस्ताव भेजा था। आधिकारिक तौर पर तो यह नहीं बताया गया है कि पाकिस्तान ने किन शर्तों के साथ मुलाकात का प्रस्ताव किया है। लेकिन माना जा रहा है कि इसमें एक शर्त यह थी कि दो भारतीय राजनयिकों के साथ एक पाकिस्तानी अधिकारी भी वहां मौजूद रहेगा। भारत के रुख से साफ है कि इस शर्त के साथ भारतीय अधिकारी जाधव से नहीं मिल सकेंगे।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि, 'पाकिस्तान को गुरुवार को ही यह बता दिया गया कि जाधव से निर्बाध तरीके से राजनयिक मुलाकात का ही प्रस्ताव स्वीकार होगा। अब पाकिस्तान के जवाब का इंतजार है।' भारत मान रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मुलाकात की इजाजत दी है वह एक तरह से आइसीजे फैसले के खिलाफ है। चूंकि विएना समझौते के संदर्भ को लेते हुए आइसीजे ने अपना फैसला सुनाया था। पाकिस्तान ने इस मुलाकात के लिए शुक्रवार को दोपहर तीन बजे का समय निश्चित किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भेजे गये जवाब पर पाकिस्तान की तरफ से देर शाम तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पाकिस्तान की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उससे भारत को इस बात का डर था कि यह मुलाकात कुछ उसी तरह से होगी जिस तरह से पिछले वर्ष जाधव को उसकी मां और पत्नी से मुलाकात करवाई गई थी। तब जाधव को उसके परिवार से शीशे की दीवार केआरपार से मिलने और बात करने का मौका दिया गया था। साथ ही पूरी बातचीत के समय पाकिस्तान का एक अधिकारी वहां मौजूद था। जाधव बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे और वह अपनी पत्नी व मां के सामान्य सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। आइसीजे ने अपने फैसले में कहा कि जेनेवा समझौते से जुड़ी रुकावट दूर होनी चाहिए। फैसले में जिस धारा 36 का जिक्र किया है, उसके मुताबिक भी पाकिस्तान सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह जाधव को बिल्कुल आजाद व सुरक्षित माहौल में भारतीय राजनयिकों से मुलाकात करने का मौका दे। हालांकि इसमें इस बात का भी जिक्र है कि जिस राज्य या राष्ट्र को मुलाकात करवाने का फैसला करना है वह अपने स्थानीय कानून के मुताबिक भी चलेगा। लेकिन यहां भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जेनेवा समझौते की उस धारा के मूल तत्व का उल्लंघन न हो।

सनद रहे कि भारत ने आइसीजे का फैसला आने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान से आग्रह किया था कि उस फैसले के सही संदर्भ में ही शीघ्रता से हर कदम उठाया जाना चाहिए। इसमें जाधव को राजनयिकों से मुलाकात का मुद्दा सबसे अहम है क्योंकि इसी से आगे जाधव के खिलाफ पाकिस्तान में चलाई जा रही कानूनी प्रक्रिया को लेकर भारतीय पक्षकार अपनी रणनीति बना सकेंगे।

राजग राज्यसभा में बहुमत से दो कदम दूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सपा को एक और झटका

- सपा के सुरेंद्र नागर ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, मंजूर
- कुछ और विपक्षी सदस्यों के पाला बदलने की संभावना

सदस्य सुरेंद्र नागर (फाइल फोटो) प्रेट्र

सपा के राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र नागर ने सदन के साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। नीरज शेखर की तरह नागर भी भाजपा का दामन थामकर दोबारा राज्यसभा पहुंच सकते हैं। दो दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी राज्यसभा से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ली है। इससे साफ है कि राजग राज्यसभा में बहुमत से सिर्फ दो कदम दूर रह गई है।

राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों में पांच पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे बहुमत के लिए 121 सदस्यों की जरूरत है। वर्तमान में भाजपा समेत राजग, निर्दलीय और मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 116 है। सदन में कांग्रेस के संजय सिंह और सपा सदस्य नीरज शेखर पहले ही इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जबकि सपा के ही सुरेंद्र नागर ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है, जिनका भाजपा में जाना तय है। इसी तरह कुछ और विपक्षी दलों के सदस्यों के पाला बदलकर भाजपा में आने की संभावना है।

सुरेंद्र नागर का कार्यकाल चार जुलाई 2022 तक बाकी था। लेकिन उन्होंने भाजपा में जाने का मन बनाकर ही राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे से खाली तीनों सीटें चुनाव होने पर भाजपा के खाते में जाएंगी। इस तरह राजग के खेमे के सदस्यों की संख्या बढ़कर 119 हो जाएगा। यानी राज्यसभा में राजग बहुमत से केवल दो कदम पीछे रह गया है। सूत्रों की मानें तो अभी कुछ और नेता राज्यसभा में पाला बदलने की तैयारी में हैं।

सुरेंद्र नागर के भाजपा में जाने की अटकलें काफी पहले से ही लगाई जा रही थीं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनाये जाने को लेकर उनके बयान से उनके भाजपा में जाने के कयास लगने शुरू हो गये थे। नागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज गुर्जर नेताओं में शुमार हैं। उनके इसी राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने उनसे पार्टी में आने की पेशकश की थी।

भाजपा सांसदों का दो दिवसीय 'अभ्यास वर्ग' आज से

नई दिल्ली, एएनआइ : भाजपा के लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों का दो दिनी 'अभ्यास वर्ग' नई दिल्ली में शनिवार से शुरू हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। संसद के पुस्तकालय भवन स्थित बालयोगी सभागार में आयोजित 'अभ्यास वर्ग' सुबह नौ बजे से शुरू होगा। अलग-अलग सत्र में सांसदों को सदन के भीतर व बाहर के आचार-व्यवहार से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। सांसदों को समस्याएं सदन में रखने के तरीका भी बताया जाएगा।

तत्काल तीन तलाक पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : तत्काल तीन तलाक पर बने नए कानून को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019' को मंजूरी देने के एक दिन बाद केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के एक धार्मिक संगठन 'समस्त केरल जमीअतुल उलेमा' ने शीर्ष अदालत का रुख करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।

याचिका में दलील दी गई है कि धार्मिक पहचान के आधार पर कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अगर यह अनियंत्रित होता है तो यह समाज में ध्रुवीकरण और विघटन का कारण बन सकता है। अनुयायियों की संख्या के हिसाब से केरल के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन होने का दावा करते हुए कहा गया है कि अधिनियम के पीछे की मंशा तीन तलाक खत्म करना नहीं, बल्कि मुस्लिम पतियों को सजा देना है।

याचिका में कहा गया है कि धारा-4 के तहत अगर कोई मुस्लिम पति तत्काल तीन तलाक देता है तो उसे तीन साल की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है जबकि धारा-7 के तहत इस अपराध को संज्ञेय (बिना वारंट के गिरफ्तारी) और गैर जमानती बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि नया कानून चूंकि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए।

बड़ा कदम ▶ मजदूरी संहिता विधेयक राज्यसभा से भी पारित, पक्ष में 85 तो विरोध में 8 वोट पड़े

50 करोड़ कामगारों को तय न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता हुआ साफ

वेतन और बोनस के चार पुराने कानूनों की खामियां दूर करेगा नया समग्र कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संतोष गंगवार (फाइल फोटो)

शुक्रवार को राज्यसभा ने मजदूरी संहिता विधेयक को पारित कर दिया। इसमें देश के 50 करोड़ कामगारों को न्यूनतम मजदूरी के साथ महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है। बिल के पक्ष में 85 और विरोध में केवल आठ वोट पड़े। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इसमें न्यूनतम मजदूरी और बोनस से संबंधित पुराने श्रम कानूनों का विलय कर उन्हें समय के अनुसार प्रासंगिक और पारदर्शी बनाया गया है। 40 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताओं में बदलने की कड़ी में यह पहली संहिता है। अभी तीन संहिताओं के बिल और लाए जाने हैं।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा यह एतिहासिक विधेयक है, जिसमें 50 करोड़ कामगारों को न्यूनतम और समय पर मजदूरी देने को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 के जरिये वेतन भुगतान विधेयक 1936, न्यूनतम वेतन एक्ट 1948, बोनस एक्ट 1965 तथा समान परिलब्धियां अधिनियम, 1976 का विलय किया गया है। बिल में स्थायी समिति के 24 में से 17 सुझावों को शामिल किया गया है। बता दें कि मजदूरी संहिता बिल को सबसे पहले अगस्त, 2017 में लोकसभा में पेश किया गया था जहां से उसे समीक्षा के लिए स्थायी संसदीय समिति को भेज दिया गया था। समिति ने दिसंबर 2018 में रिपोर्ट दी थी, लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने से बिल लैप्स हो गया था। चुनाव के बाद सरकार ने नए सिरे से बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास कराया है।

त्रिपक्षीय समिति तय करेगी न्यूनतम वेतन : न्यूनतम वेतन की आधारभूत दर का निर्धारण ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों वाली त्रिपक्षीय समिति करेगी। जरूरी होने पर समिति को तकनीकी समिति के गठन का भी अधिकार होगा। न्यूनतम वेतन पाना प्रत्येक मजदूर का अधिकार होगा और वो सम्मानजनक जीवन जी सकेगा। बिल में मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक आधार पर सभी क्षेत्रों के मजदूरों पर निश्चित तिथि पर वेतन देना जरूरी कर दिया गया है।

कांग्रेस बोली, बिल में मजदूर का वेतन काटने के सारे प्रावधान : चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मधूसूदन मिस्त्री ने न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में कैलोरी का पैमाना नहीं अपनाए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने मजदूरों की जिंदगी बदलने का मौका गंवा दिया। अब बोनस पर विवाद होने पर नियोक्ता की बैलेंस शीट नहीं देखी जा सकेगी। बिल में मजदूर का वेतन काटने के सारे प्रावधान कर दिए गए हैं।

भाजपा ने कहा, हर पांच साल में न्यूनतम वेतन दरों की समीक्षा होगी : भाजपा के भूपेंद्र यादव ने बिल की जोरदार पैरवी की। उन्होंने कहा कि इसमें दस बड़े सुधार किए गए हैं। महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी का प्रावधान कर लैंगिक भेदभाव खत्म किया गया है। त्रिपक्षीय एडवाइजरी बोर्ड में भी एक तिहाई महिलाएं होंगी। हर पांच साल में न्यूनतम वेतन दरों की समीक्षा होगी। वेतन की 12 परिभाषाओं को मिलाकर एक किया गया है। डिजिटल व चेक के जरिए भुगतान होने से पर्ची से वेतन पर रोक लगेगी। दावे की समय सीमा को बढ़ाकर तीन साल किया गया है। मजदूरी नहीं मिलने पर पहली सुनवाई का अधिकार राजपत्रित अधिकारी को दिया गया है।

कांग्रेस को झटका, जलियांवाला बाग स्मारक संशोधन बिल पारित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कांग्रेस अध्यक्ष अब नहीं होंगे स्मारक समिति के सदस्य
- संशोधन विधेयक पारित होने के दौरान कांग्रेस का सदन से वॉकआउट

प्रहलाद सिंह पटेल फाइल फोटो

कांग्रेस अध्यक्ष को जलियांवाला बाग स्मारक समिति का सदस्य रहने के प्रावधान को समाप्त करने वाले जलियांवाला बाग स्मारक संशोधन विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया। कांग्रेस ने इस प्रावधान पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट किया।

शुक्रवार को लोकसभा में पारित जलियांवाला बाग स्मारक संशोधित नए कानून के तहत अब कांग्रेस अध्यक्ष जलियांवाला बाग स्मारक समिति के सदस्य नहीं होंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीते सोमवार को लोकसभा में इस आशय का बिल पेश किया था जो शुक्रवार को पारित हो गया। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन के लिए लाये गये विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है और घटना के सौ साल पूरे होने के अवसर पर हम इस स्मारक को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान की। जबकि विधेयक पारित होने के दौरान कांग्रेस ने सदन से वाकआउट किया। केंद्रीय मंत्री ने सरकार पर इतिहास बदलने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इतिहास को कोई नहीं बदल सकता। आज हम इतिहास बदल नहीं रहे, बल्कि जलियांवाला बाग स्मारक को राजनीति से मुक्त कर राष्ट्रीय स्मारक बनाकर राजनीति रच रहे हैं। पटेल ने कहा कि स्मारक की स्थापना के समय जवाहरलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू और अब्दुल कलाम आजाद इसके स्थाई ट्रस्टी थे और इनके निधन के कई साल बाद भी कांग्रेस को स्थाई ट्रस्टियों के पद भरने की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यह विवाद का विषय नहीं है। कांग्रेस को स्मारक के इतिहास की इतनी चिंता है तो उसने स्मारक के ट्रस्टी में सरदार उधम सिंह के परिवार के किसी सदस्य को क्यों नहीं शामिल किया?

हालांकि कांग्रेस सांसदों ने बिल का विरोध किया और कहा कि जलियांवाला बाग कांड के बाद स्मारक बनाने के लिए जमीन कांग्रेस पार्टी ने दी थी और स्मारक बनाने का फैसला किया था। अब केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। संशोधित बिल में कांग्रेस अध्यक्ष को समिति के सदस्य के तौर पर मनोनीत किए जाने का प्रावधान हटा लिया गया है। नए बिल में अब समिति के सदस्य के तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। चूंकि इस वक्त लोकसभा में किसी को भी विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त नहीं है, लिहाजा वह समिति का सदस्य नहीं बन सकता।

चिदंबरम को किया लाजवाब

प्रथम पृष्ठ से आगे

चिदंबरम का सवाल : व्यक्ति को क्यों आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं? कानून में ऐसे संस्थानों को आतंकवादी घोषित करने का पहले से प्रावधान है?

गृह मंत्री का जवाब : घटना कोई संस्था नहीं करती। व्यक्ति ही करता है। जबकि मौजूदा कानून के तहत हम सिर्फ संस्था पर ही प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन जब तक उन पर शिकंजा कसा जाता है, वह दूसरी संस्था खोल देते थे। ऐसे में नई संस्था से जुड़े सुबूतों को जुटाने में कई साल लग जाते थे। जब तक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं किया जाएगा तब तक इनके कामों पर रोक लगाना असंभव है।

वैसे भी अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इजरायल आदि देशों में व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी व्यक्ति को ही आतंकवादी घोषित करती है। यदि यह कानून पहले होता तो यासीन भटकल जैसे आतंकी पर काफी पहले कड़े कदम उठाए जा सकते थे।

दिग्विजय सिंह को दुरुपयोग के सवाल पर दिखाया आईना

दिग्विजय का सवाल: हमें आपकी नियत पर भरोसा नहीं है। इसका दुरुपयोग हमारे खिलाफ भी हो सकता है?

अमित शाह का जवाब : कानून के दुरुपयोग पर कांग्रेस के मित्र सवाल न करें तो ही अच्छा है क्योंकि इसका जिक्र करूंगा तो सात अगस्त तक चालू ही रहेगा। इनको मैं इमरजेंसी की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लोगों को जबरिया जेलों में डाल दिया गया था। देश के सभी अखबारों पर ताला लगा दिया गया था। 19 महीने तक सारे नेता जेलों के अंदर थे। रही बात दिग्विजय सिंह

की तो मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। वह अभी-अभी चुनाव हारकर आए हैं तो यह स्वाभाविक है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि वह इस बात से निश्चिंत रहें, जब तक वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे तब तक उनके साथ कुछ नहीं होगा। किसी को आतंकवादी घोषित करने की एक प्रक्रिया है। हमारी सरकार इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरी तरह तत्पर है।

नए कप्तान की जगी उम्मीद तो दावेदारी को लेकर कांग्रेस में फिर बढ़ी सरगर्मी

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- अध्यक्ष पद के दावेदारों में पांच दलित चेहरे, संभावितों में कुमारी सैलजा भी
- पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन चुनाव से कराने का भी फैसला कर सकती पार्टी

कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चयन करने के लिए कार्यसमिति की बैठक संसद सत्र के तत्काल बाद बुलाने के संकेतों ने पार्टी की सरगर्मी को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पार्टी में शुरू हुई चर्चाओं को संकेत माना जाए तो राहुल गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर कांग्रेस कार्यसमिति 'अंतरिम अध्यक्ष' का चयन करेगी। इसके साथ ही संगठन चुनाव कराने का विकल्प चुन पार्टी पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन चुनाव के जरिये कराने का भी फैसला कर सकती है।

पार्टी में नए अध्यक्ष के चयन को लेकर जगी इन उम्मीदों के साथ ही नेतृत्व की दौड़ में शामिल चेहरों की संभावनाओं पर सियासी गुणाभाग शुरू हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में एक और नया नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा का भी जुड़ गया है। उनका नाम संभावितों की सूची में आने से साफ है कि पार्टी नए अध्यक्ष के चयन में सामाजिक समीकरणों से जुड़ी सियासत पर भी गंभीरता से गौर कर रही है। राहुल गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर जिन आठ चेहरों की पार्टी के गलियारों में चर्चा है, उसमें पांच दलित समुदाय से हैं।

मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दलित समुदाय के इन पांच चेहरों में सैलजा भी एक हैं जो इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं। यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं सैलजा की गैर विवादित छवि और मृदुभाषी स्वभाव के साथ गांधी परिवार से निकटता उनकी खास राजनीतिक पूंजी है। इसके अलावा पार्टी के युवा और बुजुर्ग नेताओं को साधे रहने के दृष्टिकोण से सैलजा नेतृत्व की कसौटी पर मुकुल वासनिक के लिए चुनौती बन सकती हैं।

लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद हिंदी भाषी चेहरे को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की पार्टी में शिद्दत से महसूस की जा रही जरूरत की कसौटी पर भी कुमारी सैलजा एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही हैं। हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सूबे की नेता को सौंपे जाने का फायदा मिलने की संभावनाओं का हिसाब-किताब लगाने वाले भी पार्टी में कम नहीं हैं।

कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर भाजपा जिस तरह हमलावर और बेहद कटु रही है, उसे देखते हुए पार्टी की बागडोर किसी महिला को सौंपने पर राय बनी तो सैलजा गंभीर दावेदारों में होंगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार भी कांग्रेस अध्यक्ष के संभावित चेहरों में हैं, मगर उम्र के लिहाज से सैलजा उनके मुकाबले युवा हैं।

बहरहाल, कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 10 अगस्त को बुलाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें राहुल का इस्तीफा स्वीकार कर कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने की उम्मीद की जा रही है। गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस की बागडोर सौंपने के उनके एलान के बाद से ही इन चारों के अलावा दलित समुदाय से पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का नाम भी दावेदारों में गिना जा रहा है।

दिलचस्प बात यह भी है कि सोनिया गांधी की निकट माने जाने वाली सैलजा को लेकर राहुल गांधी का रुख पहले से ही सकारात्मक रहा है। राहुल ने लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्टी के अंदरूनी झगड़े को खत्म करने के लिए सैलजा को प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने का विचार भी बनाया था, मगर सूबे के नेताओं की भयंकर गुटबाजी के चलते बात आगे नहीं बढ़ी थी।

संसद ने 58 पुराने कानूनों को खत्म करने पर लगाई मुहर

नई दिल्ली, प्रेट्र : संसद ने पुराने पड़ चुके 58 कानूनों को समाप्त करने के प्रावधान वाले एक अहम विधेयक को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी। राज्यसभा ने निरसन और संशोधन विधेयक 2019 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा इसे 29 जुलाई को ही पारित कर चुकी है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को सदन में पेश करते हुए कहा कि भाजपा नीति राजग सरकार ने सत्ता में आने के बाद पुराने पड़ चुके कानूनों की पहचान के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने 1824 कानूनों की पहचान की थी और अब तक 1428 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। प्रसाद ने कहा कि वर्तमान विधेयक का उद्देश्य 58 उन पुराने केंद्रीय कानूनों को खत्म करना है, जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम कानून और और अधिकतम शासन सुनिश्चित करने के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है और पुराने कानूनों को निरस्त करना एक सतत प्रक्रिया है।

बहस में भाग लेते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सदस्य के केशव राव ने आंध्र प्रदेश की विधान परिषद सीटों से संबंधित 2015 के कानून को रद करने पर चिंता व्यक्त की। इस पर मंत्री ने कहा कि राज्य के हितों की रक्षा की गई और मुख्य अधिनियम में इसे अंतर्निहित किया गया है। रविशंकर प्रसाद ने सिनेमेटोग्राफ ग्राफ एक्ट 1952 को खत्म करने के सुझाव पर कहा कि वह इस मुद्दे पर पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री के विचार से सहमत हैं, लेकिन फिल्म समुदाय इस पर एकमत नहीं है।

बहस में भाग लेते हुए लगभग सभी पार्टी के सदस्यों ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि पुराने कानूनों को खत्म करना एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार को इन कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने लोगों में खत्म कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया।

बदलती तस्वीर

मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' कार्यक्रम ने जिला स्तर पर प्रशासन का नजरिया बदल दिया है, गांवों की हालात खुद ब खुद बयां कर रही कहानी

रैंक सुधारने की होड़ ने फूंकी स्वास्थ्य तंत्र में जान

हरिकिशन शर्मा, बहराइच से लौटकर

मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी 'एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट' कार्यक्रम ने जिला स्तर पर प्रशासन का नजरिया बदल दिया है। इसके तहत रैंक सुधारने की होड़ ने जमीनी स्तर पर मृतप्राय स्वास्थ्य तंत्र में जान फूंक दी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इसकी बानगी मिलती है, जहां 'ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस' (वीएचएसएनडी) का आयोजन कर गांवों में ही बीपी और शुगर जैसी बीमारियों की जरूरी जांच की सुविधा दी जा रही है।

जिले के तेजवापुर विकासखंड के रैपुरा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य जांच करने में जुटी एएनएम थंकामणि रेशमा ने 'दैनिक जागरण' से कहा कि बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में खून की कमी यहां की प्रमुख समस्या है। वह एक गर्भवती रेशमा की जांच करती हैं और उसे बताती हैं कि उसका हीमोग्लोबिन काफी कम है। वह उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाने की सलाह देती हैं।

रैपुरा की तरह जिले के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर महीने में एक बार वीएचएसएनडी का आयोजन किया जाता है, जहां एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और गर्भवतियों की जांच करती हैं।

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी कर रहे पीरामल फाउंडेशन के ऑपरेशनल हेड रुपेश सिंह कहते हैं कि 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार वीएचएसएनडी पर लगभग 20 सेवाएं मिलनी चाहिए, लेकिन लगभग सभी केंद्रों पर इसका अभाव था। पहले सिर्फ टीकाकरण की सुविधा ही मिल रही थी, लेकिन अब अन्य सेवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।

दरअसल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत जिलों की रैंकिंग 48 इंडीकेटर के आधार पर की जाती है, जिनमें दो दर्जन से अधिक स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित हैं। अगर हर आंगनबाड़ी केंद्र पर अच्छी तरह वीएचएसएनडी का आयोजन हो जाए तो जिले के कम से कम 20 इंडीकेटर में सुधार हो सकता है। यही वजह है कि अब इन केंद्रों पर बीपी मशीन, हीमोग्लोबिनोमीटर, स्टैथोस्कोप, थर्मामीटर जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता अशफाक अहमद कहते हैं कि पहले ये उपकरण नहीं थे। इसलिए जांच नहीं हो पाती थी। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर के पद भी खाली पड़े थे, जिन्हें अब भरा जा रहा है। बहराइच के जिलाधिकारी शम्भू कुमार कहते हैं कि पहले जिले में सिर्फ 300 एएनएम थीं अब सरकार ने तकरीबन 350 एएनएम और उपलब्ध कराई हैं।

स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ पोषण सामग्री के वितरण पर भी जोर दिया जा रहा है। जिले के चितौरा ब्लॉक के कुम्हारपुरवा गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा देवी कहती हैं कि गर्भवती महिलाओं को हर महीने दलिया के तीन पैकेट वितरित किए जाते हैं। दलिया के पैकेट का डायवर्जन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन पर जिले और ब्लॉक का नाम लिखकर भेजती है।

नीति आयोग में सलाहकार और वरिष्ठ आइएएस अधिकारी आलोक कुमार कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी एजेंसियां एकसाथ मिलकर भारत के पिछड़े जिलों में विकास के उन पहलुओं पर काम कर रही हैं, जिन पर अब तक काम नहीं हुआ। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पैसे का अभाव नहीं था, गवर्नेंस में कमियां थीं। पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं थी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम ऐसा है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, नीति आयोग, जिला प्रशासन और गैर-सरकारी संगठन एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में हो रहा सुधार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम लांच किया था। यह कार्यक्रम फिलहाल 112 जिलों में चलाया जा रहा है, जिनमें आठ उत्तर प्रदेश के हैं। हर जिला अपनी रैंक सुधारने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। मसलन, नीति आयोग ने मार्च 2018 में जब बेसलाइन रैंकिंग जारी की, तब बहराइच 96वें नंबर पर था और इसका स्कोर मात्र 29.01 प्रतिशत था, लेकिन जून 2019 में यह 50.6 के स्कोर के साथ 81वें नंबर पर पहुंच गया है। इसी तरह चित्रकूट 75वें स्थान से उठकर छठे नंबर पर, श्रावस्ती 97वें से 60वें स्थान पर और बलरामपुर 94वें से 31वें नंबर पर आ गया है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

171 करोड़ रुपये के घाटे में है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसी कारण इसकी कुल 74 इकाइयों में से 43 बंद हो चुकी हैं। चार इकाइयों को निगम ठेके पर चला रहा है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 3 अगस्त 2019

महिलाएं नाजुक होती हैं, उन्हें रात में घर पर ही रहना चाहिए

पणजी, आइएएनएस : महिलाएं नाजुक और कोमल होती हैं इसलिए उन्हें रात की पाली में काम नहीं करना चाहिए। यह बात गोवा भाजपा की महिला विधायक अलीना सल्दान्हा ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम रात में तो महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए। इससे उन्हें बच्चों को होने वाली परेशानियों को समझने में आसानी होगी।

अलीना सल्दान्हा फाइल फोटो

शुक्रवार को राज्य विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका दृढ़ता से मानना है कि महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए, विशेष तौर पर रात में। उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। घर में बच्चे होते हैं। सुबह उनको स्कूल जाना होता है, उन्हें तैयार करने के लिए मां को घर पर होना ही चाहिए। उनका यह बयान पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलमाओ की विधानसभा में की गई उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोवा की महिलाएं नाजुक होती हैं, इसलिए वह रात की पाली में काम नहीं कर सकती हैं। उन्होंने दूसरे राज्यों की महिलाओं को तेज और मजबूत बताया था। अलमाओ फैक्ट्रीज (गोवा संशोधन) अधिनियम, 2019 पर हो रही एक बहस के दौरान बोल रहे थे। यह अधिनियम महिलाओं को कारखानों और विनिर्माण इकाइयों में रात की पाली में काम करने की अनुमति प्रदान करता है।

मंत्री पद से हटने पर बंगला नहीं छोड़ा तो लगेगा दस हजार रोजाना जुर्माना

सख्त रुख ▶ राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित, भाजपा विधायकों ने किया विरोध

पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने का मामला भी उठा

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को मंत्रियों के पद से हटने के बाद नियत अवधि में सरकारी निवास खाली नहीं करने पर दस हजार रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगाए जाने का विधेयक पारित किया गया। भाजपा विधायकों ने इस विधेयक को बेहद कड़ा बताते हुए इसका विरोध किया। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने का मामला भी उठा। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने इसे लेकर प्रतिपक्ष को घेरने की कोशिश की। इसे लेकर हंगामा भी, मगर हंगामे के बीच ही विधेयक पारित हो गया।

राजस्थान में अब तक मंत्री पद से हटने के बाद नियत अवधि (दो माह) में सरकारी आवास खाली नहीं करने पर पांच हजार रुपये मासिक जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था। मौजूदा सरकार ने राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक- 2019 पारित करवा इस राशि को बढ़ाकर दस हजार रुपये प्रतिदिन कर दिया। यानी अब तीन लाख रुपये महीना देना पड़ेगा। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि पूर्व मंत्रियों के समय पर आवास खाली नहीं करने के कारण नए मंत्रियों को आवास नहीं मिल पाते, इसलिए ऐसा विधेयक लाया गया है। भाजपा के विधायकों ने इस विधेयक को काफी कड़ा बताते हुए इसे स्थगित करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का कहना था कि आवास समय पर खाली होने चाहिए, लेकिन इसकी जो समयावधि तय की गई है, उस पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि कई बार पारिवारिक परिस्थितियों के कारण निर्धारित अवधि में आवास खाली कर पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में इतना जुर्माना लगाया जाना सही नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसके पीछे सरकार अपने विधायकों के भीतर चल रहे असंतोष को खत्म करना चाहती है। भाजपा के ही वासुदेव देवनानी, किरण माहेश्वरी ओर रामलाल शर्मा ने कहा कि यह कानून एक तरह से अब तक मंत्री रहे नेताओं को आरोपित करने की कोशिश है। इसके जरिये समाज में यह संदेश जा रहा है कि मंत्री मकान खाली नहीं करना चाहते।

इस बीच निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन कैबिनेट मंत्री के समान सुविधा और आवास देने का मामला उठा दिया। राजस्थान में भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान यह संशोधन विधेयक पारित कराया था। लोढ़ा ने कहा कि पिछली सरकार ने जो कानून पारित करा लिया, उससे सरकार पर हर महीने एक करोड़ रुपये का भार आएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लोढ़ा के इस वक्तव्य के बाद सदन में हंगामा हो गया। भाजपा सदस्यों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कुछ सदस्य गर्भगृह में भी आ गए। हालांकि, हंगामे के बीच ही सभापति राजेंद्र पारीक ने यह विधेयक पारित करवा दिया।

राजस्थान विधानसभा फाइल फोटो

हुक्का बार और ई-सिगरेट पर रोक लगी

जासं, जयपुर : राजस्थान में अब हुक्का बार पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा में शुक्रवार को पारित किए गए विधेयक में हुक्का बार का संचालन और ई-सिगरेट का उपयोग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विधेयक में हुक्का बार का संचालन करने वालों को अधिकतम तीन साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ई-सिगरेट पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है। हालांकि इसको लेकर विधेयक शुक्रवार को पारित किया गया है।

विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि राज्य के नगरीय एवं उप नगरीय इलाकों में हुक्का बारों में हुक्के से धूमपान का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना शुरू नहीं हो सकती पदोन्नति

नईदुनिया, भोपाल

▶ जानकारों का कहना–नए नियम भी तभी बन सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट मप्र लोकसेवा पदोन्नति नियम 2002 पर फैसला करे

पिछले तीन साल से मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। इसकी वजह है मप्र हाई कोर्ट का वह फैसला, जिसमें कोर्ट ने मप्र लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया था। इस नियम के तहत एसटी-एससी कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। तत्कालीन शिवराज सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। तब से मामला यथास्थिति के निर्देश के साथ लंबित है। अब सरकार सशर्त पदोन्नति देने के दावे कर रही है। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता है।

पिछले महीने विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने भी सदन में पक्ष-विपक्ष के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक कमेटी बनाने का एलान किया था, ताकि पदोन्नति के लिए रास्ता निकाला जा सके। इसके बाद सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने पदोन्नति के नियमों का मसौदा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) से मांगा। जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता। जब पदोन्नति का कोई नियम ही अस्तित्व में नहीं है तो पदोन्नति कैसे दी जा सकती है। नए नियम तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर स्थगित करा सकता है। सरकार को पदोन्नति शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछना होगा कि वे किन नियमों के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति दे सकती हैं। कानूनी अड़चन यह है कि सरकार आरक्षण के साथ पदोन्नति देती है तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी और यदि बिना आरक्षण के पदोन्नति देने पर सरकार विचार करती है तो उसके लिए कोई नियम नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने पहले भी सशर्त पदोन्नति देने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया था, लेकिन उस पर कोर्ट ने अब तक अनुमति नहीं दी है। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि मामला सिर्फ अकेले मप्र का नहीं है, यह कई राज्यों से जुड़ा है इसलिए किसी एक राज्य के लिए राहत मिल पाना कठिन काम है।

अवमानना हो सकती है : पदोन्नति में आरक्षण विषय पर सुप्रीम कोर्ट में मप्र के स्टैंडिंग काउंसिल मनोज गोरकेला ने इस बारे में नईदुनिया से कहा कि सशर्त पदोन्नति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति के पदोन्नति दी गई तो यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आयरे में आएगा। गोरकेला ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाया जा सकता है। साथ ही सशर्त पदोन्नति का भी आग्रह किया जा सकता है। यथाथिति का मतलब ही है कि इस बारे में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

दिल्ली से पानीपत के बीच चलेगी रैपिड रेल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

केंद्र की मोदी सरकार ने हरियाणा की मनोहर सरकार से मिलकर दिल्ली व पानीपत के बीच रैपिड रेल कॉरिडोर की स्थापना करने का अहम निर्णय लिया है। इसके तहत दिल्ली के काले खां से पानीपत के बीच रैपिड रेल चलेगी, जिसका सर्वे हो रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद डिटेल परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इस रेल के चलते से दिल्ली से पानीपत के बीच की दूरी सिमट कर महज 45 मिनट की रह जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान यह एलान किया। विधानसभा में गन्नौर के कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा ने गन्नौर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना में हो रही देरी का सवाल उठाया। मुख्यमंत्री ने सदन में वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के सराय काले खां से छह तरफ रैपिड रेल दौड़ाने की योजना है। पानीपत तक रैपिड रेल सिस्टम का सर्वे शुरू हो चुका है।

विधानसभा में बैठे कैप्टन अभिमन्यु, रामबिलास शर्मा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जागरण

राजस्थान की तरफ जाने वाले रेल कॉरिडोर को भी हरियाणा से निकालने पर केंद्रीय स्तर पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैपिड रेल का ठहराव गन्नौर में भी होगा। इससे गन्नौर में बन रही अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी को सीधा लाभ मिलेगा।

क्या है रैपिड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट : दिल्ली व पानीपत के बीच रैपिड ट्रेन चलाने की घोषणा वर्ष 2013 में हो गई थी, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार में तालमेल की कमी के कारण प्रोजेक्ट रुका था। बैठक में शहरी विकास एवं संसदीय मामलों के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने सीएम मनोहर लाल से इस बारे में चर्चा की और काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में नई जमीन खरीदना बड़ी चुनौती थी। यह कॉरिडोर एनसीआर से जुड़े 72 हजार करोड़ रुपये के आरआरटीएस का एक हिस्सा है। दिल्ली-पानीपत के अलावा दिल्ली-अलवर (180 किमी) और दिल्ली-मेरठ (90 किमी) रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है।

हरियाणा के किन हिस्सों से निकलेगी रैपिड ट्रेन : रैपिड रेल की लाइन 111 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें 88.7 किलोमीटर हरियाणा में है। पानीपत में इसके पांच स्टेशन बनाए जाएंगें, वहीं भैंसवाल गांव में करीब 125 एकड़ में डिपो तैयार किया जाएगा। यहां इसके लिए पंचायती जमीन को लिया जाएगा। रैपिड ट्रेन के कोच 22 मीटर लंबे होंगे। रेल से उलट इसमें लगेज स्पेस भी होगा। हर स्टेशन करीब पांच एकड़ में होगा। नए प्लान के तहत हाईवे के साथ पुल पर ट्रेन चलेगी।

कहां से चलेगी और कहां रूकेगी : नए प्लान के तहत ट्रेन दिल्ली के सराय काले खां से चलेगी। आरपी से कश्मीरी गेट तक अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा। बुराड़ी स्टेशन, मुकरबा चौक, कुंडली, केएमपी रोड के पास राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के सामने हाईवे के साथ पूर्व की तरफ स्टेशन बनेगा।

48 हजार रुपये पाने के लालच में मध्य प्रदेश में 192 जोड़ों ने लिए दोबारा फेरे

अरुण सोलंकी, महू

मध्य प्रदेश में महू के पास अवलाय गांव की मोना का विवाह रवि देवकरण बारिया से हो चुका था। सरकारी शादी में फिर से दूल्हा-दुल्हन बनकर फेरे ले लिए। कांकरिया की रहने वाली मौसमी और बलराम ने भी ऐसा ही किया। देवकन्या और धर्मेंद्र कालूसिंह पति-पत्नी होने के बावजूद फिर से मंडप पहुंच गए। गवली पलासिया के राजू बाई और कृष्णा की भी यही कहानी है। ऐसे 192 जोड़े हैं, जिन्होंने 48 हजार रुपये पाने की लालच में सरकारी सामूहिक विवाह में दोबारा शादी कर ली। धांधली पकड़ में आते ही प्रशासन ने सभी को अपात्र घोषित कर दिया है। अब उन्हें नकद राशि नहीं मिलेगी।

दरअसल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पहले 21 हजार रुपये कीमत का गृहस्थी का सामान दिया जाता था। नकद राशि देने का प्रावधान नहीं था। बीते दो आयोजनों से शासन द्वारा घोषित 51 हजार रुपये की राशि में से तीन हजार रुपये व्यवस्था के नाम पर काटकर 48 हजार रुपये सीधे वधू के बैंक खाते में डालने की व्यवस्था की है। इससे फर्जी जोड़ों की संख्या बढ़ रही है।

738 में से 192 शादीशुदा निकले : महू जनपद क्षेत्र में छह जून को यशवंत नगर व आठ जून को राजपुरा कुटी में सामूहिक विवाह के आयोजन किए गए। छह जून को यशवंत नगर में 438 जोड़ों के विवाह कराए गए, जिनके आवेदनों की जांच में 110 जोड़े अपात्र निकले। राजपुरा में हुए सामूहिक विवाह में 300 जोड़ों के विवाह कराए गए। जांच में 82 जोड़े अपात्र निकले।

> मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई वर्षों से आयोजन हो रहे हैं, परंतु पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपात्र जोड़े सामने आए। ये संख्या इंदौर जिले में अब तक की संभवत: सबसे बड़ी संख्या होगी। सामूहिक विवाह समारोह में आयोजन के बाद वधू के आवेदन, बैंक की पासबुक, समग्र पोर्टल की जांच की गई तो यह राजफाश हुआ। इसमें कुछ वधुओं की पासबुक पर पिता के नाम के स्थान पर पति का नाम पाया गया, जबकि कुछ के समग्र पोर्टल पर विवाहित होना दर्ज पाया गया।
>
> **–मुश्ताक खान, पंचायत निरीक्षक**

> दोनों आयोजनों में बड़ी संख्या में अपात्र जोड़े पाए गए, जिन्हें शासन की राशि नहीं दी जाएगी। संभवत: ऐसा पहली बार हुआ होगा, जब इतनी बड़ी संख्या में अपात्र जोड़े निकले।
>
> **–हेमेंद्र कुमार चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महू जनपद पंचायत, इंदौर**

हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठन पर हाई कोर्ट ने फिलहाल लगाई रोक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल का संज्ञान लेते हुए अधिसूचना के क्रियान्वयन पर लगाई रोक
- एक सप्ताह से जारी वकीलों का धरना-प्रदर्शन खत्म
- सोमवार को बार एसोसिएशन की बैठक के बाद कामकाज शुरू होने की संभावना

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट फाइल फोटो

हरियाणा में कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के निवारण के लिए हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन फिलहाल टल गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल इस ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। इसी के साथ इस ट्रिब्यूनल के विरोध में पंजाब व हरियाणा में वकीलों द्वारा लगभग एक सप्ताह से किया जा रहा धरना-प्रदर्शन खत्म हो गया है। अब बार एसोसिएशन की सोमवार को होने वाली बैठक के बाद अदालतों में सामान्य कामकाज आरंभ होने की संभावना है।

ट्रिब्यूनल के गठन में खामियों के संबंध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज्ञापन और वकीलों की हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस राकेश कुमार जैन की पूर्ण पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। प्रशासनिक स्तर पर दायर किए गए अपने ज्ञापन में बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल के गठन में खामियों और इससे लोगों को होने वाली परेशानियों का जिक्र किया था।

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 के तहत गठित किए गए इस ट्रिब्यूनल की मौजूदा स्थिति पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और न्यायिक सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन इसके प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति और इसकी प्रधान पीठ के गठन की अधिसूचना जारी किया जाना अभी बाकी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि वकीलों द्वारा ट्रिब्यूनल के विरोध से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है और हाई कोर्ट में लगभग एक सप्ताह से काम ठप हो गया है।

सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने माना कि प्रशासनिक सदस्यों और प्रधान पीठ का गठन न होने के चलते फिलहाल यह ट्रिब्यूनल प्रभावी तौर पर काम करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति और प्रधान पीठ की अधिसूचना जारी होने में अभी कुछ समय लग सकता है। अदालत में मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल चेतन मित्तल ने भी इस वास्तविक स्थिति पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

ट्रिब्यूनल को नहीं भेजे जाएंगे लंबित मामले

महाजन की स्वीकारोक्ति के बाद हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के गठन के संबंध में 24 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना के क्रियान्वयन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि फिलहाल हरियाणा में कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले जिला अदालतें और हाई कोर्ट ही सुनेंगे और लंबित मामले भी फिलहाल ट्रिब्यूनल को नहीं भेजे जाएंगे।

सिद्धू नहीं पहुंचे विधानसभा के मानसून सत्र में

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब सरकार से कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र में भी शामिल नहीं हुए। सभी की नजर उन पर लगी हुई थी कि वह सदन में पहुंचते हैं या नहीं, पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं। पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में नहीं पहुंचे। सत्र के पहले दिन विधानसभा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत 18 दिवंगत आत्माओ को श्रद्धांजलि दी।

कांग्रेस सरकार को चिंता थी कि अगर सिद्धू आते हैं तो सदन का माहौल बदल जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से वह नाराज चल रहे हैं। सरकार को इस बात का भी डर था कि यदि सिद्धू आए तो कहीं अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा न खोल दें, लेकिन उनके न आने से माना जा रहा है कि सरकार ने राहत की सांस ली है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सदन में सिद्धू जिस सीट पर बैठते थे उस पर अब मनप्रीत बादल बैठ रहे हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा इन दिनों अलग-थलग हो गए हैं। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अमन आप के ऐसे विधायक थे जो अपनी सीट से उठकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए पहुंचे।

पंजाब विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित समेत 18 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। प्रेट्र

मजीठिया दरकिनार, सदन में ढींडसा ने ली सुखबीर की जगह

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

परिवारवाद के आरोपों से जूझ रहे शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने मानसून सत्र के लिए अपनी भूमिका में अहम बदलाव किया है। शिअद के अध्यक्ष सुखबीर बादल के सांसद बनने के बाद खाली हुई शिअद विधायक दल के नेता की कुर्सी पूर्व वित्त मंत्री व राज्यसभा सदस्य सुखदेव ढींडसा के बेटे परमिंदर सिंह ढींडसा को मिल गई है। वह इससे पहले उपनेता थे। हालांकि, कहा जा रहा था कि यह पद तेज बिक्रम मजीठिया को दिया जा सकता है, क्योंकि सदन के अंदर जिस तरह की आक्रामकता बिक्रम मजीठिया दिखाते हैं, वह ढींडसा नहीं दिखा पाते।

सदन में शिअद विधायकों की गिनती काफी कम है। ऐसे में पार्टी को किसी ऐसे नेता की जरूरत थी, जो आक्रामकता से सरकार पर भारी पड़ सके, लेकिन पार्टी ने इन सभी बिंदुओं को दरकिनार करते हुए आम लोगों में अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए परमिंदर ढींडसा जैसे नेता को आगे किया है।

दरअसल शिअदा पर परिवारवाद का ठप्पा लगा हुआ है। इस छवि से निकलने के लिए पार्टी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो उन्होंने परिवार से बाहर जाकर किसी को विधायक दल का नेता बनाया वहीं, दूसरी ओर सुखदेव सिंह ढींडसा जैसे नाराज नेता के बेटे को आगे करके उनकी नाराजगी को कम करने की कोशिश की है।

बड़ा सवाल

राजद के बड़े नेताओं को भी नहीं पता कि क्या कर रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष, सोशल मीडिया पर भी कभी–कभी दिखते हैं लालू के छोटे बेटे

आखिर दिल्ली में कौन–सा पेच सुलझा रहे तेजस्वी

अरविंद शर्मा, पटना

बिहार में फिर चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं? लोकसभा चुनाव के बाद एक बार वह बिहार के राजनीतिक गलियारे से गायब थे तो 33 दिन बाद लौटकर बताया था कि घुटने में चोट का दिल्ली में इलाज करा रहे थे। अब दोबारा क्या हो गया? लोकसभा चुनाव के पहले तक बात-बात पर बयान जारी करने वाले नेता प्रतिपक्ष अब उसमें भी चूक रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कभी-कभी ही दिखते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि लालू प्रसाद की सियासी विरासत को इतने हल्के तरीके से क्यों लिया जा रहा है?

दिल्ली में कोई अति महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं राजद नेता : तेजस्वी दिल्ली में हैं तो क्या कर रहे हैं, यह सही-सही राजद के किसी नेता को नहीं पता है। रघुवंश प्रसाद सिंह को भी नहीं। राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे भी अनजान हैं। उनके करीबी रिश्तेदार मणि यादव भी अभी तेजस्वी के साथ नहीं हैं। उन्होंने इतना बताया कि नेताजी अभी दिल्ली में हैं और दो-तीन दिनों में पटना आने के लिए बोल रहे थे। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कमर आलम के मुताबिक तेजस्वी दिल्ली में ही एक अति महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। हम सबके संपर्क में हैं और जल्द ही पटना लौटने वाले हैं।

तेजस्वी यादव फाइल फोटो

पारिवारिक और सियासी कारणों ने तेजस्वी को किया है परेशान : पिछले करीब ढाई महीने से नेता प्रतिपक्ष के अदृश्य रहने के पीछे परोक्ष तौर पर तीन वजहें बताई जा रही हैं। पहली पारिवारिक और दूसरी सियासी अभियान। कानूनी लफड़े को भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। लालू परिवार के करीबी लोग पारिवारिक पेंच से इन्कार करते हैं। कानूनी लफड़े में भी उन्हें कोई दम नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन सा ऐसा सियासी अभियान है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष का पटना से ज्यादा दिल्ली में रहना जरूरी है।

तेजस्वी की चुप्पी से सब हैरान : तेजस्वी के बयान का सबसे ज्यादा इंतजार उस दिन हुआ जिस दिन राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर विपक्ष बुरी तरह मात खा गया। हालांकि सदन में राजद ने कांग्रेस का साथ तो दिया, लेकिन तेजस्वी का कोई बयान नहीं आया। बिहार में भाजपा की प्रचंड विरोधी पार्टी की पहचान रखने वाले राजद के सबसे बड़े नेता की चुप्पी ने सबको हैरान किया।

बड़े जतन से लालू ने राजद को बढ़ाया : लालू ने जनता दल से खुद को अलग करके बड़े जतन से राजद की स्थापना की थी। विपरीत हालात में भी कठिन मेहनत और लगन से इसे खड़ा किया। इसी दौरान चारा घोटाले में भी फंसे लेकिन राजद को बड़ा करते रहे। एक समय में इसे राष्ट्रीय पार्टी की पहचान भी दिलाई। अब खुद जेल में हैं तो राबड़ी देवी के अलावा पार्टी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। पिछले ही महीने राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ना सुनिश्चित किया है। बिहार में सभी छोटे-बड़े दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन राजद अभी दूसरे ही उलझन में है। शीर्ष नेतृत्व में बेचैनी भी नहीं दिख रही।

छग में आयुष्मान भारत के डिप्टी सीईओ कटरे फिर नए विवाद में फंसे

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत के डिप्टी सीईओ विजेंद्र कटरे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट से विजेंद्र की नियुक्ति पर रोक लगाने के बाद अब बैक डेट में जॉइनिंग का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग का वह रजिस्टर वायरल किया है, जिससे कटरे की बैकडेट में नियुक्ति का राज सामने आ रहा है। रजिस्टर में 25 जुलाई तक विजेंद्र कटरे का नाम तक नहीं लिखा गया है, जबकि कोर्ट के आदेश के बाद कटरे को न सिर्फ नियुक्ति दे दी गई, बल्कि 19 जुलाई को रजिस्टर में हस्ताक्षर भी दिखाई दे रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के अनुसार, विजेंद्र की नियुक्ति 25 जुलाई तक नहीं हुई थी। यही नहीं, उपस्थिति रजिस्टर में आयुष्मान भारत के डिप्टी सीईओ के पद पर किसी का नाम भी दर्ज नहीं है। दोनों दस्तावेज नईदुनिया के पास हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

मप्र में राजनीतिक नियुक्तियों पर कांग्रेस हाईकमान ने लगाई रोक

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने राजनीतिक नियुक्तियां करने के पहले एक सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इससे विधानसभा के पावस सत्र के बाद विभिन्न निगम-मंडल और प्राधिकरणों में होने वाली नियुक्तियों पर ब्रेक (रोक) लग गया है। इसके पीछे पार्टी हाईकमान का मकसद है कि राजनीतिक नियुक्तियों में संगठनस्तर पर पारदर्शिता बरती जाए और अविवादित व्यक्तियों व नेताओं को मौका मिल सके।

मप्र में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अब तक मप्र लोकसेवा आयोग (एमपी पीएससी), अपेक्स बैंक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि में ही नियुक्तियां की हैं। एमपी पीएससी में चंद्रशेखर रायकवार, अपेक्स बैंक में अशोक सिंह और पत्रकारिता विवि में दीपक तिवारी की नियुक्ति की गई थी, जिसमें से रायकवार की नियुक्ति को लेकर हाईकमान तक शिकायतें हुईं। वहीं, अपेक्स बैंक और माखनलाल विवि में हुई नियुक्तियों पर भी पार्टी के दो दिग्गज नेता सहमत नहीं हैं। हालांकि, दोनों ही नेता खुलकर इन नियुक्तियों का विरोध करने से बच रहे हैं।

सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियों में पार्टी के भीतर सहमति-असहमति की स्थिति बनने पर पिछले दिनों हाईकमान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को निर्देश दिए हैं। इसके तहत कहा गया है कि राजनीतिक नियुक्तियों में जिन नेताओं पर विचार हो, उनके बारे में जिला कांग्रेस व ब्लॉक कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों से फीडबैक अनिवार्य रूप से लिया जाए, ताकि गलत व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो पाए।

> एआइसीसी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को निर्देश दिए हैं कि वे सभी से विचार–विमर्श कर राजनीतिक नियुक्तियों का सिस्टम बनाएं। उसमें नियुक्ति के पहले व्यक्ति या नेता के बारे में स्थानीय स्तर पर फीडबैक लेकर नियुक्ति करने की व्यवस्था भी हो।
>
> **– दीपक बाबरिया, प्रभारी महासचिव, एआइसीसी**

पक्षकारों को शुरू से नहीं था मध्यस्थता पर भरोसा

अयोध्या विवाद ▸ पांच महीने तक चली प्रक्रिया, कई दौर की बात भी हुई, लेकिन नहीं सुलझा मसला

गोपाल सिंह विशारद की अर्जी पर तय समय से पहले समाप्त हो गई मध्यस्थता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील अयोध्या विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थता को भेजा था। कोर्ट ने दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल करते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल गठित किया था। इस पैनल की अगुआई में पांच महीने तक कई दौर की मध्यस्थता कार्यवाही चली, लेकिन विवाद का हल नहीं निकला।

वैसे तो शुरुआत में जब कोर्ट ने मामला मध्यस्थता के लिए भेजने का सुझाव दिया था तभी विभिन्न पक्षकारों ने कोर्ट में कहा था कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि कई बार विवाद को आपसी सहमति से समझौते के जरिये निपटाने के प्रयास हो चुके हैं और सफलता नहीं मिल, लेकिन कोर्ट ने मुख्य मुकदमे से जुड़े दस्तावेज के अनुवाद होने तक प्रायोगिक तौर पर मामले को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने का प्रयास करने की पेशकश की थी। कोर्ट ने गत आठ मार्च को मामला मध्यस्थता के लिए भेजते हुए तीन सदस्यों का मध्यस्थता पैनल गठित किया था, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला थे, जबकि आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू सदस्य थे। कोर्ट ने शुरू में मध्यस्थता के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था, जिसे बाद में पैनल के अनुरोध पर बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया था। इस बीच मुकदमे के पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जिसमें कहा गया कि मध्यस्थता में कुछ ठोस प्रगति नहीं हुई है और इससे विवाद का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। कोर्ट मध्यस्थता समाप्त कर अपीलों पर जल्दी सुनवाई शुरू करे। इस अर्जी पर कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई की और मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई को प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर रिपोर्ट देखकर उसे लगा कि मध्यस्थता समाप्त कर दी जानी चाहिए तो कोर्ट मध्यस्थता समाप्त कर देगा और मामले पर 25 जुलाई से रोजाना सुनवाई करेगा। इस बीच 18 जुलाई को कोर्ट मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखेगा और उसके बाद आगे का फैसला लेगा। 18 जुलाई को पैनल की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने पैनल को 31 जुलाई तक का समय देते हुए एक अगस्त को फिर रिपोर्ट मांगी थी।

पैनल ने एक अगस्त को रिपोर्ट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने शुक्रवार को विचार करने के बाद छह अगस्त से मुकदमे की रोजाना सुनवाई का निर्णय लिया। कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि मध्यस्थता कार्यवाही में विवाद का हल नहीं निकला, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं सार्वजनिक किया कि मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। 18 जुलाई की अंतरिम रिपोर्ट में भी पैनल ने क्या कहा था, इसके बारे में भी कोर्ट ने नहीं बताया है। बात यह है कि कोर्ट ने मामला मध्यस्थता को सौंपते वक्त ही मध्यस्थता कार्यवाही में पूरी तरह गोपनीयता बरते जाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई भी पक्षकार मध्यस्थता में हुई कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं करेगा। इस बात को कोर्ट ने अपने 18 जुलाई के आदेश में फिर दर्ज किया, जिसमें कहा कि आठ मार्च को मामला मध्यस्थता के लिए भेजते वक्त मध्यस्थता कार्यवाही में गोपनीयता बरतने के आदेश दिए गए थे इसलिए रिपोर्ट के तथ्य रिकार्ड पर दर्ज करना उचित नहीं लगता।

तय समय से पहले खत्म हो मध्यस्थता : गोपाल सिंह विशारद अयोध्या विवाद में मुख्य याचिकाकर्ताओं में से हैं। इनके पिता राजेंद्र सिंह ने 1950 में पहला मुकदमा दाखिल किया था, जिसमें बिना रोक टोक रामलला की पूजा का हक मांगा गया था। साथ ही जन्मस्थान पर रखी रामलला की मूर्तियों को वहां से हटाने पर स्थाई रोक मांगी थी। फैजाबाद जिला अदालत से होता हुआ यह मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसमें हाईकोर्ट ने अन्य याचिकाओं के साथ फैसला दिया था। विशारद ने अर्जी में कहा था कि करीब पांच महीने की मध्यस्थता में अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं निकला है न ही उसे पक्षकारों के बीच कोई समझौता होने की उम्मीद लगती है। मध्यस्थता के दौरान जो सुझाव आए वे मध्यस्थता प्रक्रिया के दायरे में भी नहीं आते थे। वे राजनीतिक प्रकृति के थे। इससे लगता है कि मध्यस्थता से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मामले का एकमात्र हल कोर्ट से ही तय हो सकता है। ऐसे में कोर्ट मध्यस्थता समाप्त कर अपीलों की मेरिट पर शीघ्र सुनवाई करे। गोपाल सिंह विशारद, जो पिता की मृत्यु के बाद उनकी जगह मुकदमे में कानूनी वारिस है, ने अर्जी में कहा था कि वह भी करीब 80 वर्ष के हो गए हैं और अभी तक पिता द्वारा दाखिल मुकदमें के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

निर्मोही अखाड़ा ने भी उठाया था सवाल : निर्मोही अखाड़ा ने भी मध्यस्थता कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए पिछली सुनवाइयों में कोर्ट में कहा था कि मध्यस्थता में मुख्य पक्षकारों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए ताकि कोई हल निकले, लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद मौजूदा प्रक्रिया में ऐसा नहीं हो रहा है। जब तक पक्षकारों के बीच सीधी बातचीत नहीं होगी तब तक मध्यस्थता सफल नहीं हो सकती। उससे भी पहले निर्मोही अखाड़ा ने एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मध्यस्थता पैनल में दो और सेवानिवृत न्यायाधीशों को शामिल करने की मांग की गई थी। हालांकि इस अर्जी पर कोई आदेश नहीं हुआ।

नई दिल्ली में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब महंत धर्मदास और अन्य संत। एएनआइ

पक्षकार मानते हैं अब होगा जल्द समाधान

जागरण संवाददाता, अयोध्या

राम जन्मभूमि मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नियमित सुनवाई का फैसले से पक्षकारों में विवाद के जल्द समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। उनका मानना है कि ऐसा पहले हो हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, दुरुस्त निर्णय हुआ है। शीर्ष पीठ मणिरामदास जी की छावनी के महंत एवं रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास ने कहा कि इस विवाद के समाधान को लेकर उदासीनता असहनीय हो रही थी। इससे न केवल देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था बल्कि भगवान राम के ही देश में उनकी जन्मभूमि के प्रति उपेक्षा प्रकट हो रही थी। न्यास अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि नियमित सुनवाई से रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग जल्द प्रशस्त होगा।

रामलला के प्रधान अर्चक आचार्य सत्येंद्रदास ने कहा, लंबे समय से यह विवाद चल रहा है और अब यह स्पष्ट समाधान के अन्य विकल्प सारहीन हैं। अदालत के ही माध्यम से मंदिर निर्माण संभव है। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पक्षकार एवं निर्वाणी अनी अखाड़ा के श्रीमहंत धर्मदास ने कहा हम हम तो इस स्थान पर राम जन्मभूमि मंदिर ही मानते हैं।

बाबरी मस्जिद के पक्षकार मो. इकबाल ने कहा कि अदालत जो भी निर्णय दे, हमें मान्य होगा। हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि अदालत की पहल से सांप्रदायिकता में भरोसा करने वाली ताकतों के हौसले पस्त होंगे और जम्हूरियत को मजबूती मिलेगी। राममंदिर की दशकों तक अदालत में पैरोकारी करते रहे नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने कहा कि मंदिर-मस्जिद विवाद के क्षितिज पर अदालत की उपेक्षा की देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब यह मसला न्यायालय की परिधि से पुनः हल होने का विश्वास जगना उसी तरह है, जैसे सुबह का भूला शाम को घर आए।

अयोध्या पर नवंबर तक फैसला आने की जगी उम्मीद

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर तक आने की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने आदेश में साफ कर दिया कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ छह अगस्त से मामले में रोजाना सुनवाई करेगी और सभी पक्षों की बहस पूरी होने तक सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई कर रही पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मामले में फैसला 17 नवंबर से पहले आ जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट में सामान्य तौर पर जब किसी मामले की नियमित सुनवाई शुरू होती है तो फिर जो पीठ सुनवाई कर रही होती है वही पीठ सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाती है। बीच में सुनवाई पीठ को बदला नहीं जाता। लेकिन अगर पीठ का कोई न्यायाधीश बीच में सेवानिवृत्त हो जाता है या किसी कारणवश उपलब्ध नहीं होता तो पीठ का दोबारा गठन किया जाता है और सुनवाई पीठ में शामिल होने वाला नया न्यायाधीश नए सिरे से पूरे मामले की सुनवाई की मांग कर सकता है। हालांकि यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि पीठ में शामिल होने वाला न्यायाधीश नए सिरे से सुनवाई की मांग करता है या फिर उसे तब तक हुई सुनवाई के बारे में जरूरत भर का बता दिया जाए और वह आगे सुनवाई करे। लगता नहीं है कि जिस मुकदमे पर देशभर की निगाहें लगी है उसमें इस तरह की कोई पेचीदगी आएगी।

पीठ में शामिल सीजेआइ रंजन गोगोई 17 नवंबर को हो जाएंगे सेवानिवृत्त। फाइल फोटो

सुनवाई के लिए 35 दिन के 175 घंटे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास

माना जा रहा है कि कोर्ट अगर रोजाना सुनवाई करेगा तो नियमित मुकदमों पर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यानी सप्ताह में तीन दिन सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दशहरा और दिवाली की छुट्टियों के साथ शनिवार और रविवार की छुट्टियों को भी मिला लिया जाए तो प्रधान न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने तक करीब 35 दिन का समय सुनवाई के लिए बचता है। सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में पांच घंटे सुनवाई होती है यानी 35 दिन में कुल 175 घंटे सुनवाई के लिए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि एक मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए यह पर्याप्त समय है। हालांकि राम जन्मभूमि का मुकदमा थोड़ा अलग है और सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट अपील पर सुनवाई होनी है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि उन्हें अकेले बहस करने के लिए 20 दिन का समय चाहिए। धवन का दावा नवंबर तक फैसला आने में आशंका की ओर इशारा करता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर चल रहे मालिकाना हक से संबंधित चार वादों पर अपना निर्णय सुनाया। आदेश के अनुसार विवादित 2.77 एकड़ जमीन को तीन हिस्सों में बराबर-बराबर बांटी जानी थी। यानी एक तिहाई जमीन राम लला को दी जानी थी जिनका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही है, एक तिहाई सुन्नी वक्फ बोर्ड और इतनी ही भूमि निर्मोही अखाड़ा को दी जानी थी। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

अयोध्या : कहां पर क्या

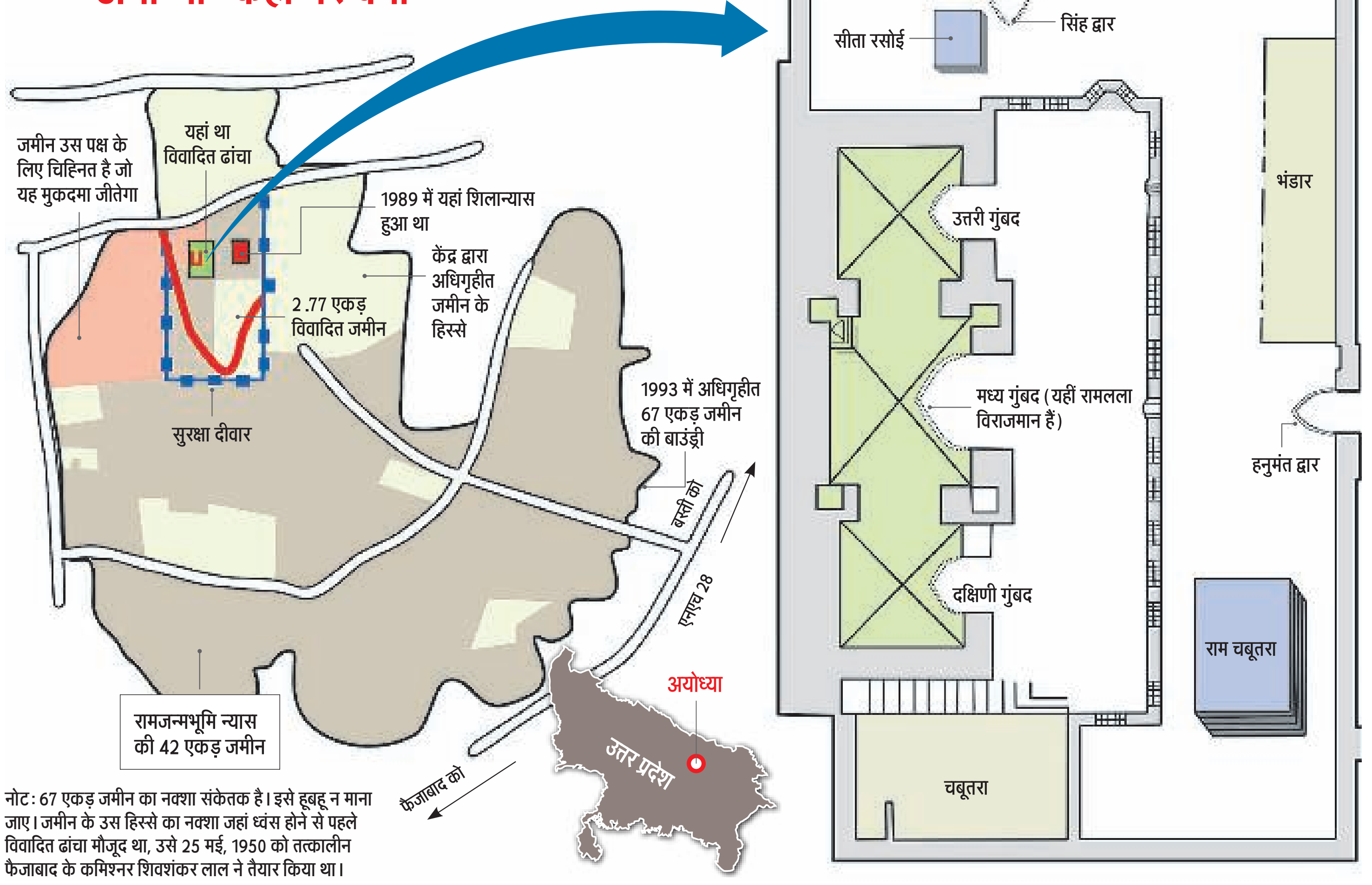

नोट : 67 एकड़ जमीन का नक्शा संकेतक है। इसे हूबहू न माना जाए। जमीन के उस हिस्से का नक्शा जहां ध्वंस होने से पहले विवादित ढांचा मौजूद था, उसे 25 मई, 1950 को तत्कालीन फैजाबाद के कमिश्नर शिवशंकर लाल ने तैयार किया था।

इंतजार

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू-मुस्लिम पक्षकारों ने की हैं अपीलें, तीन रिट याचिकाएं और एक याचिका ऐसी है जिसे अभी केस नंबर भी नहीं मिला

14 अपीलों सहित अभी 18 मामले पड़े हैं लंबित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं, जहां छह अगस्त से अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर रोजाना सुनवाई शुरू होने वाली है। इस मामले में कोर्ट में कुल 18 याचिकाएं हैं। इनमें 14 अपीलें हैं, जिनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पक्षकारों ने चुनौती दी है। ये क्रास अपीलें हैं यानी एक पक्ष की अपील में दूसरा पक्ष प्रतिवादी है। यानी दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की अपील में पक्षकार हैं। इसके अलावा तीन रिट याचिकाएं हैं, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की दुहाई देते हुए रामलला की पूजा अर्चना का हक मांगा गया है। एक याचिका शिया वक्फ बोर्ड की लंबित है, जिसमें बहुत पुराने एक फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उस याचिका को अभी तक सुप्रीम कोर्ट से केस नंबर नहीं आवंटित हुआ है वह मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सूची में डायरी नंबर के आधार पर शामिल होता है।

क्या हैं अलग-अलग पक्षों की दलील: इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुख्यतः तीन पक्षकार हैं, जिनके बीच कोर्ट ने राम जन्मभूमि के बंटवारे का आदेश दिया था।

रामलला की अपील का तर्क : रामलला की ओर से उनके निकट मित्र ने अपील दाखिल कर रखी है, जिसमें कहा गया है कि जब हाईकोर्ट ने यह मान लिया कि मुसलमानों का जमीन पर दावा नहीं बनता और इस बात के साफ साक्ष्य हैं कि पहले वहां उत्तर भारत की नगर प्रकृति का मंदिर था तो फिर जमीन के बंटवारे का आदेश देना ठीक नहीं है। जब एएसआई की खोदाई में साबित हो गया कि वहां पहले मंदिर था तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के इस्माइल फारुकी केस के मुताबिक फैसला करना चाहिए था। यह भी कहा गया है कि जब एक बार जमीन को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया गया है तो फिर उसे अंदर का हिस्सा बाहर का हिस्सा या केंद्रीय गुंबद आदि में बांटना असंगत है। न्यायमूर्ति एसयू खान के फैसले में यह कहना गलत है कि समयसीमा (लिमिटेशन) के मामले में भगवान हमेशा नाबालिग नहीं माने जा सकते। रामलला की अपील में न्यायमूर्ति खान और न्यायमूर्ति अग्रवाल के फैसले को चुनौती दी गई है, क्योंकि तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवी शर्मा ने बाकी सारे मुकदमे खारिज करते हुए सिर्फ भगवान राम के हक में फैसला दिया था।

अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं, जहां छह अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू होनी है। फाइल फोटो

निर्मोही अखाड़े का पक्ष

निर्मोही अखाड़े का अपील में कहना है कि जब मुसलमानों का जमीन का वाद खारिज कर दिया है तो उन्हें जमीन का हिस्सा कैसे बांटा जा सकता है। अखाड़ा का कहना है कि जमीन पर मालिकाना हक तो उनका ही बनता है।

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी अपील में कहा है। उनका वाद गलत खारिज किया गया है। उनका एडवर्स पजेशन का दावा सही है। हिंदू महासभा ने भी अपील दाखिल कर रखी है जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों को एक तिहाई जमीन देने का हाई कोर्ट का आदेश गलत है। मुहम्मद हाशिम की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बेटे इकबाल अहमद पक्षकार बन गए हैं। उनकी अपील भी लंबित है। इसके अलावा जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश की भी अपील लंबित है। तीन रिट याचिकाओं में सुब्रमण्यम स्वामी और शिशिर चतुर्वेदी की याचिकाएं शामिल हैं।

रोजाना सुनवाई का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया स्वागत

नागपुर, प्रेट्र : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को अयोध्या विवाद की रोजाना सुनवाई संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। संघ ने उम्मीद जताई कि राम मंदिर निर्माण की राह में आ रही कानूनी बाधा अब शीघ्र दूर हो जाएगी।

सर कार्यवाह भय्याजी जोशी के हवाले से संघ के आधिकारिक हैंडल के जरिये ट्वीट किया गया, 'हमें उम्मीद थी कि मध्यस्थता के जरिये राम मंदिर निर्माण की बाधा दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के छह अगस्त से रोजाना सुनवाई के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि एक तय समय सीमा में विवाद को खत्म किया जाएगा और समस्त कानूनी बाधाएं दूर होंगी। इसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा।'

यूं चला घटनाक्रम

- 1528-मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया।
- 1885-महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दाखिल करके राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के बाहर छतरी निर्माण की अनुमति मांगी। कोर्ट ने उनका अनुरोध ठुकराया।
- 1949-विवादित ढांचे के बाहर मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रखी मिलीं।
- 1950-गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में मुकदमा दायर करके राम लला की पूजा करने की अनुमति मांगी।
- परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा को जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए मुकदमा दायर किया।
- 1959-निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल पर कब्जा देने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।
- 1981-उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने विवादित स्थल का कब्जा देने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।
- एक फरवरी 1986-स्थानीय अदालत ने हिंदुओं के लिए विवादित स्थल का ताला खोलने का निर्देश दिया।
- 14 अगस्त 1989-इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
- छह दिसंबर 1992-राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा ढहाया गया।
- तीन अप्रैल 1993-केंद्र सरकार ने कानून बनाकर विवादित क्षेत्र के एक हिस्से का अधिग्रहण किया।
- कानून के विभिन्न पहलुओं का विरोध करते हुए इस्माइल फारुकी समेत कई अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।
- अनुच्छेद 139-ए में दिए गए विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में लंबित सभी याचिकाओं को अपने यहां स्थानांतरित किया।
- 24 अक्टूबर 1994-इस्माइल फारुकी मामले में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है।
- अप्रैल 2002-विवादित क्षेत्र के मालिकाना हक को लेकर हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की।
- 13 मार्च 2003-असलम उर्फ भूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहीत किए गए हिस्से में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- 30 सितंबर 2010-हाई कोर्ट ने दो-एक के अनुपात में विवादित क्षेत्र का सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच तीन हिस्सों में विभाजन किया।
- नौ मई 2011-सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।
- 21 मार्च 2017-चीफ जस्टिस जेएस केहर ने विभिन्न पक्षों को कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाने की सलाह दी।
- सात अगस्त-सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1994 में दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने के लिए तीन जजों की पीठ बनाई।
- आठ फरवरी 2018-सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई शुरू की।
- 20 जुलाई-सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
- 27 सितंबर-सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ को सौंपने की बात से इन्कार करते हुए कहा कि इस पर तीन जजों की नई पीठ 29 अक्टूबर से सुनवाई करेगी।
- 29 अक्टूबर 2018-सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के पहले सप्ताह में उपयुक्त पीठ द्वारा सुनवाई की बात कही।
- 24 दिसंबर 2018-सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार जनवरी से करने की बात कही।
- चार जनवरी 2019-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उपयुक्त पीठ 10 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय करने के लिए आदेश पारित करेगी।
- आठ जनवरी 2019-सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित की। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, एनवी रमना, यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ थे।
- 10 जनवरी-जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई से अपने को अलग किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की।
- 25 जनवरी-सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ का पुनर्गठन किया। नई पीठ में जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नजीर हैं।
- 29 जनवरी-अधिग्रहीत की गई 67 एकड़ जमीन उनके मूल मालिकों को लौटाने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी।
- 26 फरवरी-सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को मध्यस्थता से निपटाने की बात कही।
- आठ मार्च-सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के निपटारे के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला के नेतृत्व में मध्यस्थता पैनल का गठन किया।
- नौ अप्रैल-निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में अधिग्रहीत जमीन लौटाने के केंद्र के कदम का विरोध किया।
- नौ मई-तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल ने अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।
- 10 मई-सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को 15 अगस्त तक का समय दिया।
- 11 जुलाई-सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट मांगी।
- 15 जुलाई-विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट से एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती मामले का निपटारा करने के लिए छह और महीने का समय मांगा।
- 18 जुलाई-सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। एक अगस्त को रिपोर्ट देने को कहा।
- 19 जुलाई-सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जज को फैसला देने के लिए नौ महीने का समय दिया।
- एक अगस्त-सीलबंद लिफाफे में मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी।
- दो अगस्त-मध्यस्थता सफल नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने छह अगस्त से रोजाना सुनवाई का निश्चय किया।

11 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों की सूचना देने वाले व्यक्ति को। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 3 अगस्त 2019

न्यूज गैलरी

विहाग वैभव को भारतभूषण अग्रवाल पुरस्कार

नई दिल्ली : तारसप्तक के कवि भारतभूषण अग्रवाल की स्मृति में दिया जानेवाला 'भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार' बनारस के युवा कवि विहाग वैभव को दिया जाएगा। 2018 के लिए ये पुरस्कार 'तद्भव' पत्रिका में प्रकाशित उनकी कविता 'चाय पर शत्रु-सैनिक' के लिए दी जाएगी। इस पुरस्कार का निर्णय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि अरुण कमल ने किया। पुरस्कार रजा फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में 11 अक्टूबर-2019 को प्रदान किया जाएगा। (जेएनएन)

वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी का निधन

गाजीपुर : परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी (96) ने शुक्रवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने गाजीपुर में दुल्लहपुर स्थित अपने आवास पर दोपहर डेढ़ बजे अंतिम सांस ली। उनके गांव धामुपुर स्थित कब्रिस्तान में उन्हें शनिवार को सिपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमेरिकी टैंकों को नेस्तनाबूद वाले वीर अब्दुल हमीद जंग के मैदान में ही शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जानकारी के मुताबिक, अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी रोज की तरह शुक्रवार सुबह वह अपने नियत समय पर उठीं। इसके बाद घर के सदस्यों से 10 सितंबर को मनाए जाने वाले वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस की तैयारियों पर चर्चा की। दोपहर करीब एक बजे उनकी तबीयत गड़बड़ हुई, जिसकी सूचना उनके पोते ने घर के सदस्यों को दी। उन लोगों के घर पहुंचते-पहुंचते रसूलन बीबी की सांस उखड़ चुकी थी। (जासं)

केदारनाथ धाम में यात्रियों को मिली एटीएम सुविधा

रुद्रप्रयाग : केदारनाथ धाम में आपदा के छह साल बाद एक बार फिर यात्रियों के लिए एटीएम सेवा शुरू हो गई है। एचडीएफसी बैंक ने केदारनाथ धाम परिसर में एटीएम लगाया, जिसे शुक्रवार से यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया। केदारनाथ में 2013 की आपदा से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक की अस्थाई शाखा थी, जो छह महीने तक केदारनाथ में संचालित होती थी। आपदा में बैंक की शाखा बह गई। इसके बाद से केदारनाथ में बैंकिंग सेवाएं शुरू नहीं हो पाई। शुक्रवार को केदारनाथ धाम में एटीएम की सेवा शुरू हो गई। इससे यहां आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। अभी तक कोई एटीएम न होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। केदार सभा के अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला ने एटीएम सेवा शुरू होने पर प्रसन्नता जताई है और उम्मीद की है कि जल्द ही धाम में बैंक की अस्थाई शाखा भी खोले जाने की व्यवस्था की जाएगी। (जासं)

मां शारिका भवानी मंदिर में हुई पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा

श्रीनगर : बाबा अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर स्थगित कर दी गई है, लेकिन शुक्रवार को हारि पर्वत स्थित मां शारिका भवानी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान अमरेश्वर की पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा की गई। इसके बाद छड़ी मुबारक विश्रामस्थल दशनामी अखाड़ा लौट गई। गौरतलब है कि मां शारिका भवानी को श्रीनगर की ईष्ट देवी माना जाता है। (राब्यू)

जनमत मुद्दा

क्या देश समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर बढ़ रहा है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

45 मिनट, तीन रीटेक, ट्रक की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटा ही

उन्नाव दुष्कर्म कांड ▸ 'कातिल' ट्रक के रूट पर सीबीआइ ने की दिनभर माथापच्ची, अटौरा में चला दुर्घटना का नाट्य रूपांतरण

शैलेश शुक्ल, रायबरेली

रुको-रुको, ऐसे नहीं... यह कहते हुए सीबीआइ अधिकारी ट्रक की ओर दौड़े। चालक से बोले-'ट्रक स्पीड में लेकर आओ, तब सीन बनेगा।' चालक बोला-'साहब तेज चलइब तो कमानी टूटि जाइ।' तो अधिकारी बोले-'तुम डरो नहीं, हम पैसे देंगे। बस तुम गाड़ी तेज स्पीड में लेकर आओ...।'

शुक्रवार की शाम अटौरा के सुल्तानपुर मोड़ पर यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं, बल्कि इसी मोड़ पर उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की कार दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना का नाट्य रूपांतरण यानी सीन रीक्रिशन था। इसके लिए सीबीआइ और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम की टीम शाम साढ़े चार बजे ही मौके पर आ गई। ट्रक और कार की पोजीशन तय करने, ट्रैफिक रोकने और सड़क किनारे से लोगों को हटाने में वक्त लगा।

नाकाम रहा पहला प्रयास, साबित नहीं हुई भिड़ंत

सीन-1

सबकुछ ओके होते-होते साढ़े पांच बज गए, लेकिन कातिल ट्रक का सच जानने का पहला प्रयास नाकाम रहा। मौजूदा ट्रक चालक ने बताया कि स्पीड 40 किमी प्रति घंटा ही रही। इस पर उसे दोबारा वापस भेजा गया, कार को भी लालगंज की तरफ बैक कराया गया।

सीन-2

इस बार ट्रक 45 किमी प्रति घंटे की स्पीड से आया और कार 60 की, लेकिन फिर पहली बार की तरह दोनों गाड़ियां अगल-बगल आ गईं। इस पर वहां मौजूद सीबीआइ के अधिकारी थोड़ा निराश हुए।

सीन-3

उन्होंने फिर चालक को 50 की स्पीड से ट्रक लाने को कहा। तीसरे टेक में जब ट्रक आया और मोड़ पर ड्राइवर ने ब्रेक ली तो तेज आवाज आई। ट्रक लगभग पांच फीट सड़क पर घिसटा और दाहिनी साइड हल्का सा मुड़ गया मगर बात फिर भी नहीं बनी। कार तो दूर ही खड़ी रह गई।

प्रत्यक्षदर्शियों से कराया सामना : ट्रक का 70 की स्पीड में आना, फिसलते हुए दाहिनी साइड जाना और फिर बाएं मुड़ जाना... जब ये सीन क्रिएट नहीं हो पाया तो घटना के प्रत्यक्षदर्शियों को बुलाया गया। उन्होंने जैसा बताया, ट्रक हल्की स्पीड में मोड़कर ठीक वैसे ही खड़ा कर दिया गया, जैसी स्थिति में रविवार को एक्सीडेंट के बाद था। फिर कार को भी लाकर ट्रक के पिछले पहिए के पास लाकर खड़ा कर दिया गया। उसके बाद मीटर से नापजोख की गई।

रीक्रिएशन देखने को उमड़ी भीड़ : ये सब करने में लगभग 45 मिनट का वक्त लग गया। इस दौरान लालगंज-रायबरेली मार्ग पर दोनों ओर भारी भीड़ जमा हो गई। सीन रीक्रिएशन से संतुष्ट होने पर सीबीआइ की ज्वाइंट डायरेक्टर संपत मीना और उनकी टीम वापस लौट गई। फोरेंसिक व सीबीआइ के कुछ अधिकारी देर शाम तक वहां मौजूद रहे और यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि ये हादसा है या फिर साजिशन ऐसा किया गया।

उत्तर प्रदेश की उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसा स्थल पर शुक्रवार को सीबीआइ और फॉरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल की। प्रेट्र

मप्र आकर रहे उन्नाव की बेटी : कमलनाथ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उन्नाव दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घेरते हुए ट्वीट किया है। कमलनाथ ने उन्नाव की बेटी से अपील की है कि वह परिवार सहित मध्य प्रदेश में आकर रहें। मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से शुक्रवार को ट्वीट किया गया, 'उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। उत्तर प्रदेश को असुरक्षित मान छोड़ने का निर्णय ले चुकी पीड़िता की मां व परिजनों से मैं अपील करता हूं कि वे सभी मध्य प्रदेश आकर बसने का निर्णय लें। हमारी सरकार आपके पूरे परिवार को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी।' अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'बच्ची का हम बेहतर इलाज कराएंगे। उसकी बेहतर शिक्षा से लेकर संपूर्ण दायित्व हम निभाएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं होने देंगे। दिल्ली केस ट्रांसफर होने पर आपके दिल्ली आने-जाने की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे।'

जांच को सीबीआइ ने बनाई 20 सदस्यीय टीम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के साथ हुई सड़क दुर्घटना के मामले की जांच में सीबीआइ तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। रायबरेली में हुए हादसे की जांच के लिए सीबीआइ ने 20 सदस्यीय विशेष टीम गठित की है। सीबीआइ दिल्ली के कुछ अधिकारियों के साथ केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब के छह विशेषज्ञों की टीम शुक्रवार को लखनऊ पहुंची और फिर रायबरेली जाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सीबीआइ ने मौके पर घटना का परिदृश्य भी दोहराया। सीबीआइ ट्रक मालिक, चालक व क्लीनर की मोबाइल कॉल डिटेल खंगालने के साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य आरोपितों के बारे में भी छानबीन कर रही है। सीबीआइ की एक टीम ने बांदा जाकर भी छानबीन की है। बांदा से ही ट्रक मौरंग लादकर रायबरेली पहुंचा था।

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को ट्रामा सेंटर के क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) वार्ड में भर्ती पीड़िता व अधिवक्ता तथा परिवारीजन की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पीड़िता और वकील के घर पर भी सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। पीड़िता के दूसरे वकील अजेंद्र अवस्थी और अशोक द्विवेदी की सुरक्षा में भी सीआरपीएफ जवान मुस्तैद किए गए हैं।

पीड़िता को चढ़ा रक्त, खतरा बरकरार : लखनऊ के केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसके फेफड़े में जमा रक्त निकाल दिया गया है लेकिन, मल्टीपल फ्रैक्चर से काफी रक्तस्राव हुआ था। ऐसे में डॉक्टरों को 10 यूनिट खून चढ़ाना पड़ा। उधर, घायल वकील को एक बार फिर वेंटिलेटर से हटा लिया गया है।

चाचा को भेजा तिहाड़ जेल : रात करीब 8:35 बजे सीआरपीएफ के 17 अधिकारियों व कर्मियों की टीम पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल से सड़क मार्ग से लेकर तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गई।

सीबीआइ ने दर्ज किये चाचा के बयान : सीबीआइ लखनऊ की टीम ने शुक्रवार देर शाम रायबरेली जेल में पीड़िता के चाचा से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किये। चाचा से कई अहम बिंदुओं पर जानकारी ली गई।

पुलिसकर्मियों से भी हुई पूछताछ : दिल्ली सीबीआइ के अधिकारियों ने शुक्रवार को उन्नाव के माखी थाने के कई पुलिसकर्मियों को लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय में तलब कर पूछताछ की। इनमें कई तत्कालीन पुलिसकर्मी भी थे।

कुलदीप सेंगर के हथियार लाइसेंस रद

जागरण संवाददाता, उन्नाव : दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने और सीबीआइ टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद से लटकी विधायक कुलदीप सेंगर के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई आखिर 15 माह बाद शुक्रवार को पूरी हो ही गई। जागरण द्वारा उठाए गए प्रकरण का संज्ञान लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने विधायक के तीनों शस्त्र (एकनाली बंदूक, राइफल और रिवाल्वर) लाइसेंस रद करने का आदेश जारी कर दिया। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या और उसके बाद सीबीआइ द्वारा गिरफ्तारी के बाद विधायक के सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी के तबादले के बाद प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई थी।

सुरक्षा को लेकर पुलिस ने आजम और उनके बेटे को चेताया, घर पर नोटिस चस्पा

जागरण संवाददाता, रामपुर

सांसद आजम खां को उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सावधान किया। शुक्रवार को एसपी की ओर से आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम के घर पर सुरक्षा संबंधी लापरवाही को लेकर नोटिस चस्पा कराया गया। एसपी अजयपाल शर्मा ने बताया कि नोटिस में आजम खां को परामर्श दिया गया है कि आप सुरक्षाकर्मियों अपने साथ लेकर भ्रमण नहीं कर रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। यह सुरक्षा आपके पद व जीवन भय के दृष्टिगत उपलब्ध कराई गई है। इसलिए प्रदत्त सुरक्षा को साथ लेकर भ्रमण किया जाना उचित है। घर से निकलते समय शासन की तरफ से तैनात सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर ही निकलें। इसी तरह का नोटिस आजम खां के विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के नाम से भी चस्पा किया गया है।

एसपी ने बताया कि सांसद आजम खां को वाई श्रेणी (दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और पांच सिपाही) की सुरक्षा उपलब्ध है। इसके साथ ही उनके आवास पर गारद भी लगी रहती है। दो सशस्त्र सुरक्षाकर्मी भी उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। आजम खां के खिलाफ पिछले एक माह से बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उनके खिलाफ जमीन कब्जाने के 26 मुकदमे दर्ज हुए हैं। प्रशासन ने उन्हें भू माफिया घोषित कर दिया है। ईडी ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

> मेरे संज्ञान में आया था कि सांसद आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम भ्रमण पर जाते हैं तो सुरक्षाकर्मियों को साथ नहीं ले जाते हैं। चूंकि न ही आजम खां और न ही अब्दुल्ला आजम घर पर मौजूद मिले इसलिए नोटिस चस्पा कराया गया है।
> **-अजयपाल शर्मा, एसपी रामपुर।**

आजम को गुनाहों की सजा दे रहा अल्लाह : जयाप्रदा

जासं, रामपुर : पूर्व सांसद जयाप्रदा ने कहा कि आजम ने रामपुर के तमाम गरीब, मजलूमों का दिल दुखाया है, अब उनकी बारी है। अल्लाह उन्हें उनके गुनाहों की सजा दे रहा है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मीडियाकर्मियों से उन्होंने कहा कि आजम खां ने मुसलमानों के नाम पर राजनीति करके अपार संपत्ति इकट्ठा कर ली है। गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया।

जौहर यूनिवर्सिटी गेट मामले में हाई कोर्ट का हस्तक्षेप से इन्कार

जासं, प्रयागराज: मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर का गेट गिराने व सवा तीन लाख रुपये हर्जाना लगाने के एसडीएम के आदेश के खिलाफ याचिका पर सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने याची को आदेश के खिलाफ जिला जज के समक्ष अपील दाखिल करने की छूट दी है। साथ ही मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिका निस्तारित कर दी है। याची के अधिवक्ता सफदर काजमी का कहना था कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आजम खां के विरुद्ध प्रशासन राजनीतिक भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रहा है। इसके चलते विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह का कहना था कि सरकारी जमीन व गेस्ट हाउस को विश्वविद्यालय की बाउंड्री में घेरकर अवैध कब्जा किया गया है।

केरल के निलंबित डीजीपी बोले-और ज्यादा बोलना चाहिए जय श्रीराम

- गुरुवार को आयोजित रामायण उत्सव के दौरान की टिप्पणी
- कहा, देश में हो रहे राक्षसी कार्यों को देखते हुए राम नाम का जाप जरूरी

त्रिशूर (केरल), एएनआइ: केरल में निलंबित चल रहे डीजीपी जैकब थॉमस ने कहा है, 'जय श्रीराम' का जप और ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में जो राक्षसी कार्य हो रहे हैं। उन्हें देखते हुए 'जय श्रीराम' का जप जरूरी है।

गुरुवार को यहां आयोजित 'रामायण उत्सव' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि लगता है भगवान राम हैं ही नहीं। उन्होंने कहा, 'क्या भगवान राम अभी भी अपनी धरती पर मौजूद हैं। क्या हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां पर हम जय श्रीराम नहीं कह सकते हैं। अगर हमारी मानसिक स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच गई है, जहां पर हम भगवान राम की जय नहीं बोल सकते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर कौन सी बुराई घर कर गई है। अब ऐसा समय आ गया है जब हमें ज्यादा से ज्यादा 'जय श्रीराम' बोलना चाहिए।'

दिया जा चुका है बहाल करने का निर्देश : जैकब का यह बयान ऐसे समय आया जब 'जय श्रीराम' नहीं कहने पर कथित तौर पर कई लोगों को पीटने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार को जैकब को बहाल करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करने के चलते केरल सरकार ने उन्हें 2017 में निलंबित कर दिया था। हाल ही में जैकब कोच्चि में आयोजित संघ के एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह पिछले कई वर्षों से संगठन के करीब हैं।

मालेगांव धमाके के 38 सरकारी गवाहों को सुरक्षा देने की अपील

- एनआइए ने इस बारे में बांबे हाई कोर्ट को दी जानकारी
- सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने को बंद कमरे में सुनवाई चाहती है एजेंसी

मुंबई, प्रेट्र : वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके में 38 संवेदनशील सरकारी गवाहों को पुलिस सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने निचली अदालत में अपील दायर की है। यह जानकारी एनआइए ने शुक्रवार को बांबे हाई कोर्ट को दी। साथ ही अदालत से यह अपील भी की कि वह मामले की बंद कमरे में सुनवाई चाहती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालती कार्यवाही की बेवजह की चर्चा से 'सांप्रदायिक सौहार्द' बिगड़ सकता है।

ध्यान रहे कि भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और पांच अन्य इस मामले में आरोपित हैं। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के तहत आतंकवाद और साजिश रचने की दफाएं लगाई गई हैं। एनआइए ने शुक्रवार को यह अपील जस्टिस आइए महंती और एएम बदर की उस खंडपीठ से की है, जो पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पुरोहित की याचिका में गवाहों के बयान की विस्तृत प्रतियां दर्ज हैं जोकि आरोपपत्र का भी हिस्सा हैं। एनआइए के वकील संदेश पाटिल ने हाई कोर्ट को बताया कि 475 गवाहों में से 186 के बयानों को छोटा किया गया है। इन 186 गवाहों में से 38 गवाह बेहद संवेदनशील हैं। उन्हें सुरक्षा की जरूरत है और उनके सुबूतों और गवाही को अदालत के बंद कमरे में रिकॉर्ड किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वह आरोपित पुरोहित को शेष गवाहों के बिना कटे बयानों को देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी विशेष एनआइए अदालत में इस संबंध में अपील करेगी। इसके बाद खंडपीठ ने पुरोहित की अपील पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। इससे एक दिन पहले गुरुवार को एनआइए ने विशेष अदालत के जज वीएस पदलकर की अदालत में 2008 मालेगांव धमाके की सुनवाई बंद कमरे में कराने की अपील की। यानी इसकी सुनवाई से मीडिया को दूर रखा जाए। एनआइए की दलील है कि सुनवाई को जरूरत से ज्यादा प्रचार मिलने से सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंच सकती है।

गुजरात में बारिश के बीच मगरमच्छों का खतरा...

गुजरात के वडोदरा में मूसलधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इससे आम जनजीवन अस्तव्यस्त होने के साथ यहां मगरमच्छों का भी खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार को जलमग्न इलाके से वनकर्मियों ने एक मगरमच्छ को पकड़ा। शहर के पास बहने वाली विश्वामित्री नदी में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। भारी बारिश के बाद इस नदी के उफनने से रिहायशी इलाकों में कुछ मगरमच्छ आ गए हैं। वडोदरा के जलमग्न इलाके में मगरमच्छ द्वारा कुत्ते पर हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बुधवार को यहां मूसलधार बारिश हुई थी। रायटर

मोबाइल पर दिया तलाक, बीवी ने दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, नूंह : हरियाणा के नूंह में एक व्यक्ति ने मोबाइल फोन पर ही पत्नी को तत्काल तीन तलाक दे दिया। पीड़ित बीवी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पिनगवां के गांव ढाडोलीकलां के सलाउद्दीन की पत्नी साजिदा मायके गई हुई है। सलाउद्दीन ने दो दिन पहले अपनी सास से फोन पर बात की थी, लेकिन उसने बेटी को ससुराल भेजने से मना कर दिया। इससे नाराज हो उसने फोन पर ही बीवी को तलाक दे दिया। साजिदा नगीना थाने पहुंचीं और शौहर के खिलाफ शिकायत दी। उसने पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।

पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए बीती 30 जुलाई को राज्यसभा में पारित हुए अधिनियम की धारा 4 व जान से मारने की धमकी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी अजय वीर सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। तीन तलाक की धारा तथा जान से मारने की धमकी देने की धारा लगी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

असली नायक

प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी बिहार के गोपालगंज की महिला, ट्रेन में कोई सुविधा न मिलने पर आगे आईं कैडेट्स ने बचाईं दो जानें, महिला ने बच्ची को दिया जन्म

एनसीसी कैडेट्स बेटियों ने चलती ट्रेन में कराया प्रसव

जागरण संवाददाता, हरदोई

रेल सफर के दौरान बिहार से पति के साथ बहन के पास हरदोई जा रही महिला प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी। रेलवे किसी तरह की चिकित्सीय सेवा उपलब्ध नहीं करा सका तो कोच में गोरखपुर से बरेली जा रहीं एनसीसी कैडेट्स बेटियां भगवान बनकर सामने आईं। असली नायक साबित हुईं इन एनसीसी कैडेट्स बेटियों ने रेल में सुरक्षित प्रसव कराकर दो जानें बचाईं। महिला नवजात बच्ची को लेकर खुशी-खुशी बड़ी बहन के घर पहुंची।

बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के पडरौना निवासी शशिकांत मिर्जापुर की चुनार सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। उनकी पत्नी नेहा सिंह गर्भवती थीं। सुरक्षित प्रसव और देखभाल के लिए नेहा अपनी बड़ी बहन अर्चना सिंह के पास हरदोई आ रही थीं। बुधवार की शाम शशिकांत और नेहा बाघ एक्सप्रेस में सवार हुए। शशिकांत ने बताया कि बस्ती के आगे करीब आठ बजे नेहा को प्रसव पीड़ा होने लगी। गोंडा पहुंचते-पहुंचते नेहा तड़पने लगी। टीसी से मदद मांगी, लेकिन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। टीसी ने लखनऊ तक किसी तरह चलने की बात कही। उसी कोच में बरेली जा रहीं एनसीसी ग्रुप गोरखपुर की टीम छात्राएं बैठी थीं। गर्ल्स टीम की सीमा राय मदद को आगे आईं। सीमा ने बताया कि एनसीसी के प्रशिक्षण में ही प्राथमिक उपचार समझाया जाता है। टीम के साथ सेना की चिकित्सा कोर से एस सी पांडी भी चल रहे थे। उन्होंने भी सूझबूझ दिखाते हुए पीड़ित की मदद की। सीमा राय के अनुसार जो भी संसाधन थे उसी से नेहा का प्रसव कराने का उन्होंने बीड़ा उठाया और वह सफल भी हुईं। नेहा सिंह ने बच्ची को जन्म दिया। बुधवार रात करीब 12 बजे ट्रेन लखनऊ के चारबाग पहुंची। यहां टीसी के प्रयास से चारबाग पर महिला स्वास्थ्य कर्मी ने बच्ची की नाल में क्लिप लगाई। गुरुवार की भोर में ट्रेन हरदोई पहुंची। यहां आरपीएफ ने उन्हें एंबुलेंस से हरियावां चीनी मिल पहुंचाया। शशिकांत और उनकी पत्नी नेहा सिंह कहती हैं कि सीमा राय और उनके साथ मौजूद एनसीसी कैडेट उनके लिए भगवान बन गए और उन लोगों ने ही उन्हें खुशी और जिंदगी दी।

हरदोई में अपनी बहन के घर पर पति शशिकांत के साथ नेहा। गोद में नवजात बच्ची। जागरण

ट्रेन में नहीं था पानी, रेल नीर से धोए हाथ

शशिकांत और सीमा राय ने बताया कि बाघ एक्सप्रेस के एस-04 कोच में पानी तक नहीं था। सीमा बताती हैं कि नेहा प्रसव पीड़ा से तड़प रही थीं। पानी की जरूरत पड़ी तो कोच क्या पूरी ट्रेन में पानी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि गोंडा में रेल नीर की बोतलें खरीदीं और प्रसव कराने के बाद उनसे ही हाथ धुले। शशिकांत और उनकी पत्नी नेहा ने सीमा व उनकी साथियों का धन्यवाद किया और कहा कि आज उनकी वजह से ही दो जिंदगियां बच सकी हैं।

सीमा राय जागरण

समुद्र के बीच बोट में रुके मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति

- वैध दस्तावेज न होने से भारत ने नहीं दी प्रवेश की अनुमति

तूतीकोरीन, प्रेट्र/आइएएनएस : बिना वैध दस्तावेज के भारत आए मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर अपने देश में अनुकूल परिस्थिति न देखते हुए फिलहाल बीच समुद्र में रुके हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय भूमि पर उतरने की इजाजत नहीं दी है। तमिलनाडु पुलिस के अनुसार उसके पास गफूर की वापसी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। भारतीय एजेंसियों ने गुरुवार को गफूर से पूछताछ की थी।

गफूर को भारतीय जल सीमा में आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। वह अपने देश में कई गंभीर आरोप लगने के बाद समुद्री मार्ग से बिना दस्तावेज के भारत आए हैं। पता चला है कि उनका पासपोर्ट भी मालदीव में जब्त है। गफूर की बोट ने नौ सदस्यीय चालक दल के साथ फिलहाल थुथुकुडी तट के पास समुद्र के बीच में लंगर डाल रखा है। यहीं पर गुरुवार को भारतीय तटरक्षक बल ने बोट को रोका था। केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस दूर से ही बोट पर नजर रख रही है। उसे गफूर के संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना नहीं है। मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साफ किया है कि गफूर बिना सूचना और बिना आवश्यक दस्तावेजों के भारत आए हैं। वह अघोषित प्रवेश मार्ग से भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्हें भारत में रुकने की अनुमति नहीं जा सकती। उल्लेखनीय है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित भारत का मित्र देश है। वहां पर कुछ महीने पहले ही लोकतंत्र की बहाली हुई है।

राजनीतिक शरण की मांग : ब्रिटिश अधिवक्ता टॉबी कैडमैन ने गफूर का पक्ष रखते हुए भारत से उन्हें राजनीतिक शरण देने की मांग की है। बताया है कि मालदीव में गफूर को जान का खतरा है, इसलिए वह भारत आए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक भारत से गफूर को शरण देने का अनुरोध किया है।

7.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है उत्तर प्रदेश ठोस कचरा प्रबंधन कमेटी ने कूड़े के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर एसएन मेडिकल कॉलेज, नगर निगम आगरा, नगर निगम मथुरा व मेसर्स जेआरआर पर। छह माह के भीतर सुझावों पर अमल नहीं करने पर फिर से जुर्माना लगाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के हालात पर नेकां ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक

सियासत ▶ प्रधानमंत्री की फारूक से मुलाकात को लेकर पीडीपी सहित कई दल खफा

अब पीडीपी के बैठक में शमिल होने को लेकर संशय

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 38 हजार जवानों की तैनाती के साथ अफवाहों से उपजे हालात के बीच नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं, गुरुवार को फारूक की प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर कई दल खफा हैं। ऐसे में पीडीपी के भी बैठक में शामिल होने को लेकर संशय बना हुआ है।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह अच्छी बात है कि सर्वदलीय बैठक हो रही है। इसमें सभी अपना पक्ष रख पाएंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि बैठक से पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे सर्वदलीय बैठक का मकसद प्रभावित होता। बेहतर होता कि नेकां नेतृत्व सर्वदलीय बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री से मिलता। यह पूछे जाने पर कि क्या वह प्रस्तावित बैठक में शामिल होंगी तो उन्होंने कहा कि यह बैठक हमारे प्रस्ताव पर ही बुलाई जा रही है।

पीपुल्स यूनाइटेड फ्रंट के संयोजक और पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद ने कहा कि हमने भी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। हम नेकां की बुलाई बैठक में भी शामिल होंगे। आखिर इस समय जम्मू कश्मीर की नहीं हमारी पहचान का भी संकट बना हुआ है। अगर इसके लिए हमें किसी अन्य दल में शामिल होना पड़ता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नेकां की सर्वदलीय बैठक में ही हमें पता चलेगा कि उमर और डॉ. फारूक ने प्रधानमंत्री से क्या बातचीत की है।

पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि सवाल नेकां, कांग्रेस, पीडीपी या माकपा का नहीं है। यह जम्मू कश्मीर के भविष्य का सवाल है। हम अमन बहाली के लिए, संवैधानिक दर्जे की हिफाजत के लिए किसी के साथ चलने को तैयार हैं। नेकां की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक में हम अपने संगठन में विचार विमर्श कर रहे हैं। नेकां नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद बैठक के मायने बदल जाते हैं।

सुरक्षा कारणों से अमरनाथ श्रद्धालुओं को लौटने के लिए राज्य प्रशासन की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के बाद जम्मू में आधार शिविर भगवती नगर में बसों में सामान रखकर लौटने की तैयारी करते यात्री। जागरण

जैश के पांच आतंकी कमांडरों की घुसपैठ की सूचना के बाद अलर्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ कश्मीर में चलाया गया विशेष अभियान, वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा गया

सीमा पार से कश्मीर में जैश-ए-मुहम्मद के पांच नए आतंकी कमांडरों की घुसपैठ की सूचना के बाद पूरी वादी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं, आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा अपने स्थानीय नेटवर्क की मदद से श्री अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने और बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम देने के सेना के पर्दाफाश के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। आतंकी हमले से पैदा होने वाले किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना और वायुसेना को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। श्रीनगर में वायुसेना के युद्धक विमानों ने शुक्रवार को आसमान में कई बार उड़ान भरी।

अल्पसंख्यकों की बस्तियों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कड़ी : सूत्रों ने बताया कि कश्मीर में आतंकी हमले की रची जा रही साजिश और जैश के पांच नए कमांडरों की घुसपैठ के बाद से पूरी वादी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर भी अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। वादी में रहने वाले अल्पसंख्यकों की बस्तियों और धर्मस्थलों की सुरक्षा की भी समीक्षा करते हुए उसमें व्यापक बदलाव लाया गया है। सभी संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की गश्त बढ़ाने के साथ ही श्रीनगर समेत वादी के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में आने जाने के रास्तों पर विशेष नाके और जांच चौकियां बनाई गई हैं। श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग और जम्मू-श्रीनगर हाईवे की चौकसी में भी बढ़ोतरी की गई है।

वादी में चोरी हुए वाहनों का जुटाया जा रहा आंकड़ा : सूत्रों ने बताया कि पांच आतंकी कमांडरों ने कुछ दिन पहले ही उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की है और इस समय वह वादी के अंदरूनी इलाकों में अपने तथाकथित मददगारों तक पहुंच चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह सभी अफगानिस्तान में भी लड़ चुके हैं। आतंकी पुलवामा कांड की तरह किसी जगह दोबारा कोई बड़ा वाहन धमाका न कर सकें, इसके लिए वादी में बीते दिनों चोरी हुए विभिन्न वाहनों का भी पता किया गया जा रहा है। कई वाहन चोरों और पुराने वाहनों को खरीद फरोख्त करने वाले दुकानदारों से भी एहतियातन पूछताछ की गई है।

शोपियां में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, जवान शहीद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शुक्रवार देर रात सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इस दौरान एक सैन्यकर्मी शहीद हो गया और एक अन्य जवान जख्मी हो गया। मुठभेड़ के दौरान आतंकी समर्थक तत्व, पत्थरबाज और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में भी पांच लोगों के जख्मी होने की सूचना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने शोपियां में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया। शहीद जवान की पहचान जाट रेजिमेंट के रामवीर निवासी गांव हुलवाना, जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं, जाहिदबाग इलाके में गुजर रहे सेना की 55 आरआर के दल को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने गुरुवार देर रात एक आइईडी धमाका किया। इस धमाके में जवानों का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन भीतर सवार जवान बाल-बाल बच गए।

कांग्रेस ने कश्मीर पर केंद्र से की सधे कदमों की अपील

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ केंद्र के फैसले से मचे हड़कंप पर जताई चिंता

▶ अनुच्छेद-35ए और 370 पर यथास्थिति कायम रखने का अनुरोध

अमरनाथ यात्रा रद करने से लेकर जम्मू-कश्मीर में जबरदस्त सुरक्षा अलर्ट बढ़ाए जाने से पनपे हालत पर कांग्रेस ने चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से ऐसा कोई कदम नहीं उठाने का आग्रह किया है। इससे सूबे का संकट और गहरा जाए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस की कश्मीर कमेटी की हुई बैठक के बाद पार्टी ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को दिए गए सभी संवैधानिक गारंटी प्रावधानों को जारी रखना सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।

कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जारी दिशा-निर्देशों और फैसलों से सूबे में मची हलचल के मद्देनजर केंद्र सरकार से यह अपील की। मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में पार्टी की कश्मीर कमेटी की हुई विशेष आपात बैठक के बाद कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट से सूबे में चिंता और हड़कंप की स्थिति है। कांग्रेस के मुताबिक यह स्थिति गंभीर है और इसको लेकर सरकार के इरादों पर तमाम संदेह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की ओर से बैठक के बाद जारी बयान में यह भी कहा गया है कि श्री अमरनाथ यात्रा को खत्म करने, यात्रियों, नागरिकों और पर्यटकों के लिए केंद्र के असाधारण और अभूतपूर्व दिशा-निर्देशों के जारी करने से लोगों में जबरदस्त भय का माहौल पैदा हो गया है।

आजाद के मुताबिक कांग्रेस के इस कश्मीर समूह की बैठक में अनुच्छेद 35-ए और अनुच्छेद-370 को हटाने के केंद्र सरकार के इरादों को लेकर सूबे में व्यापक चिंता और भय पर भी चर्चा हुई। साथ ही इन प्रावधानों को सूबे में जारी रखने के कांग्रेस के रुख को बैठक में दोहराया गया और सरकार से आग्रह किया गया कि संविधान के तहत जम्मू-कश्मीर को दिए गए गारंटी के प्रावधानों को कायम रखा जाए।

पाकिस्तान करा सकता है बड़ा खूनखराबा

लंदन, एएनआइ : अमेरिका की नजरों में जम्मू-कश्मीर की स्थिति बहुत खराब दर्शाने के लिए पाकिस्तान वहां आतंकियों के जरिये बड़ा खूनखराबा करा सकता है। प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका जाकर खुद ही कह आए हैं कि पाकिस्तान में 30-40 हजार आतंकी मौजूद हैं। वह जताना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर और अफगानिस्तान में वारदात यही आतंकी करते हैं, उनसे पाकिस्तान की सरकार या सेना का कोई मतलब नहीं होता। भारत ने पाकिस्तान की मंशा को भांपते हुए जम्मू-कश्मीर में दो टुकड़ों में 38 हजार केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की है।

हालात पर प्रतिक्रिया जताते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता शबीर चौधरी के अनुसार भारत के कदम से पाकिस्तान और उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। कहा कि भारत के कदम का जवाब देने का पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनेगा, और जब वह जवाबी कदम उठाएगी तो उसकी अर्थव्यवस्था में और गिरावट आएगी। एम्सटर्डम स्थित यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जुनैद कुरैशी के अनुसार इमरान खान के कुबूलनामे ने पाकिस्तान सरकार की आतंकवाद को लेकर नीति की कलई खोल दी है। उन्होंने मान लिया है कि जम्मू-कश्मीर और अफगानिस्तान में पाकिस्तान से जाने वाले आतंकी ही हमले करते हैं। वह आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के फायदे आतंकियों से जुड़े हुए हैं। वे ही इन्हें अपने राजनीतिक हितों और छद्म युद्ध के लिए इस्तेमाल करते हैं।

यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के सरदार शौकत अली के अनुसार पाकिस्तान अपने कब्जे वाली कश्मीरी धरती का दुरुपयोग कर रहा है। वह वहां आतंकी तैयार कर उन्हें वारदात के लिए जम्मू-कश्मीर भेजता है। पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को प्रशिक्षण देती है और अपने हितों के मुताबिक उनका इस्तेमाल करती है।

गुलाम कश्मीर में आतंकियों से भरे हैं सभी लांच पैड

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

आर्मी कमांडर ढिल्लन के अनुसार, नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों पर घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां विफल करने में जुटी हैं। उनके अनुसार, गुलाम कश्मीर में सभी लांच पैड आतंकियों से भरे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना भारी गोलाबारी की आड़ में उनकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता से घुसपैठ के दौरान बड़ी संख्या में आतंकी मारे जा रहे हैं। अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर अटकलों को किया खारिज : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 280 कंपनियां भेजे जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले हफ्ते ही 100 कंपनियां भेजने का निर्णय लिया गया था, जिन्हें तैनाती के लिए विभिन्न जगहों पर भेजा जा रहा है। राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताते हुए कहा कि पिछले नौ महीने से पंचायत व लोकसभा चुनाव और बाद में अमरनाथ यात्रा के कारण अर्धसैनिक बल लगातार व्यस्त रहे हैं। उन्हें जरूरी ट्रेनिंग और आराम की जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त बलों को बुलाया गया है।

अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती से पाकिस्तान में दहशत

गगन कोहली, राजौरी

▶ पाक ने सीमा पर तैनात की अतिरिक्त टुकड़ियां, लड़ाकू विमान भी अलर्ट

▶ पाक को डर, कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए खत्म करने की फिराक में भारत

कश्मीर में सुरक्षातंत्र की मजबूती के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती से पाकिस्तान दहशत में आ गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक पाक सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। लड़ाकू विमानों के बेड़े को सीमा के पास तैनात कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा पर लिए जा रहे फैसलों की जानकारियां सीमा पार भी पहुंच रही हैं। पाक को आशंका है कि भारत सरकार कोई ऐसा बड़ा कदम उठा रही है, जिससे कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के अधिकारी और कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के आका बैठकें करके आगे की रणनीति को तय कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर भारत सरकार कोई ठोस कदम उठाती है तो उसी समय पाक सेना कई मोर्चों से सीमा पर गोलाबारी या फिर कुछ क्षेत्र में हवाई हमले कर सकती है। इस तरह की योजना पाक सेना ने तैयार कर ली है। पाक सेना के जनरल रैंक के कुछ अधिकारी दो दिन से सीमा पर मौजूद हैं। कुछ दिनों से जम्मू के पुंछ से लेकर उड़ी, गुरेज आदि क्षेत्रों में सीमा पर हो रही गोलाबारी पाक सेना की रणनीति का ही हिस्सा है।

सीमा के पास तोपें लाई गईं

जम्मू-कश्मीर के जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे पाक सेना और पाक की खुफिया एजेंसी को यही लग रहा है कि हम नाजुक समय में किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर लाभ उठा सकते है। सूत्रों का कहना है कि इसी सोच को लेकर पाक सेना ने तोपखाना भी सीमा के करीब लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी रेंज में राज्य के कई शहर और गांव हैं।

श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में लगातार बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच शुक्रवार को श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट निदेशक ने संबंधित अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के आधार पर श्रीनगर एयरपोर्ट के निदेशक ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर बैठक बुलाई। इसमें पुलिस और सीआरपीएफ, सेना और वायुसेना के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एयरपोर्ट के मौजूदा सुरक्षा तंत्र की समीक्षा करते हुए इसमें कुछ आवश्यक बदलाव लाने का फैसला हुआ। किसी भी आपात स्थिति में एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने, नागरिक विमानों की आवाजाही को सीमित करने और एयरपोर्ट को बंद करने की स्थिति में पैदा होने वाली परिस्थितियों से निपटने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है।

सरकार की एडवाइजरी के बाद कश्मीर से हवाई सेवा महंगी : पर्यटकों और अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों से कश्मीर छोड़ने के निर्देश के बाद हवाई सफर एकदम महंगा हो गया है। हवाई कंपनियां मौके का फायदा उठाने में जुट गई हैं। श्रीनगर से जम्मू का हवाई किराया 25 हजार तक कर दिया गया है। जबकि गुरुवार को यह किराया करीब पांच हजार था। जम्मू के गांधी नगर क्षेत्र में टूर एंड ट्रेवल्स की दुकान के संचालक शाली कुमार ने बताया कि स्पाइस जेट का किराया शनिवार को 15, 377 रुपये तो गो एयर 19 हजार से भी ज्यादा। वहीं, एयर इंडिया ने श्रीनगर से जम्मू का टिकट 16 हजार से 25 हजार रुपये तक का कर दिया है। ऐसे में लोगों की दिक्कत बढ़ गई है।

घाटी के निवासी भी घबराए : पर्यटकों से कश्मीर छोड़ने की अपील के बाद घटी के निवासी भी घबरा गए हैं। इनमें से कई परिवार सुरक्षा कारणों से जम्मू आने का मन बना चुके हैं। कई लोगों ने जम्मू में रहने वाले अपने परिचितों से उनके लिए किराये के मकान ढूंढने के लिए भी कह दिया है।

डीजीसीए की एडवाइजरी, अतिरिक्त उड़ानों के लिए तैयार रहें एयरलाइनें

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को एयरलाइनों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि वे जरूरत पड़ने पर श्रीनगर एयरपोर्ट से अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करने के लिए तैयार रहें।

सूत्रों ने बताया, 'शुक्रवार रात करीब 8.45 बजे डीजीसीए ने श्रीनगर एयरपोर्ट के हालात का जायजा लिया। फिलहाल अतिरिक्त उड़ानों के संचालन की जरूरत महसूस नहीं की गई। लेकिन अगर बाद में जरूरत हुई तो एयरलाइनों को अतिरिक्त उड़ानों का संचालन करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।' इंडिगो ने ट्वीट कर कहा, 'कश्मीर में ताजा सुरक्षा हालात और इस संबंध में सरकारी की एडवाइजरी के मद्देनजर हम नौ अगस्त तक श्रीनगर आने-जाने वाली सभी फ्लाइटों के यात्रा पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण का शुल्क माफ कर रहे हैं।' इसी तरह की घोषणा विस्तारा ने भी की है। वहीं, एयर इंडिया ने यह सुविधा 15 अगस्त के लिए दी है।

सेना की अपील-बच्चों को न बनाएं पत्थरबाज, बड़े होकर बनते हैं आतंकी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : सेना की चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने शुक्रवार को कहा कि हमारे आकलन के हिसाब से आतंकी बनने वाले स्थानीय युवकों में 83 फीसद पहले पत्थरबाज ही थे। इसलिए मेरी कश्मीर में अभिभावकों और माताओं से अपील है कि वे अपने बच्चों को मात्र 500 रुपये के लिए सुरक्षाबलों पर पथराव की घटनाओं में शामिल होने से रोके। पत्थरबाजी के रास्ते पर चलते हुए वह आतंकी बनते हैं।

10 बड़े हमले करने की कोशिश : पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) कश्मीर रेंज एसपी पाणि ने कहा कि कुछ दिनों में आतंकियों ने वादी में 10 बड़े हमले करने की कोशिश की है। इनमें आइईडी का इस्तेमाल भी हुआ है। हमने आतंकियों के कई आइईडी माड्यूल को नष्ट किया है। इनमें मुन्ना बिहारी भी था। इससे पहल कामरान और उसमान नामक दो आईईडी विशेषज्ञ आतंकियों को पकड़ा है। बीती रात आतंकियों द्वारा सैन्य काफिले को निशाना बनाने की घटना की पुष्टि करते हुए आइजी ने कहा कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ समय से आतंकी आइईडी का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन हम ऐसी स्थिति से निपटने में समर्थ हैं।

ऐसी लागी लगन, 'हेमा' हो गई मगन

मथुरा में ठा. राधरमण मंदिर में सेवा सौभाग्य झूलन महोत्सव के समापन पर नृत्य सेवा प्रस्तुत करती सुप्रसिद्ध नृत्यांगना एवं स्थानीय सांसद हेमामालिनी की एक भाव प्रवण मुद्रा। अभिषेक शर्मा

अजय शुक्ला, मथुरा

अवसर था वृंदावन के राधारमण मंदिर में आयोजित झूलनोत्सव का। अपने प्रिय कान्हा का दरश मिलते ही हेमा मालिनी कृष्णामृत में डुबी 'मीरा' की भांति मगन हो झूम उठीं। स्थानीय सांसद, प्रसिद्ध अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना हेमा मालिनी के अनेक परिचय हैं, लेकिन शुक्रवार को वह कृष्ण रस में डूबी राधा तो कभी मीरा नजर आईं। झूलनोत्सव के अंतिम दिवस राधारमण जू के समक्ष नृत्य सेवा प्रस्तुत करने आईं हेमामालिनी ने 71 वर्ष की आयु में भी भारी उमस भरे माहौल में बिना थके लगातार पांच नृत्य प्रस्तुतियां दे भक्ति की शीतलता से श्रोता-दर्शक वृंद को सराबोर कर दिया।

दीया मिर्जा बोलीं-मेरी शादी टूटने के लिए कनिका जिम्मेदार नहीं

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : लेखिका कनिका ढिल्लन ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया, जिसमें दीया मिर्जा की शादी टूटने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। खास बात यह रही कि दीया मिर्जा ने भी कनिका का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शादी टूटने के लिए कनिका कतई जिम्मेदार नहीं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उन्हें इस मामले में ला खड़ा किया।

कनिका ने एक बयान में कहा, 'यह हास्यास्पद है कि दो अलग-अलग रिपोर्ट का एक साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। दो खबर अगर एक साथ आए तो उनके बीच जबरन संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं अब तक न तो दीया से मिली, न ही उनके पति साहिल सांगा से। आरोप निराधार और मनगढ़ंत हैं।'

दीया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, 'साहिल से अलगाव की अटकलों पर विराम लगाएं। यह दुर्भाग्य है कि मीडिया का एक वर्ग इतना गैरजिम्मेदार है। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस मामले में हमारे साथियों को घसीटा जा रहा है। एक महिला होने के नाते मैं उस फर्जी खबर के साथ कतई नहीं खड़ी हो सकती, जिसमें दूसरी महिला को निशाना बनाया गया हो।'

पहली बार

सड़क पर धार्मिक आयोजन को लेकर पुलिस रही तैनात, आरएएफ का फ्लैग मार्च, हिंदू जागरण मंच ने सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने की दी चेतावनी

अलीगढ़ में मस्जिद की छत पर हुई जुमे की नमाज

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

सड़क पर हनुमान चालीसा व नमाज पर रोक के चलते शुक्रवार को अलीगढ़ प्रशासन अलर्ट रहा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनात रही और आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान ऊपर कोट स्थित शहर की बू अली शाह मस्जिद की छत पर नमाज अदा की गई। ऐसा पहली बार हुआ है। अंदर जगह न होने के कारण अब तक सड़क पर नमाज होती थी। हालांकि जीटी रोड पर कवरकुत्ता स्थित अमीरुद्दीन मस्जिद के बाहर नमाज अदा की गई। इस मस्जिद में अंदर जगह नहीं और छत भी नहीं है। यहां अपर आयुक्त जिला पंचायत अली वारिश मौजूद थे। इसके बाद भी सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका नहीं जा सका। इस पर हिंदू जागरण मंच ने सख्त नाराजगी जताई है।

पिछले जुमे पर इस मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज होने पर जिला प्रशासन ने इमाम को नोटिस जारी किया था। इसके बाद मुफ्ती खालिद हमीद ने भी सड़क की जगह मस्जिदों की छत पर नमाज पढ़ने की अपील की थी। इसका असर शुक्रवार को नजर भी आया। दोपहर 1.30 बजे बू अली शाह मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी पहले से मौजूद थे। वे नमाज के लिए आने वाले लोगों को छत पर जाने के निर्देश दे रहे थे।

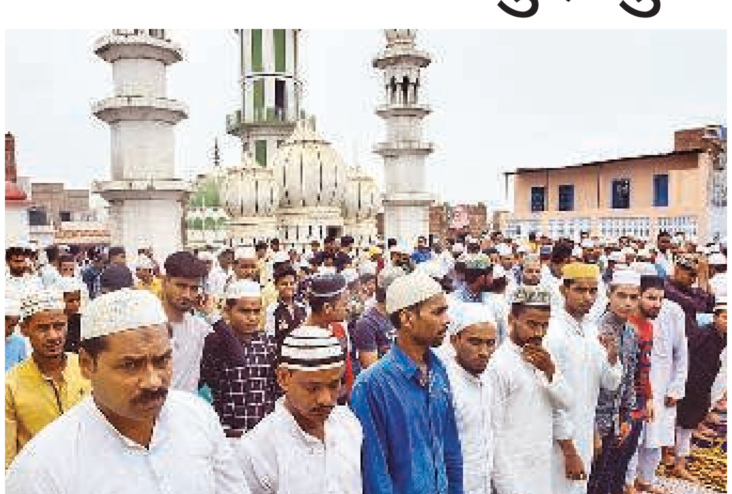

अलीगढ़ : ऊपरकोट बू अली शाह मस्जिद में छत पर नमाज पढ़ने के लिए सफों में खड़े नमाजी। जागरण

हम भी सड़क पर पढ़ेंगे हनुमान चालीसा : कवरकुत्ता स्थित मस्जिद के बाहर नमाज होने पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री डॉ. सुरेंद्र सिंह भगौर ने कहा है कि प्रशासन जब सड़क पर नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता है, तो वह भी हनुमान चालीसा और आरती करेंगे। शनिवार को इसकी रणनीति बनाई जाएगी।

इसलिए लगाई थी रोक : 19 जून को सासनी गेट क्षेत्र में सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, जिससे काफी देर जाम लग गया। इसके चलते डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सड़क पर हनुमान चालीसा व नमाज पर रोक लगा दी। इस संबंध में 22 जुलाई को आदेश जारी किया गया। उनका कहना था कि शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। सड़क पर नमाज व हनुमान चालीसा से यातायात प्रभावित होता है। पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रमों पर कोई रोक नहीं है।

> शहर में शुक्रवार को शांतिपूर्ण माहौल में पुलिस-प्रशानिक अधिकारियों व कर्मचारियों की मौजूदगी में मस्जिदों में नमाज अदा हुई है। कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई, फिर भी अगर कहीं ऐसा हुआ है तो जांच कराकर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।
>
> **- आकाश कुलहरि, एसएसपी**

चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक पहुंचा पृथ्वी की चौथी कक्षा में

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार शुक्रवार की दोपहर चंद्रयान-2 धरती की चौथी कक्षा (ऑर्बिट) में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। इसी के साथ यान पृथ्वी की आखिरी कक्षा में आगामी छह अगस्त को पहुंचेगा। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 की अभी तक की सारी गतिविधियां सामान्य हैं। इसरो के मुताबिक 3,850 किलोग्राम का तीन मॉड्यूल का चंद्रयान-2 शुक्रवार को तय कार्यक्रम के अनुसार पृथ्वी की चौथी कक्षा में 646 सेकेंड में पहुंचा। पृथ्वी की कक्षा बदलने के साथ ही चांद पर पहुंचने के 15 अहम चरणों में से चार को पूरा कर लिया गया है। यान की पृथ्वी से निकटतम दूरी 277 किलोमीटर है जबकि अधिकतम दूरी 89,472 किलोमीटर है।

इससे पहले, चंद्रयान-2 का पृथ्वी की पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में परिवर्तन क्रमशः 24, 26 और 29 जुलाई को कराया गया था। इसरो के मुताबिक चंद्रमा के गुरुत्व क्षेत्र में प्रवेश करने पर चंद्रयान-2 के प्रोपेलिंग सिस्टम का इस्तेमाल अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने में किया जाएगा, जिससे यह चंद्रमा की प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश कर सके। इसके बाद चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान-2 चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। इसके बाद लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा के चारों ओर 100 गुणा 30 किमी की कक्षा में प्रवेश करेगा। फिर ये सात सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरने की तैयारी में लग जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद रोवर लैंडर से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस (पृथ्वी के 14 दिन के बराबर) की अवधि तक प्रयोग करेगा। ऑर्बिटर अपने मिशन पर एक वर्ष की अवधि तक रहेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 3 अगस्त 2019

दैनिक जागरण

लोगों में शक्ति की नहीं, इच्छाशक्ति की कमी होती है

मध्यस्थता की नाकामी

यह अच्छा नहीं हुआ कि अयोध्या मामले पर मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए। मध्यस्थता की नाकामी एक अवसर गंवाने जैसा है। यह नाकामी यही बताती है कि बातचीत के माध्यम से किसी हल तक पहुंचने की कोशिश में कमी रह गई। हालांकि बातचीत के जरिये अयोध्या मामले के समाधान की कोशिश पहले भी कामयाब नहीं रही थी, लेकिन यह उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हो रही आपसी बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सदियों पुराने इस विवाद को हल करे। इसमें और देरी का औचित्य इसलिए नहीं, क्योंकि देश इस मसले के समाधान के लिए सदियों से प्रतीक्षारत है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से इस मामले की नियमित सुनवाई करने का फैसला किया। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब नियमित सुनवाई में कोई बाधा न आने पाए। यह अपेक्षा इसलिए, क्योंकि एक अर्से से इस मामले में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा कि कुछ लोगों की दिलचस्पी इसमें रही कि इस मामले की सुनवाई में जितनी देर हो उतना ही अच्छा। ऐसे लोग एक हद तक कामयाब भी रहे। कम से कम अब तो उन्हें कामयाब नहीं ही होने देना चाहिए। अगर वे फिर कामयाब होते हैं तो कोई अच्छा संदेश नहीं निकलेगा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अयोध्या मामला जमीन के मालिकाना हक के विवाद के रूप में है, लेकिन यह महज जमीन का झगड़ा नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि भूमि विवाद का यह मामला धर्म, आस्था और लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। अदालतें आस्था के मामले का निपटारा आसानी से नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ प्रमाण चाहिए होंगे। उसे यह देखना है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था या नहीं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया था कि मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया। कुछ अन्य साक्ष्य भी यही स्थापित कर रहे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अयोध्या की इस हकीकत से वे भी परिचित हैं जो विवादित स्थल पर मस्जिद निर्माण की जिद पकड़े हुए हैं। चूंकि वे न तो यह समझने को तैयार हैं कि आखिर अयोध्या में बाबर अथवा सेनापति का क्या काम था और न ही यह कि राम के नाम का मंदिर उनके जन्म स्थान पर नहीं बन सकता तो और कहां बनेगा इसलिए अदालती फैसला ही आखिरी सहारा है।

बांडधारी डॉक्टर

बांडधारी डॉक्टरों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के हालिया फैसले से उत्तराखंड सरकार ने निश्चित तौर पर राहत की सांस ली होगी। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन डॉक्टरों ने राज्य सरकार के खर्चे पर यानी न्यूनतम फीस पर एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है, उन्हें अनिवार्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पांच साल सेवाएं देनी होगी। कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर ऐसे चिकित्सकों को तैनाती देने के आदेश दिए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने स्तर पर ये नई व्यवस्था नहीं दी है, बल्कि पहले से मौजूद व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया है, जिसमें सरकारें अभी तक नाकाम रहीं। राज्य में पर्वतीय जिलों में पांच साल की सेवा का अनुबंध पत्र देकर कम फीस पर एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने का विकल्प मौजूद है। सामान्य शुल्क अधिक होने की वजह से ज्यादातर बच्चे दाखिले के वक्त यह विकल्प चुनते हैं, लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद बांड की शर्तों को मानने से कन्नी काट लेते हैं। पिछले साल सरकार ने ऐसे कुछ डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में भेजने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कुछ ने तैनाती पर जाने के बजाय अदालत की राह पकड़ ली। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन्हीं डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन डॉक्टरों को पहाड़ी इलाकों में सेवाएं देने का फरमान सुनाया है। यह ठीक है कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की चिंता कुछ कम हो गई, मगर इसके मूल में जाएं तो इन स्थितियों के लिए सरकार ही ज्यादा दोषी नजर आती है। बांडधारियों के लिए न्यूनतम फीस और कोर्स पूरा होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में पांच साल की अनिवार्य सेवा की व्यवस्था राज्य गठन के बाद से ही चली आ रही है, पर सरकार ने कभी भी इसे सख्ती से लागू करने की करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही वजह है बांडधारी डॉक्टरों का हौसला बढ़ता गया। अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट है कि अगर कोई डॉक्टर इनका उल्लघन करता है तो उनसे अर्थदंड सहित पढ़ाई का पूरा खर्च वसूल किया जाएगा। विडंबना यह कि अभी तक की सरकारें अपने ही बनाए इस नियम पर अमल कराने के बजाय टालू रवैया अख्तियार करती आई हैं। अब यही सरकार के गले की फांस बन गया। जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने का प्रश्न है, बांडधारी डॉक्टरों को इससे गुरेज में नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात किसी से छिपे नहीं है। राज्य डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है और इसी को देखते हुए सरकार ने बॉड का विकल्प खोला था।

तीन तलाक : एक कुप्रथा का अंत

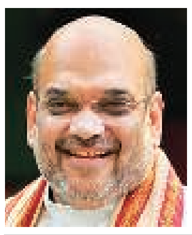

अमित शाह

यह पहली बार नहीं कि किसी सिविल मामले में कानून बना कर उसमें दंड का प्रावधान किया गया हो

अवधेश राजपूत

भारत के संसदीय इतिहास में 30 जुलाई, 2019 की तारीख एक अहम पड़ाव के रूप में दर्ज हुई। उच्च सदन में ऐतिहासिक तीन तलाक बिल पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐसी सफलता हासिल हुई जिसकी प्रतीक्षा दशकों से थी। विपक्ष के तमाम गतिरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इसे पूरा करने की दिशा में प्रयास जारी रखे और अंततः कामयाबी पाई। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून प्रभाव में आ गया है। यह तीन तलाक जैसी कुप्रथा का दंश झेल रही महिलाओं को संरक्षण प्रदान करेगा। राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर हुई चर्चा और उसके पारित होने की प्रक्रिया को बारीकी से देखें तो अनेक बिंदु उभरते हैं। इस बिल को महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमायुक्त जीवन के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह विपक्ष के दोहरे मानदंडों को उजागर करने वाला भी रहा। तीन तलाकबिल पर चर्चा ने उन दलों के वास्तविक चरित्र को उजागर किया जिनके लिए महिलाओं के आत्मसम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण वोटबैंक का तुष्टीकरण है। एक अन्य तथ्य यह भी उभरा कि विपक्षी दलों को एकजुट करने की कांग्रेस की क्षमता क्षीण हुई है। जब जन सरोकार से जुड़े विषय पर कोई सरकार मजबूती से कदम उठाती है तो एक बड़े वर्ग का समर्थन स्वाभाविक होता है। तीन तलाक बिल जनसरोकार और सामाजिक सुधार से जुड़ा था इसलिए कई गैर राजग दलों ने भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहयोग दिया, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम विभिन्न दलों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर सुधारवादी कार्यों में सहयोग करना चाहिए।

तीन दशक पूर्व एक अवसर तब आया था जब शाहबानो मामले में 400 से अधिक सांसदों वाली कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं को इस दंश से मुक्त करा सकती थी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक से पीड़ित शाहबानो के पक्ष में फैसला देते हुए उसे 500 रुपये प्रति माह के गुजारा भत्ते का प्रावधान रखते हुए कहा था कि यह फैसला शरीयत के अनुसार है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलवियों और वोट बैंक की राजनीति के दबाव में तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अदालत के आदेश के विपरीत फैसला लिया। तब कांग्रेस के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो कोर्ट के आदेश को तर्कसंगत मानते थे, ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीआर कृष्णा अय्यर ने पत्र लिखकर राजीव गांधी के फैसले को कुरान के खिलाफ बताया, किंतु वर्षों तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में रहा। मोदी सरकार आने के बाद इस विषय को जब दोबारा लाया गया तब भी कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। तीस साल पहले कांग्रेस का जो रुख था वही इस बार भी सदन की चर्चा और वोटिंग के समय देखने को मिला। कांग्रेस की यह विडंबनात्मक स्थिति उसके राजनीतिक चरित्र को ही दिखाती है। इस बिल ने तथाकथित उदारवादियों की भी पोल खोल दी। महिला अधिकारों के लिए आए दिन तख्तियां लहराने वाले कथित उदारवादी खेमे के लोग मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा से मुक्ति के इस कदम पर मौन हो गए या उसका विरोध करने लगे। इससे साबित हुआ कि उनकी उदारता मानवीय मूल्यों से नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है।

तीन तलाक संबंधी कानून पर प्रश्न उठाने वाले भूल जाते हैं कि अगस्त 2017 में कोर्ट द्वारा उस पर पाबंदी लगाने के बाद भी ढाई सौ से अधिक मामले सामने आए। इससे साफ हो गया कि बिना कानून लाए इस कुरीति से मुस्लिम बहनों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। तीन तलाक को लेकर जिन महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी वे किसी दल से प्रेरित नहीं थीं, बल्कि आम महिलाएं थीं। इस कुप्रथा से त्रस्त महिलाओं ने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत भी हासिल हुई। हमारी सरकार इन महिलाओं के संघर्ष में हमेशा साथ रही और तीन तलाक पर कानून लाकर उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। राजनीतिक दलों का यह दायित्व होता है कि वे जनसामान्य की आवाज को उचित स्वरूप देकर आगे बढ़ें। संसद का भी यह काम होता है कि समय और आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों व नियमों का निर्माण करे। इस मामले में हमारी पार्टी और सरकार के साथ संसद ने भी अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन किया।

यदि तीन तलाक ईरान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान जैसे 19 देशों में अमान्य है तो इसका यही कारण है कि वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के बीच दकियानूसी परंपराओं को लेकर नहीं चल सकते। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में महिलाओं के अधिकारों एवं गरिमा का हनन करने वाली इस कुप्रथा का बने रहना शर्मनाक था। विपक्षी दलों की यह आपत्ति निराधार है कि इसे सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए क्यों किया जा रहा? भले ही आज हम मुस्लिम समाज के बीच व्याप्त इस कुरीति के खिलाफ कानून बनाने के लिए खड़े हुए हों, लेकिन इससे पूर्व अन्य धर्मों में भी सुधार किए गए, वह चाहे बाल विवाह का अधिनियम हो, हिंदू विवाह अधिनियम हो, दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून हो अथवा ईसाई अधिनियम हो। इस तरह के कानूनी परिवर्तन और सुधार सब धर्मों में किए जाते रहे हैं। यह अलग बात है कि सुविधा की बहस और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को यह दिखाई नहीं देता अथवा वे देखकर भी अनदेखा करना चाहते हैं। तीन तलाक संबंधी कानून में दंडात्मक प्रावधान को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है। यह पहली बार नहीं कि किसी सिविल मामले में कानून बना कर उसमें दंड का प्रावधान किया गया हो। अन्य सिविल मामलों में भी दंड का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर दहेज लेने पर कम से कम पांच वर्ष, दहेज मांगने पर छह महीने का कारावास, शादीशुदा रहते हुए दोबारा विवाह करने पर सात वर्ष की सजा और बाल विवाह पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये सभी कानून हिंदू समाज के लिए कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में बने। स्पष्ट है कि तीन तलाक संबंधी कानून में सजा का प्रावधान होना कोई नई बात नहीं है। महिला अधिकारों और जीवन जीने की गरिमा का हनन करने वाले व्यक्ति में दंड का भय होना ही चाहिए, किंतु इस मामले में कांग्रेस का रुख तुष्टीकरण की राजनीति वाला रहा।

तीन तलाक को लेकर हुआ यह परिवर्तन हो या पूर्व में अन्य मामलों में न्यायालय के निर्णय से हुआ परिवर्तन हो, इस तरह के परिवर्तन को हमें समझना, स्वीकारना और संभालना होगा। इस संदर्भ में हमारी संसद एक बेहतर उदाहरण है। हमारी सामूहिक सोच और चिंतन का नाम ही संसद है, जहां एक ही मुद्दे पर विविध विचारों से गुजरते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है। तमाम गतिरोध के बावजूद मोदी सरकार इसमें कामयाब हुई। मोदी सरकार बधाई की पात्र है कि उसने तीन तलाक पर न केवल मजबूत कानून लाने का साहसिक फैसला किया, बल्कि तमाम विरोध के बावजूद दृढ़ता से आगे बढ़ती रही। तीन तलाक संबंधी कानून बनने के बाद इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम निश्चित रूप से राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर सरीखे सामाजिक सुधारकों की श्रेणी में रखा जाएगा। तीन तलाक संबंधी कानून मुस्लिम महिलाओं के हितों और अधिकारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। अब उनके लिए एक नए युग का आरंभ होगा और तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के अंत की शुरुआत होगी।

(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री हैं)
response@jagran.com

कानून के शिकंजे से छूटते अपराधी

यशपाल सिंह

वास्तव में सजा बढ़ाने से अपराध नहीं घटता, यह घटता है सजा मिलने की निश्चितता से

गंभीर अपराध के एक के बाद एक मामले सीबीआइ के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई मामला सीबीआइ के पास पहुंचने का यह मतलब नहीं कि अपराधियों को सजा मिल ही जाए। इसका ताजा और चकित करने वाला उदाहरण है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपितों का छूट जाना। उनकी हत्या 2005 में हुई थी। तब मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्त था। 29 नवंबर, 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की भांवरकोल थाना अंतर्गत दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। वह अपने गांव से बस थोड़ी दूर स्थित खेल मैदान में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने गए थे। उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद था, परंतु दुर्भाग्यवश वह अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में न जाकर एक सामान्य गाड़ी में अपने कुछ सहयोगियों के साथ चले गए थे। उस दिन गाड़ी में कृष्णानंद राय के साथ छह व्यक्ति भी मारे गए। इसके अलावा एक किसान भी मारा गया।

अपराधियों की तैयारी देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी भी तरह विधायक को मारने ही आए थे। वारदात के दिन अपराधियों ने अपनी गाड़ी के पीछे का शीशा निकाल दिया था, ताकि निशाना लेने में अड़चन न हो। गाड़ी में बड़े-बड़े हथौड़े भी मिले थे। शायद अपराधी इस मंशा के साथ आए थे कि अगर विधायक बुलेट प्रूफ गाड़ी में आएं तो भी उसे तोड़कर उन्हें मार दिया जाए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हत्या का षड़यंत्र पूरी तौर पर सुनियोजित था, लेकिन 14 साल बाद जब मामले की सुनवाई हुई तो तमाम तथ्य होने के बावजूद सारे आरोपी छूट गए। वैसे इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि घटना के वक्त पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी के चार चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। दरअसल जब गवाहों को डराया-धमकाया जा रहा हो और उन्हें आर्थिक प्रलोभन दिए जा रहे हों तो तब भला कोई अपनी जान पर खेल कर गवाही के लिए क्यों तैयार होगा? आज के इस भौतिकतावादी युग में कोई 'परमसंत' ही इसके लिए तैयार होगा, जिसका मिलना असंभव है। उस वारदात की प्रारंभिक जांच स्थानीय पुलिस ने ही की थी, परंतु बाद में वह केस सीबीआइ के पास चला गया। देश की सबसे अधिक संसाधन संपन्न और सर्वोच्च मानी जाने वाली विवेचना एजेंसी सीबीआइ भी विधायक की हत्या के आरोपितों को सजा नहीं दिला सकी। चूंकि न्यायपालिका की भी मजबूरी है कि वह बिना साक्ष्य के कुछ नहीं कर सकती इसलिए मेरी निगाह में भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुख्य अभियुक्त है जिसे अंग्रेजों ने 150 साल पहले भारतीयों के लिए बनाया था। दरअसल उस समय का समाज और सरकार, दोनों आज से बिल्कुल भिन्न थे। यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इतना ही अच्छा था तो अंग्रेजों को उसे ही इंग्लैंड पर लागू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

वास्तव में सजा बढ़ाने से अपराध नहीं घटता। अपराध घटते हैं सजा मिलने की निश्चितता से। आज भारत में सुप्रीम कोर्ट जाते-जाते पांच प्रतिशत मामलों में ही सजा हो पाती है और उसमें भी समय लगता है। कई बार तो दशकों लग जाते हैं। अब समय आ गया है कि न्याय की देवी अपनी आंखों पर बंधी काली पट्टी खोल दे यानी न्यायपालिका तटस्थ की जगह सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए। विधानसभाओं और संसद में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है। नीति-नियंताओं को सब पता है, परंतु अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को रोकने की चिंता है किसे? वैसे भी पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। अपराधियों का पेशा अपराध ही है। जितनी बड़ी गैंग उतनी अवैध आमदनी। इस धनबल और बाहुबल पर उन्हें राजनीतिक समर्थन मिलने लगता है। इसके बाद आखिर उन्हें कौन रोक सकता है? जाहिर है अंतिम समाधान संसद के पास है। उसे ही आगे आना होगा, वरना इसी प्रकार अपराध होते रहेंगे कानून मूकदर्शक बना रहेगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं)
response@jagran.com

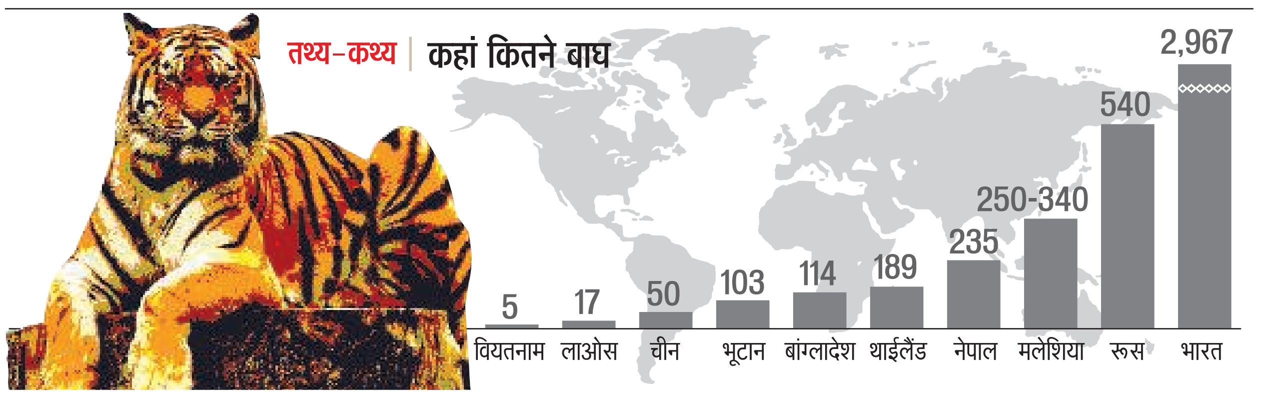

ऊर्जा

संयम

तन-मन को स्वस्थ, सुरक्षित एवं जीवन की गौरव-गरिमा की वृद्धि के लिए संयम का पालन जन-जन के लिए आवश्यक ही नहीं, अति अनिवार्य है। संयम से ही जीवन में स्वस्थता प्राप्त होती है। जहां संयम नहीं, वहां मानव पग-पग पर जोखिम झेलते जीवन-बसर करता रहता है। एक राजा ने प्रजा के हित के लिए गांव में चिकित्सालय की अच्छी व्यवस्था की। समय-समय पर चिकित्सालय में वे निरीक्षण के लिए जाया करते थे, लेकिन वे किसी भी व्यक्ति को चिकित्सालय में रोगी के रूप में चिकित्सा कराते नहीं देखते। इस रहस्य का पता लगाया तो पता चला कि सभी व्यक्ति संयमपूर्वक जीवन यहां जीते हैं, इसलिए व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होते हैं। कहा भी गया है, सौ दवा की एक ही प्रमुख दवा संयम है। संयम करने से शरीर में बल, बुद्धि की वृद्धि होती है, मन प्रसन्न, शांत बना रहता है।

आज व्यक्ति अस्त-व्यस्त असंयमपूर्वक जीवन जीते हैं, संयम को नजर-अंदाज करते हैं। संयम चार तरह के हैं। अन्न का संयम, विचार का संयम, इंद्रियों का संयम एवं अर्थ का संयम। नूतन शक्ति की प्राप्ति संयम द्वारा ही संभव हो पाती है। समय रहते जो संयमित जीवन जीने को राजी होते हैं, वे ही स्वस्थता, प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। असंयमित व्यक्ति सदा स्वस्थता और जीवन सुरक्षा के लिए ईश्वर से दया की भीख मांगते हैं, पर संयमित व्यक्ति नियम-सिद्धांतों का पालन कर दूसरों का कल्याण करते हैं तथा ईश्वर से दया की भीख नहीं मांगते।

छिद्र युक्त घड़ा में जिस तरह पानी एकत्रित होना असंभव है, उसी प्रकार असंयमित के शरीर से शक्ति बाहर हो जाती है और वह निस्तेज, रोगी बना रहता है। वह स्वास्थ्य की सुरक्षा असंयम के कारण गंवा बैठता है और अपने जीवन की कब्र स्वयं खोदता है। संयम जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सुरक्षा तथा कल्याण प्रदान करता है। निरोगी काया का सपना संयम द्वारा ही संभव हो पाता है।

मुकेश ऋषि

ई-सिगरेट का बढ़ता खतरा

सौरभ सिंह

विशेषज्ञों ने ई-सिगरेट को आम सिगरेटों की तरह ही खतरनाक माना है। इससे अस्थमा और फेफड़े की अन्य बीमारियां हो सकती हैं

गत दिनों राजस्थान सरकार ने ई-सिगरेट के उत्पादन, भंडारण, विज्ञापन और किसी भी माध्यम से बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। उम्मीद है कि राज्य सरकार का यह निर्णय युवाओं में बढ़ती नशे की लत और ई-सिगरेट की बढ़ती लोकप्रियता पर लगाम लगाने वाला साबित होगा। गौरतलब है कि हमारे देश में पंजाब, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पुदुचेरी, झारखंड और मिजोरम जैसे राज्यों में ई-सिगरेट और ई-हुक्का के इस्तेमाल पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इतना ही नहीं दुनिया भर में 36 देशों में भी ई-सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित है। बावजूद इसके ई-सिगरेट का चलन बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट) या वाष्पीकृत सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला उपकरण है, जिसके जरिये निकोटीन या गैर-निकोटीन के वाष्पीकृत होने वाले घोल को सांस के साथ सेवन किया जाता है। बाहर से सिगरेट के आकार का ही बनाए जाने वाले इस उपकरण के अंदर लिक्विड निकोटिन की कार्टेज होती है। यह सिगरेट, सिगार या पाइप जैसे स्मोकिंग वाले तंबाकू उत्पादों का एक विकल्प माना जाता है। इसे बाजार में उतारते हुए यही प्रचारित किया गया कि यह सेहत को हानि नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि ई-सिगरेट का कुछ महिलाएं भी खूब इस्तेमाल कर रही हैं।

दरअसल ई-सिगरेट धूम्रपान की लत छुड़ाने के लिए बाजार में आई। नतीजतन युवाओं के बीच खूब लोकप्रिय हुई, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि यह भी कम खतरनाक नहीं है। हालांकि इसका उत्पादन करने वाली कंपनियां अपने व्यावसायिक फायदे के लिए इसे हानिकारक नहीं बताती हैं, जबकि सच तो यह है कि यह भी सिगरेट के बराबर हानिकारक है। ई-सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक तत्व बेहद नुकसानदेह हैं। एक शोध के मुताबिक ई-सिगरेट में भी अस्थमा जैसी कई बीमारियों के कारक हो सकते हैं। इसकी वजह ई-सिगरेट में प्रयोग किए जाने वाले नुकसानदेह तत्व हैं। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ई-सिगरेट में प्रयोग होने वाल उत्पादों को लेकर अध्ययन किया है, जिसके मुताबिक 27 प्रतिशत उत्पादों में एंडोटॉक्सिन पाया गया है।

गौरतलब है कि एंडोटॉक्सिन एक जहर के समान है, जिसका शरीर की जीवित कोशिकाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं 81 फीसद उत्पादों में ग्लूकन के कण पाए गए। ऐसे तत्वों की उपस्थिति यह बताती है कि ई-सिगरेट के सेवन से अस्थमा और फेफड़े की अन्य बीमारियां हो सकती हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञों ने ई-सिगरेट को आम सिगरेटों की तरह ही खतरनाक माना है। यही वजह है कि पूरे देश में ई-सिगरेट पर भी बैन लगाने की मांग हो रही है। जरूरी है कि सरकार इस मामले में उचित कदम उठाए। साथ ही युवा भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक बनें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मोदी सरकार के लिए ये संभव नहीं

अपनी अफगान नीति को धार दे भारत शीर्षक से लिखे अपने लेख में ब्रिगेडियर आरपी सिंह ने भारत के कूटनीतिक संदर्भ में अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तालिबान से दोस्ताना संबंध स्थापित करने की जो सलाह दी है, वह मोदी सरकार के लिए संभव नहीं है। आतंकवाद को विश्व मानवता के लिए खतरा मानने वाली मोदी सरकार के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वह पाक पोषित आतंकी संगठनों के विरुद्ध संघर्षरत रहकर अफगानी आतंकी संगठन तालिबान को अपनी गोद में बैठा ले। चूंकि अलग-अलग नामों से सक्रिय आतंकवादी संगठनों का मकसद अमानवीय हिंसा और आतंक के जरिये अपने प्रभुत्व को स्थापित करना ही है। ऐसे में मोदी सरकार से यह उम्मीद करना बेमानी सा है कि वह अपने किसी फायदे के लिए अमानवीय हिंसा की राह पर चलने वाले किसी भी आतंकी गुट को समर्थन देगी, क्योंकि जो मोदी सरकार अपनी कश्मीर नीति के संदर्भ में आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वाले अलगाववादियों से समानांतर दूरी बनाकर उनके विरुद्ध कारगर कार्रवाई कर रही है, वह भला अफगान नीति के संदर्भ में तालिबान से दोस्ताना संबंध कायम करके आतंक पीड़ित अपने मित्र देश अफगानिस्तान के साथ घात कैसे कर सकती है? वैसे भी आतंकवाद और उसके समर्थक देशों के साथ मोदी सरकार का हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहता है। मोदी शासित भारत किसी आतंकवादी संगठन को प्रश्रय देगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में लेखक का यह तर्क भी गले नहीं उतर रहा है कि तालिबानी आतंकी गुट से जुड़े आतंकवादी अफगानी हैं, अतः अफगानिस्तान नीति के अंतर्गत भारत का उनके साथ बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। आखिर जो भारत सरकार अफगानिस्तान के उत्थान के लिए हर तरह की मदद कर रही है, वह उसके दुश्मन तालिबानी आतंकी संगठन से दोस्ती क्यों करेगी?

डॉ. वीपी पांडेय, अलीगढ़

मंदिर का विरोध क्यों?

अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भगवान श्रीराम के आदर्श का अनुसरण करना होगा। बलपूर्वक किया गया कार्य अधर्म की ओर ले जाता है, इसलिए श्रीराम ने कभी आवेश में आकर कोई काम नहीं किया। विवाद नहीं, बल्कि आपसी सहमति से वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जरूरी है कि मंदिर निर्माण के प्रयास में लगे लोग व इसका विरोध कर रहे दोनों ही श्रीराम के आदर्श को दिल से समझें और उसी रास्ते मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। प्रभु श्रीराम का किसी से बैर नहीं था। वह तो प्रेम में जूठा बेर भी खा लेते थे। उनके लिए न कोई छुआछूत की बात थी न कोई पराया। वह तो सबसे प्रेम करते थे, फिर उनके मंदिर का विरोध कैसा?

पंडित अनिल कुमार शर्मा, महागुन, गाजियाबाद

प्रशासन की लापरवाही

उप्र में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश सरकार के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। उन्नाव दुष्कर्म कांड के बाद सोनभद्र में हुए नरसंहार से प्रदेश सरकार ठीक से उबरी भी नहीं थी कि उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता दुर्घटना में घायल हो गई। इस पूरे मामले में भाजपा के विधायक रहे कुलदीप सेंगर आरोपित हैं, जिससे पार्टी और सकते में है। यह बड़ी विचित्र बात है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस-प्रशासन शांत बैठी रहती है। अगर सरकारी तंत्र ने ईमानदारी और समय से उचित कार्रवाई की होती तो शायद आज कई जानें नहीं गई होतीं।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

पाक में बदसलूकी

पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा दुर्व्यवहार शर्मनाक है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग और हिंदू रक्षक कार्यकताओं ने इस बात पर गहरी आपत्ति भी जताई है। हिंदुओं के पूजा पाठ करने में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मंदिरों पर हमले की भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। हिंदुओं के साथ हो रही बदसलूकी की घटनाओं पर सिर्फ खेद जता देने से या उनकी निंदा कर देने से स्थितियों में सुधार होने वाला नहीं है। इमरान सरकार को सख्त कदम उठाते हुए हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही दोषियों को चिन्हित कर सजा भी देनी चाहिए। यह वहां की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार को भी इस संबंध में पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए वहां रह रहे हिंदुओं को न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

lalit.mahalkari@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1993 में औपचारिक रूप से भारत में कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। अब इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है।

आजकल

न्यायिक सुधार के लिए सत्याग्रह

देश भर में लंबित मुकदमों के बोझ से न्यायपालिका हांफ रही है। हालांकि इसके अनेक कारण हैं जिसमें सबसे बड़ा उसकी कार्य-संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दरअसल अदालतों की कार्य-संस्कृति में व्यापक बदलाव किए बिना न्यायपालिका में सुधार संभव नहीं है। लंबित मुकदमों के लिए अदालतों में केवल संख्याबल या न्यायाधीशों की कमी ही जिम्मेदार नहीं है। यह आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है यह

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय गणतंत्र की उम्र बढ़ने के साथ-साथ लोकतंत्र के सभी पायों में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। स्वयं न्यायपालिका के भीतर से भी सुधार के स्वर उभरते रहते हैं। तो कई न्यायाधीश संख्याबल की कमी दर्शा कर अदालत की कार्य-संस्कृति में मौजूद छिद्रों को ढकने का उपक्रम करते नजर आते हैं। अलबत्ता अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंगनाथ पाण्डे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्यायपालिका में मौजूद कमियों की जानकारी दी है। साथ ही वे स्वयं सार्वजनिक मंच पर आकर इन कमियों को दूर करने के लिए 'न्याय सत्याग्रह' की पहल करके न्यायिक सुधार के लिए जन-दबाव बनाने की कोशिश में हैं। यह काम वे देश का नागरिक होने के दायित्व-बोध से प्रेरित होकर कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति पाण्डे ने न्यायपालिका की दुर्दशा को लेकर प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा और हाल ही में सार्वजनिक सभा में न्यायपालिका से जुड़े जिन मुद्दों को उठाया उनमें से ज्यादातर पूर्व से ही जनमानस में कुलबुला रहे हैं। लेकिन इसे सत्याग्रह का रूप देना और एक न्यायाधीश द्वारा ही भीतरी कमियों को उजागर करना अहम बात है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने कॉलेजियम जैसी प्रणाली समाप्त करने की बात की है। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में न तो जजों की नियुक्ति स्वयं जज करते हैं, और न ही जजों के कदाचार से जुड़े मुद्दे की जांच करते हैं। न्यायालयों में जाति और भाई-भतीजावाद भी संवैधानिक पवित्रता को दीमक की तरह चाट रहा है। लिहाजा जो स्वयं अधिकतम स्वतंत्रता व स्वायत्तता की वकालत करते हैं, उन्हें पहले अपने आचरण में शुद्धता और कार्य-संस्कृति में निष्पक्षता लानी होगी। मालूम हो, न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया के लिए वर्तमान कानून में भारत सरकार ने जरूरी बदलाव किए थे, लेकिन तीन न्यायाधीशों ने इन बदलावों को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इन प्रस्तावों को असंवैधानिक करार देते हुए कोलेजियम प्रणाली को बहाल रखा।

भारतीय न्याय व्यवस्था में अनेक दोष व विसंगतियां हैं, जबकि संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता लिखित है। बावजूद जिला अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के फैसलों में भिन्नता रहती है। यही स्थिति राज्यों की राजस्व अदालतों की है। इन फैसलों की सार्थकता न्यायाधीश की विद्वत्ता, स्व-विवेक और धर्मनिरपेक्षता के सद्भावों से सिद्ध कर दी जाती है। न्यायिक सिद्धांत का तकाजा है कि एक तो सजा मिलने से पहले किसी को अपराधी न माना जाए, दूसरे आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति का फैसला एक तय समय-सीमा में हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी एक वजह न्यायालय और न्यायाधीशों की कमी जरूर है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। मुकदमों के लंबित होने की एक बड़ी वजह अदालतों की कार्य-संस्कृति भी है।

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्रमल लोढ़ा ने कहा था, 'न्यायाधीश भले ही निर्धारित दिन ही काम करें, लेकिन यदि वे कभी छुट्टी पर जाएं तो पूर्व सूचना अवश्य दें। ताकि उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।' इस तथ्य से यह बात सिद्ध होती है कि सभी अदालतों के न्यायाधीश बिना किसी पूर्व सूचना के आकस्मिक अवकाश पर चले जाते हैं। गोया, मामले की तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। इन्होंने कहा था कि जब अस्पताल 365 दिन चल सकते हैं तो अदालतें क्यों नहीं? हमारे यहां अस्पताल और पुलिस विभाग के लोग भी रोज काम करते हैं। आपदा में इनका काम और बढ़ जाता है। न्याय सत्याग्रह की मांग है कि न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार हो।

हालांकि कुछ इस तरह की प्रकृति वकीलों में भी देखने में आती है। लेकिन वकील अपने सहयोगियों के माध्यम से इस कमी की वैकल्पिक पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन वकील जब प्रकरण का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते अथवा मामले को मजबूती देने के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य को तलाश रहे होते हैं तो वे बिना किसी ठोस कारण के तारीख आगे खिसकाने की अर्जी लगा देते हैं। विडंबना है कि बिना कोई ठोस पड़ताल किए न्यायाधीश इसे स्वीकार कर लेते हैं। गवाहों की संख्या अधिक होने के कारण भी कई मामले ज्यादा दिनों तक चलते हैं। ग्रामीण परिवेश और सामूहिक झगड़ों से जुड़े मामलों में ऐसा अक्सर देखने में आता है। इस तरह के एक ही मामले में गवाहों की संख्या 50 तक देखी गई है, जबकि घटना के सत्यापन के लिए दो-तीन गवाह पर्याप्त होते हैं। इतने गवाहों के बयानों में विरोधाभास होना संभव है। इसका लाभ फरियादी की बजाय अपराधी को मिलता है। इसी तरह चिकित्सा परीक्षण से संबंधित चिकित्सक को अदालत में साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने से छूट दी जाए, क्योंकि चिकित्सक गवाही देने से पहले अपनी रिपोर्ट को पढ़ते हैं और फिर उसी इबारत को मुंहजबानी बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर चिकित्सक अपनी व्यस्तताओं के चलते अदालत में हाजिर नहीं हो पाते। लिहाजा चिकित्सक को इससे मुक्त रखना उचित है।

अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ाने में राज्य सरकारों का रवैया भी जिम्मेदार है। वेतन विसंगतियों को लेकर एक ही प्रकृति के कई मामले ऊपर की अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें से अनेक तो ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें सरकारें आदर्श व पारदर्शी नियोक्ता की शर्तें पूरी नहीं करती हैं। नतीजन वास्तविक हकदार को अदालत की शरण में जाना पड़ता है। कई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद बकाये के भुगतान के लिए अदालत जाते हैं, जबकि इन मामलों को कार्यपालिका अपने स्तर पर निपटा सकती है।

इसी तरह पंचायतों से संबंधित मामलों का पंचायतों और राजस्व मामलों का निराकरण राजस्व न्यायालयों में न होने के कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और बिजली बिलों का विभाग स्तर पर नहीं निपटना भी अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। कई प्रांतों के भू-राजस्व कानून विसंगतिपूर्ण हैं। इनमें नाजायज कब्जे को वैध ठहराने के उपाय हैं। जबकि जिस व्यक्ति के पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं, वह भटकता रहता है। इस सबके बावजूद आज भी न्यायालय को मंदिर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए जरूरी है कि मंदिर की दीवार में जहां-जहां दरारें आ गई हैं उनकी मरम्मत की जाए, क्योंकि उच्च और उच्चतम न्यायालय ही पीड़ित मनुष्य की आस्था के अंतिम ठिकाने हैं।

कोलेजियम व्यवस्था में हो बदलाव

डॉ. आलमगीर
असिस्टेंट प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया

भारत में लोगों की धार्मिक आस्थाओं के केंद्र अलग-अलग हैं, लेकिन न्यायिक आस्था का एक ही केंद्र है- सुप्रीम कोर्ट। इंसाफ के इस सबसे बड़े मंदिर में सबकी अटूट श्रद्धा है। इसीलिए तमाम खामियों के बावजूद लोगों को देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। लोगों का यह भरोसा कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय सुचारू रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करता रहे। ऐसे में कोलेजियम की कार्यप्रणाली को लेकर उठते सवाल से न्यायपालिका की साख दांव पर लगी है। शीर्ष अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता का मामला गत दिनों संसद में भी गूंजा। यह बात उभरकर सामने आई कि जजों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं की जा रही हैं। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिये ये नियुक्तियां की जाएं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों और उनकी सीमाओं पर व्यापक चर्चा की जरूरत बताई।

असल में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में केवल मुकदमों के फैसले सुनाना ही नहीं है, बल्कि इसके जिम्मे दो बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी हैं। पहला है इसके अधीन आने वाले मामलों के लिए न्यायाधीशों का चयन और उसके लिए विशेष बेंच का गठन जिसे रोस्टर कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पदोन्नति की सिफारिशें करना भी उसके जिम्मे है। देखा जाए तो यही दोनों मुद्दे केंद्र सरकार और कोलेजियम के बीच हालिया मतभेदों की अहम वजह रहे हैं।

कई बार तो कोलेजियम के अंदर सदस्यों में भी इसको लेकर मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं। मसलन 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों जस्टिस चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक प्रेस वार्ता के जरिये तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया था। उसके बाद के एक घटनाक्रम में कोलेजियम के ही एक अन्य सदस्य जस्टिस जोसेफ कुरियन ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को एक पत्र लिखकर खलबली मचा दी थी। अपने पत्र में उन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस का ध्यान कोलेजियम के जरिये वकील इंदू मल्होत्रा और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता की तरफ दिलाया था। साथ ही इस मामले पर चीफ जस्टिस से पहल करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में है। जस्टिस केएम जोसेफ ने ही वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। कोलेजियम की न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने को लेकर भी कई बार दोनों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए।

अकारण नहीं है कि जजों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए केंद्र ने संविधान में संशोधन के जरिये वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन करने के मसौदे को संसद से मंजूरी दिलाई थी। इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के फैसले के आधार पर असंवैधानिक करार दिया। इसके लागू होने से जजों की नियुक्ति का 1993 से चला आ रहा कोलेजियम सिस्टम समाप्त हो जाता और इसका अधिकार केंद्र सरकार के अधीन आ जाता। यह स्थिति भी कम विचित्र नहीं होती। जिस तरह कोलेजियम व्यवस्था पर जजों की नियुक्तियों में परिवारवाद और जातिवाद से लेकर पेशेवर निकटता को तरजीह दिए जाने के आरोप लगते रहे हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से इसकी संभावना और प्रबल होने की आशंका रहती। ऐसे में केंद्रीय न्यायिक सेवा के जरिये जजों को नियुक्त किया जाना बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे सामान्य वर्ग के योग्य व्यक्तियों को भी शीर्ष न्यायपालिका में जाने का मौका मिलेगा।

खरी-खरी

बाघों में बहार है...

सुधीर कुमार चौधरी

प्रसन्नता का विषय है कि देश में बाघों की संख्या पिछले पांच वर्षों में लगभग 33 प्रतिशत बढ़ी है। जंगलों में बाघ तो अब बढ़े हैं, लेकिन शहरों से लेकर गांवों तक में बीते करीब दो दशकों से दो पांव वाले बाघ बढ़ते ही जा रहे हैं। जंगल का बाघपन अब इंसानी बस्तियों में विस्थापित हो गया है। और बाघपन ही नहीं, भेड़ियापन, लोमड़पन, लकड़बग्घापन भी अब इंसानी बस्तियों में ज्यादा दिखता है, जंगलों में कम। जंगलों में बाघ को पर्याप्त शिकार नहीं मिलते, बल्कि शहरी शिकारियों के जंगल में घुस जाने पर बाघ स्वयं शिकार बन जाते हैं। मगर इंसानी बसाहट में अब न बाघों की कमी है और न शिकार बना लिए जाने वाले नन्हें हिरण छौनों की। एक ओर तो जंगल में बाघों की गिनती हो रही है, वहीं सभ्य इलाकों में बाघों की दिनों-दिन बढ़ोतरी पर नियंत्रण के सारे उपाय असफल होते दिखते हैं।

सभ्य इलाकों में विभिन्न प्रजातियों के बाघ पाए जाते हैं। इनमें सर्वाधिक हिंसक राजनीतिक बाघ होते हैं, जिनकी तेजी से वृद्धि हो रही है। ये विधानसभा और संसद भवनों में विराजते हैं। ये इन दिनों लगभग हर गली-मोहल्ले में दिखाई देने लगे हैं। राजनीतिक बाघ पांच साल में एक बार वोट के शिकार पर निकलते हैं और जनता की उम्मीदों को उदरस्थ कर फिर विधानसभा और संसद भवन सरीखी गुफाओं में जा विराजते हैं। फिर इन पर काबू पाना असंभव हो जाता है। जब मन चाहा, आम आदमी के सपनों को जबड़ों में दबोच लेते हैं। जब इच्छा हुई, व्यवस्था के चिथड़े उड़ा देते हैं।

दूसरे होते हैं प्रशासनिक बाघ। ये सरकारी दफ्तरों में पाए जाते हैं। ये फाइलों के ढेर के पीछे छुपे रहते हैं और मौका लगते ही शिकार पर झपट पड़ते हैं। ये बाघ कभी कोट-टाई में होते हैं, कभी वर्दी में। ये बाघ कम, घाघ ज्यादा होते हैं।

इन दिनों बाघपन-भेड़ियापन का विस्तार तेजी से हो रहा है। मेमनों की भीड़ भी अचानक बाघ या भेड़िया बन जाती है। कोमल पंजों में सहसा नाखून उग आते हैं। ये अपने शिकार को पीट-पीटकर मार डालते हैं। मेमनों का नरभक्षी हो जाना आहत करता है।

जंगल के बाघों में तो फिर भी जंगलीपन की एक सीमा थी, किंतु शहरी बाघों में भरी अमानवीयता की कोई सीमा नहीं। ये मासूमों, निर्दोषों का शिकार पूरी दरिंदगी से करते हैं। व्यवस्था के भोथरे तीर का इन्हें कोई खौफ नहीं।

ऐसे में संयुक्त राष्ट्र से आग्रह है कि 'टाइगर डे' की तरह इंसानियत के संरक्षण के लिए 'मानवता दिवस' भी घोषित करे।

ट्वीट-ट्वीट

अयोध्या विवाद का आपसी बातचीत से इसलिए समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें कोई भी वास्तविक पक्षकार नहीं है। या तो इसे जमीन का झगड़ा मानें या फिर आस्था का। अदालतें सिर्फ भूमि स्वामित्व के विवाद को हल कर सकती हैं और ऐसा करने में देरी नहीं होनी चाहिए।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

मेरा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले की सुनवाई का सजीव प्रसारण करने की अनुमति दे। एक नागरिक के रूप में मैं इस दौरान पेश होने वाले तमाम तर्कों और तथ्यों को देखना-सुनना चाहूंगा। क्योंकि यह सुनवाई हर लिहाज से ऐतिहासिक होने वाली है। क्या आप भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे?
यशवंत देशमुख@YRDeshmukh

जब सरकार देसी-विदेशी पत्रकारों को यह बताते नहीं थक रही थी कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति काफी अच्छी हो गई है और अमरनाथ यात्रा भी शांतिपूर्ण माहौल में आगे बढ़ रही है तो फिर सभी यात्रियों और पर्यटकों को तुरंत घाटी छोड़ने का यह आदेश क्यों?
उमर अब्दुल्ला@OmarAbdullah

राज्यनामा
झारखंड

कांग्रेस में गुटबाजी के बाद अब सिर फुटौवल

झारखंड में हाशिये पर चल रही कांग्रेस में आंतरिक विवाद सतह पर आ गया है। कई गुटों में बंटे कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के खिलाफ बगावत कर दिया है। स्थिति इतनी भयावह है कि गुट आपस में हिंसा पर उतारू हैं। गुरुवार को राजधानी रांची में कांग्रेस मुख्यालय के समक्ष एक घंटे तक कांग्रेसियों ने खूब बवाल काटा। इस दौरान हुई झड़प में दो मीडियाकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बिगड़ी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं। खुद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने प्रतिद्वंद्वी गुट की कमान संभाले कद्दावर नेता सुबोधकांत सहाय को ललकारा। विवाद की जड़ में सहाय धड़े के दो नेताओं को पार्टी से निकालना था। ये दोनों प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस करने पहुंचे तो आपस में झड़प हो गई। अब दफ्तर में पुलिस का कब्जा है और कांग्रेसी एक-दूसरे पर भड़ास निकाल रहे हैं।

दरअसल झारखंड में कांग्रेस की यही नियति है। लगातार चुनावी राजनीति में पिछड़ने से संगठन में निराशा चरम पर है। यही कारण है कि लोग एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। आधा दर्जन नेता समानांतर संगठन का संचालन करते हैं। विधायक दल की भी यही स्थिति है। कुछ विधायक आलमगीर आलम को विधायक दल के नेता पद पर नहीं देखना चाहते हैं। बहरहाल हालिया विवाद से कांग्रेस की झारखंड में मिट्टी पलीद हो चुकी है। विधानसभा चुनाव सामने है और नेताओं की सिर फुटौव्वल का यह आलम है कि कोई एक-दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वैसे लगभग हरेक प्रदेश अध्यक्ष को ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। विवाद को टालने के लिए आलाकमान ने तमाम नेताओं को दिल्ली तलब किया है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये आपस में समझौता करेंगे। कांग्रेस को राज्य में पुनर्जीवित करने के लिए आलाकमान को कड़ा एक्शन लेना होगा। उन तमाम बूढ़े नेताओं से छुटकारा पाना होगा जो अलग-अलग तंबू ताने बैठे हुए हैं।

गठबंधन पर किचकिच : झारखंड में विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर भले ही लाख कवायद हो रही है, लेकिन फिलहाल यह दूर की कौड़ी प्रतीत हो रही है। भाजपा को पीछे धकेलने के लिए सभी फौरी तौर पर साथ आना चाहते हैं। इन्हें इसका भी आभास है कि सीटों के बंटवारे पर तनातनी होगी। कोई विपक्षी दल अपनी दावेदारी कम आंकना नहीं चाहता। सबसे बड़े विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 41 सीटों पर दावेदारी की है। अन्य दलों ने इसपर सहमति नहीं जताई और इस दावे की खिल्ली उड़ाने से भी नहीं चूके। जाहिर है, इसका परिणाम सुखद नहीं दिखता। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए इसकी मांग उठी है कि तमाम दलों को एक साथ लेकर चलने की बजाय सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आपस में तालमेल कर चुनाव लड़ें। अगर इस फार्मूले पर सहमति बनी तो लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल और बाबूलाल मरांडी की झाविमो को अलग मोर्चाबंदी करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों दल राज्य में अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। राजद का एक भी सांसद अथवा विधायक झारखंड में नहीं है जबकि झाविमो ने पिछले विधानसभा चुनाव में आठ सीटें जीती जरूर, लेकिन जल्द ही छह विधायक पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों का अनुभव खराब रहा। खुद बाबूलाल मरांडी चुनाव हार गए और उनके खास सिपहसालार चुनाव के दौरान लगे एक आरोप के सिलसिले में जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में संभव है कि दोनों दलों को दरकिनार कर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आपस में सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश करें।

सीएम कैंटीन योजना : झारखंड सरकार ने घर-परिवार से दूर रह रहे लोगों के लिए सीएम कैंटीन योजना की शुरुआत की है। ऐसी योजनाएं कई राज्यों में चल रही है और काफी लोकप्रिय भी है। तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता के कार्यकाल में चलाई गई अम्मा कैंटीन को भी काफी शोहरत मिली थी। संभवतः इसी से प्रोत्साहित होकर झारखंड सरकार ने रोजगार के क्रम में घरों से दूर रह रहे लोगों को बढ़िया भोजन कराने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री कैंटीन योजना तैयार की है। इसके तहत लोगों को अब रांची में साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। पूर्वी सिंहभूम के बाद रांची दूसरा जिला होगा जहां यह योजना लागू होगी और लोगों को 10 रुपये भुगतान कर भरपेट भोजन मिल सकेगा। इसके लिए 10 रुपये सरकार अपने मद से भी एजेंसी को देगी। पूर्वी सिंहभूम में मनोनयन के आधार पर अन्नामृता फाउंडेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रांची में यही काम टच स्टोन फाउंडेशन करेगा।

हालांकि इससे पूर्व भी राज्य में ऐसा प्रयोग हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री दाल-योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पांच रुपये का भुगतान करने पर लाभुकों को भोजन मुहैया कराया जाता था। बाद में यह योजना सरकारी मदद के अभाव में बंद हो गई।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

भाजपा ने दुष्कर्म के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकालने में देर कर दी?

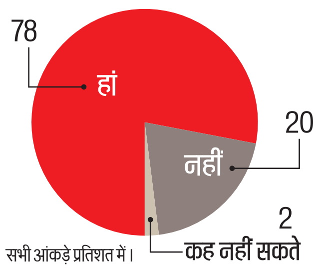

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बिल में संशोधन की डॉक्टरों की मांग सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, N–नहीं, C–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पंचायत श्री श्री किए किंतु न आई काम,
पुन: हवाले कोर्ट के हुए हमारे राम।
हुए हमारे राम कि अड़ियल जहां रवैया,
मध्यस्थों की कौन वहां मानेगा भैया??
फिर से लगे पुकार कोर्ट की चले कवायद,
काश! दे सके न्याय बंधु बड़की पंचायत!!
– ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

मोदी पर बढ़ रहा है भरोसा

लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और मोदी के प्रति जन-समुदाय का समर्थन यह बताता है कि इसमें मुस्लिम और दलित वर्ग की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही है

अभिषेक गुप्ता
स्वतंत्र टिप्पणीकार

भाजपा की शानदार चुनावी जीत के कुछ दिनों बाद देश के कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। हस्ताक्षरकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के नेता महमूद मदनी शामिल थे जिन्होंने मोदी सरकार से विश्वास की एक नई पहल की अपील की। पत्र में 23 मई को भाजपा के दिल्ली मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए दो महत्वपूर्ण भाषणों का स्वागत किया, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने की अपील करते हुए 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' का नारा दिया। पत्र ने मोदी और रूढ़िवादी मुस्लिम समुदाय के बीच एक अध्याय का आरंभ किया है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय मुसलमानों के बीच 2002 के बाद एक विवादास्पद संबंध रहा है। परंतु वर्तमान में भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्ग मोदी को अलग ढंग से देखते हैं। काबिलेगौर है कि अधिक शुद्धतावादी गुट जिसमें इस्लाम के देवबंद और अहले हदीस स्कूलों के अनुयायी शामिल हैं, मोदी के विरोध में हैं, वहीं बरेलवी स्कूल ने पिछले कुछ वर्षों से मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अपना विश्वास जताया है।

मोदी सरकार ने अधिकांश मुस्लिम छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए है। अगले पांच वर्षों तक यह योजना छात्रों को गणित, विज्ञान और भूगोल जैसे आधुनिक विषयों के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है।

नरेंद्र मोदी के विशेष उपायों को संघ परिवार खासकर आरएसएस द्वारा स्वागत नहीं किया गया है, क्योंकि वह इन कदमों को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के हिस्से के रूप में देखते रहे हैं। संघ परिवार का मानना है कि सच्चर समिति की सिफारिशें दोषपूर्ण हैं और इसने मुस्लिम पीड़ित सिद्धांत पर जोर दिया। संघ परिवार का मानना है कि समिति की सिफारिशें दोषपूर्ण थी जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को रियायतें दिलाना था जिस कारण

1947 में विभाजन हुआ।

मोदी की योजना मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ाने और समुदाय में आधुनिक विचार को प्रत्यारोपित करने की है। इसके निहितार्थ छात्रवृत्ति और मदरसों में आधुनिक शिक्षा जैसे सार्थक उपाय मुस्लिम समुदाय को कट्टरपंथी धर्मशास्त्र से दूर करने के लिए आवश्यक हैं।

निस्संदेह यह मोदी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि सलमान नदवी जैसे दारुल-उलूम उलेमा जैसे इमाम भी अब राम मंदिर समस्या पर एक सुलह के पक्ष में आ गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए अपनी प्राथमिकता का संकेत दिया है।

जहां तक भारत के दलित समुदाय का सवाल है तो 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बहुचर्चित एससी, एसटी एक्ट के विवाद उन्मूलन हेतु नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में परिवर्तन को देखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को रद करने के लिए संसद के पास पूरी शक्ति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम या जिसे आम तौर पर एससी, एसटी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इन समुदायों के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अत्याचार से बचाने के उद्देश्य से है जिसमें दोषियों को जेल भेजने का प्रावधान है। अधिनियम ने विशेष अदालत के लिए धारा 14 के तहत त्वरित सुनवाई के लिए भी प्रावधान रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को अनुसूचित जाति या जनजाति की शिकायतों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था और सात दिनों की प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। केंद्र ने तीन अप्रैल को शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की और देश में कानून-व्यवस्था की समस्या का हवाला देते हुए फैसले के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि जस्टिस आदर्श गोयल और यू ललित की पीठ ने फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।

यह बिल एससी, एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी व्यक्ति के लिए किसी भी अदालती आदेश की परवाह किए बिना अग्रिम जमानत के लिए किसी भी प्रावधान को नियंत्रित करता है, जबकि यह भी प्रावधान है कि आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी और इस कानून के तहत गिरफ्तारी नहीं होगी। बिल में कहा गया है कि इस कानून के तहत आपराधिक मामले दर्ज करने और आवश्यक होने पर किसी भी गिरफ्तारी के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी।

इस बिल के विरोध में दलित समूहों द्वारा 20 अप्रैल को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए गए जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे। दलित समूहों ने सरकार से 20 मार्च को उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने के लिए कहा जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके समाज के सबसे कमजोर वर्गों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कानून बनाया गया था।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारत के मुस्लिम समुदाय तो कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपनी स्थिति को पुष्ट कर चुके हैं, परंतु दलित समुदाय के कुछ वर्ग में अभी भी रोष है। देखना यह है कि आने वाले समय में मोदी सरकार और भाजपा भारत के मुस्लिम और दलित समुदाय को कितना अपनी ओर आकृष्ट कर पाती है। यह राजनीतिक समीकरण में इन समुदायों की सार्थक भागीदारी से ही संभव है।

कॉफी डे ने तिमाही नतीजे की घोषणा टाली

नई दिल्ली : कॉफी डे इंटरप्राइजेज ने तिमाही नतीजे की घोषणा आगे के लिए टाल दी। कंपनी का बोर्ड अगले सप्ताह की बैठक में अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे पर विचार नहीं करेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों कंपनी के सीएमडी वीजी सिद्धार्थ को मृत पाया गया था। शेयर बाजार में दाखिल की गई सूचना के मुताबिक कंपनी के बोर्ड की बैठक गुरुवार को होने वाली है। कंपनी ने 22 जुलाई को ही शेयर बाजारों को बोर्ड की बैठक की तिथि से अवगत करा दिया था।

दुनिया में कहीं भी केंद्रीय बैंक की नकदी हड़पने वाली सरकार अच्छी नहीं हो सकती। इससे सरकार की हताशा का पता चलता है।

— डी सुब्बाराव, पूर्व गवर्नर, आरबीआइ

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
37,118.22 ▲ 99.90	10,997.35 ▲ 17.35	₹ 35,630 ▼ ₹165	₹ 41,900 ▲ ₹370	₹ 69.60 ▲ ₹0.54	$ 62.07

टैक्सी एग्रीगेटर्स और वाहन कंपनियां भी सड़क दुर्घटना के लिए होंगी जवाबदेह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्यसभा से पारित मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख प्रावधान ओला, उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर्स और ट्रैवल तथा गुड्स बुकिंग एजेंटों को भी नियमों के दायरे में लाने का है। इसके अनुसार अब इन सबका नियमन केंद्र के नियमों के तहत होगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो राज्यों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह केंद्रीय एजेंसी सड़क सुरक्षा बोर्ड होगी, जिसके गठन का बिल में प्रावधान किया गया है।

इंडियन फाउंडेशन आफ ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च के संयोजक एसपी सिंह के मुताबिक अभी देश में टैक्सी एग्रीगेटर्स, ट्रैवल एजेंसियों तथा गुड्स बुकिंग एजेंटों पर समुचित कानूनी नियंत्रण नहीं है। इनके पंजीयन एवं लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी राज्यों के जिम्मे है। लेकिन यातायात नियमों का उल्लंघन अथवा दुर्घटना होने पर केवल ड्राइवरों को सजा मिलती है और ये एजेंसियां साफ बच निकलती हैं। अब ऐसा नहीं होगा। नए प्रावधानों के तहत अब दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर के साथ उनके सेवायोजक टैक्सी एग्रीगेटर्स, ट्रैवल और गुड्स बुकिंग एजेंटों को भी सड़क व यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। जहां बिल में सभी प्रकार के यातायात उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। वहीं, कई ऐसे गैर-जुर्मानाकारी प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे देश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए इसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है।

ये केंद्रीय संगठन सड़क सुरक्षा का सर्वोच्च निकाय होगा जो केंद्र व राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में सलाह देगा। इसमें मोटर वाहनों के लिए मानक, रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग तथा नई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन पर सलाह शामिल है। सड़क सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था 'कट्स' ने इस प्रकार के प्रावधानों को प्रगतिशील व सुधारवादी बताया है।

- सड़क दुर्घटना के मामलों में ट्रैवल व गुड्स बुकिंग एजेंट की भी होगी जिम्मेदारी
- अभी महज ड्राइवर को मिलती है सजा, नियोक्ता कंपनियां साफ बच जाती हैं

नए विधेयक के जरिये केंद्र सरकार ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की पहल की है। फाइल

वाहन फिटनेस : बिल में देश में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इससे जहां ट्रांसपोर्ट विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, वहीं अनफिट वाहनों के सड़क पर आने और हादसों का कारण बनने पर रोक लगेगी। बिल में वाहनों की बॉडी तैयार करने वाली फर्मों (बस बॉडी बिल्डर्स) तथा स्पेयर पार्ट सप्लायरों पर भी सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

वाहनों की जांच व प्रमाणन : वाहनों की जांच एवं प्रमाणन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए वाहन की जांच एवं अनुमोदन देने वाली एजेंसियो को भी मोटर एक्ट के दायरे में लाया गया है और उनके लिए मानक बनाए जाएंगे।

त्रुटिपूर्ण वाहनों की वापसी : खराब गुणवत्ता के वाहन बाजार में बेचकर ड्राइवर, सड़क उपयोगकर्ताओं अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों पर भी लगाम लगाने के प्रावधान विधेयक में किए गए हैं। वाहन में तकनीकी खामी की पुष्टि होने पर कंपनी को केंद्र के आदेश पर हर हाल में संबंधित सीरीज के सारे वाहन बाजार से वापस लेने होंगे और ग्राहक को या तो उसी तरह का या उससे बेहतर दूसरा वाहन बदले में देना होगा अथवा वाहन की पूरी कीमत वापस लौटाने होगी। बिल में सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों की अनियमितताओं की जांच का अधिकार भी दिया गया है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस : बिल में ट्रक आदि वाहनों के ड्राइवर के सहायक को भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के दायरे में लाया गया है। हादसे की स्थिति में बीमा मुआवजे को 50 हजार रुपये से दस गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यदि पीड़ित का परिवार ये रकम स्वीकार करने को तैयार हो तो बीमा कंपनी को एक महीने के भीतर इसका भुगतान करना होगा। यदि मामला दावा ट्रिब्यूनल में जाता है तो बीमा कंपनी को उसके फैसले के अनुसार दावे का भुगतान करना होगा। बिल में हिट एंड रन मामलों में मौत पर क्षतिपूर्ति की राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये, जबकि गंभीर रूप से घायल होने पर क्षतिपूर्ति की राशि को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

चीन से आयातित विशेष स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के आसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकार चीन, ब्राजील और जर्मनी से आयात होने वाले एक विशेष प्रकार के स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। इन देशों से आयात होने वाले इस प्रकार से स्टील पर 3,263 डॉलर (करीब 2,27,685 रुपये) प्रति टन की दर से पांच साल के लिए ड्यूटी लगाने का एलान हो सकता है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के महानिदेशक ट्रेड रिमेडीज (डीजीटीआर) ने इन तीनों देशों से हाई स्पीड स्टील ऑफ नॉन कोबाल्ट ग्रेड के आयात पर जांच के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। इस स्टील का इस्तेमाल हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल बनाने के लिए होता है। जांच में पाया गया है कि इन देशों से भारत को ये उत्पाद सामान्य कीमत से काफी कम पर निर्यात किए जा रहे हैं। इसके कारण इन उत्पादों की भारत में डंपिंग हो रही है।

डीजीटीआर ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि इस तरह की डंपिंग से भारतीय उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या की लंबे समय तक अनदेखी नहीं की जा सकती है। हमारे लिए आवश्यक है कि इस मसले पर प्राथमिकता के आधार पर गौर किया जाए और जरूरी उपाय किए जाएं। इन्हीं वजहों से डीजीटीआर ने पांच साल के लिए इन उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। महानिदेशालय ने यह जांच ग्रेफाइट इंडिया की शिकायत पर की थी।

आर्थिक मंदी के साए के बीच सक्रिय हुई सरकार

राहत का कदम ▸ हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र के लिए घोषित किए उपाय

आम बजट में की गई थी इन उपायों की घोषणा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर मंडराती मंदी के संकट के बीच सरकार इससे निपटने को सक्रिय हो गयी है। वित्त मंत्रालय ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए शुक्रवार को एलान किया कि नेशनल हाउसिंग बैंक आवासीय लोन उपलब्ध कराने के लिए गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) को 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया कराएगा। इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र का हाल जानने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। साथ ही वह एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं का हल निकालने के लिए अगले हफ्ते अलग-अलग मंत्रालयों के साथ बैठक करेंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एमएसएमई क्षेत्र के लिए पैकेज घोषित किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था पर मंदी के साए की खबरों के बीच वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को आनन फानन में दो अलग-अलग वक्तव्य जारी कर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि वित्त मंत्री हर दिन सुबह साढ़े दस बजे वित्त मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ बैठक कर अति महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करती हैं। वहीं वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी बयान में कहा है कि हाउसिंग क्षेत्र की धन की जरूरत को पूरा करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक 10,000 करोड़ रुपये की नकदी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को उपलब्ध कराएगी, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अतिरिक्त नकदी उपलब्ध कराई जा सके। विभाग ने कहा कि आम बजट की घोषणा के बाद आरबीआइ ने 1,34,000 करोड़ रुपये की नकदी बैंकों को उपलब्ध कराने के उपाय किये हैं।

हाउसिंग क्षेत्र की हालत पर सभी की नजर है।

बैंकिंग क्षेत्र का हाल जानने के लिए वित्त मंत्री पांच अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करने जा रही हैं। आम तौर पर वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ ही बैठक करती हैं। संभवतः यह पहला मौका है जब निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इसमें जीडीपी बढ़ाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर आगामी महीने में किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा के साथ-साथ एमएसएमई, रिटेल, ऑटोमोबाइल, अफोर्डेबल हाउसिंग और एनबीएफसी को ऋण प्रवाह की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ऑटो सेक्टर सहित कई क्षेत्र संकट का सामना कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक फंसे कर्ज के संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री अगले सप्ताह एमएसएमई मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, राजस्व विभाग और व्यय विभाग के साथ बैठक कर एमएसएमई पर सिन्हा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और समुचित कार्रवाई पर चर्चा करेंगी। यूके सिन्हा समिति ने एमएसएमई क्षेत्र को कर्ज, इक्विटी फंडिंग और विशेष फंड की स्थापना के संबंध में सिफारिशें दी हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री की अगले सप्ताह की बैठक के बाद सरकार एमएसएमई क्षेत्र को गति देने के लिए एक पैकेज घोषित कर सकती है।

दोपहिया वाहन उद्योग में भी सुस्ती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 21.18 फीसद और एचएमएसआइ में 10.77 फीसद की कमी
- रॉयल एनफील्ड की बिक्री 22 फीसद घटकर 54,185 पर आई

कारों के साथ-साथ दोपहिया वाहन भी मंदी का शिकार बनते जा रहे हैं। जुलाई में अधिकांश कंपनियों के दोपहिया वाहनों की बिक्री में दहाई अंक की गिरावट दर्ज की गई है। इनमें हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं।

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 21.18 फीसद की कमी हुई है। पिछले साल जुलाई में कंपनी ने 6,79,862 दोपहिया वाहनों की बिक्री की थी। लेकिन इस वर्ष जुलाई में बिक्री घटकर 5,35,810 इकाई रह गई। कंपनी ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि पहली तिमाही में मंदी का जो माहौल बना था, वह जुलाई में भी जारी है। इसके परिणाम बिक्री के आंकड़ों में दिख रहे हैं। कंपनी का मानना है कि वर्ष की शेष अवधि की स्थिति काफी हद तक मानसून की स्थिति और त्यौहारी सीजन की बिक्री पर निर्भर करेगी।

दूसरी तरफ होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर (एचएमएसआइ) ने भी शुक्रवार को बिक्री के आंकड़ों का एलान किया। कंपनी की बिक्री में 10.77 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। इस वर्ष जुलाई के महीने में कंपनी 4,89,631 वाहन ही बेचने में सफल हो पाई। जबकि जुलाई, 2018 में एचएमएसआइ ने 5,48,751 दोपहिया वाहनों की बिक्री की थी। इसके अतिरिक्त मोटरसाइकिल निर्माता रॉयल एनफील्ड की बिक्री 22 फीसद घटकर जुलाई 2019 में 54,185 पर आ गई। बीते वर्ष इसी महीने कंपनी ने 69,063 मोटरसाइकिलों की बिक्री की थी। घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री 27 फीसद गिरी है। यह 67,001 से घटकर 49,182 पर आ गई है।

गुरुवार को ही बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स के आंकड़े आए थे। बजाज ऑटो की बिक्री में 13 फीसद और टीवीएस की बिक्री में 15.27 फीसद की कमी दर्ज की गई थी।

जल्द भारत में आएगी ऑडी ई-ट्रॉन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लग्जरी कार निर्माता ऑडी जल्दी ही भारत में अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक कार ई-ट्रॉन उतारेगी। कंपनी ने पहली बार दिल्ली में शुक्रवार को इसे प्रदर्शित किया। ऑडी की योजना वर्ष 2025 तक देश में और अधिक इलेक्ट्रिक कार उतारने की है। कंपनी ने अभी इसकी कीमत के बारे में कुछ नहीं बताया है।

दिल्ली एनसीआर में ऑडी गुरुग्राम के उद्घाटन के मौके पर ऑडी प्रमुख राहिल अंसारी ने कहा कि ऑडी ई-ट्रॉन इस वर्ष के अंत तक भारत की सड़कों पर उतरेगी। दैनिक जागरण से बातचीत में राहिल ने कहा कि एसी करंट पर 22 किलोवाट के चार्जर के इस्तेमाल से ई-ट्रॉन को साढ़े चार घंटे में ही चार्ज किया जा सकेगा। यदि 11 किलोवाट के चार्जर का इस्तेमाल किया जाता तो कार के लिए पूरी चार्जिंग में साढ़े आठ घंटे का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, हम इस इलेक्ट्रिक कार को लेकर खासे उत्साहित हैं और हमें भरोसा है कि इसे पसंद किया जाएगा।

गौरतलब है कि ई-ट्रॉन ऑडी की पहली संपूर्ण इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) है। खास बात यह है कि इसमें दो शक्तिशाली मोटर लगे हैं, जिनसे इसके चारो पहियों को एक साथ पावर मिलती है। इस स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में एक्सक्लूसिव वर्चुअल एक्सटीरियर मिरर है, जो एक बार फिर ऑडी ब्रांड की डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल क्षमता को प्रदर्शित करता है।

उपभोक्ताओं के हितों की चिंता करेगा प्राधिकरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

व्यापार में अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला, ई-कॉमर्स, डायरेक्ट बिक्री और ऐसे ही नए क्षेत्रों की चुनौतियों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कानूनी शिकंजा कसने में कारगर साबित होगा। आर्थिक उदारीकरण के बाद घरेलू कारोबार और सेवाओं की तस्वीर में भारी बदलाव हुआ, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं के हितों पर पड़ा है। आधुनिक बाजार में ऐसे नए उत्पादों और सेवाओं का अंबार लगा हुआ है, जो पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही नहीं आते थे।

इसकी जगह अब नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019 को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। उसे राज्यसभा से पारित होने का इंतजार है। कारोबार के नए-नए ऐसे तौर तरीके इजाद किए गए हैं, जो उपभोक्ताओं के हितों की परवाह किए बगैर धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन्हीं गड़बड़ियों पर काबू पाने और लगाम कसने के बाबत ही सरकार ने नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में एक नायाब प्रावधान किया है। इसमें केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण का गठन का प्रस्ताव किया गया है।

प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नए तौर-तरीके से किए जाने वाले व्यापार, इससे पैदा हुई गड़बड़ियों की जांच, होने वाली ठगी, उपभोक्ता हितों की अनदेखी और गलत तरीके से किए जाने वाले कारोबार को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नकली व घटिया उत्पाद बनाने वाली कंपनियों और उनके उत्पादों का भ्रामक प्रचार करने वाले ब्रांड अंबेसडर नामचीन हस्तियों को भी ले लिया गया है।

- सीसीपीए के दायरे में होंगे ई-कामर्स, डायरेक्ट बिक्री और टेली मार्केटिंग
- भ्रामक प्रचार करने वाले भी इसके दायरे में होंगे शामिल

नए उपभोक्ता संरक्षण बिल को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। फाइल

यह प्राधिकरण ई-कॉमर्स, डायरेक्ट ट्रेड, बहुस्तरीय व्यापार और अन्य कई तरह की व्यापारिक श्रृंखलाओं पर नजर रखेगा। किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर उनकी गहनता से जांच और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। ई-कॉमर्स और टेली मार्केटिंग के जरिये होने वाले व्यापार में वस्तुओं की बताई जाने वाली गुणवत्ता डिलीवरी के समय नहीं मिलती है। इसे चुनौती देने का कोई निश्चित फोरम नहीं था, लेकिन अब प्रस्तावित प्राधिकरण में इसे प्रमुखता ले लिया जाएगा।

सीसीपीए का मुख्यालय राजधानी दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जबकि राज्यों में इसकी अलग शाखाएं गठित की जाएंगी। जिला स्तर पर भी इसे फोरम में निपटाए जाने की व्यवस्था होगी। घटिया उत्पादों के ब्रांड अंबेसडर बनने वाली हस्तियों के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह मसला भी प्राधिकरण के ही अधीन होगा। इसके साथ ही किसी उत्पादन में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई करने का दायित्व भी प्राधिकरण का होगा।

विदेशी बाजारों में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार उछले

मुंबई, प्रेट्र : चीन के उत्पादों पर नए अमेरिकी शुल्क लगने और इसके कारण विदेशी बाजारों में रुझान कमजोर रहने के बावजूद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। इस दौरान आइटी, वाहन और वित्तीय क्षेत्र के ब्लूचिप शेयरों में भारी खरीदारी का माहौल रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) पर टैक्स के मुद्दे को लेकर सरकार के अंदर विचार-विमर्श होने की चर्चा के कारण बाजार में तेजी को बल मिला।

बीएसई का सेंसेक्स 99.90 अंकों की तेजी के साथ 37,118.22 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 17.35 अंकों की तेजी के साथ 10,997.35 पर बंद हुआ। सप्ताहभर के कारोबार में हालांकि सेंसेक्स में 764.57 अंकों और निफ्टी में 286.95 अंकों की गिरावट रही।

चीन से होने वाले 300 अरब डॉलर के आयात पर अमेरिका में 10 फीसद शुल्क लगने और चीन द्वारा जवाबी कदम उठाने की घोषणा के बाद पूरी दुनिया के बाजारों में गिरावट का माहौल रहा। एशिया के अन्य प्रमुख बाजारों में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.41 फीसद, हैंगसेंग में 2.35 फीसद, निक्केई में 2.11 फीसद और कोस्पी में 0.95 फीसद गिरावट रही। यूरोपीय बाजारों के शुरुआती कारोबार में भी गिरावट का माहौल रहा। फ्रैंकफर्ट के डीएएक्स में 2.45 फीसद, पेरिस के सीएसी40 में 2.62 फीसद और लंदन के एफटीएसई में 1.76 फीसद गिरावट देखी गई। अमेरिका के डाऊ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में गुरुवार को 1.05 फीसद गिरावट रही। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने से विदेशी बाजारों में गिरावट रही। लेकिन सरकार के अंदर एफपीआइ को सुपर रिच टैक्स से मुक्ति देने की चर्चा संबंधी खबरों के कारण भारतीय बाजार में उछाल दर्ज किया गया। सेंसेक्स में भारती एयरटेल में सर्वाधिक 6.02 फीसद तेजी रही। एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी दो फीसद से अधिक उछले। टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और टीसीएस एक फीसद से अधिक उछले। दूसरी ओर सेंसेक्स में भारतीय स्टेट बैंक में सर्वाधिक 2.76 फीसद गिरावट रही। टाटा स्टील और एनटीपीसी भी दो फीसद से अधिक लुढ़के। ओएनजीसी, पावर ग्रिड, वेदांता, आइसीआइसीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, आइटीसी, एचसीएल टेक और सन फार्मा एक फीसद से अधिक लुढ़के। सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के टेलीकॉम सेक्टर में सर्वाधिक 3.63 फीसद तेजी रही।

- सेंसेक्स 99.90 अंकों की तेजी के साथ 37,118.22 पर बंद
- निफ्टी 17.35 अंकों की मजबूती के साथ 10,997.35 पर स्थिर

कई दिन बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेजी दिखाई दी।

कॉफी डे में 9.96 फीसद गिरावट के साथ फिर निचला सर्किट लगा

नई दिल्ली : कॉफी डे इंटरप्राइजेज में 9.96 फीसद गिरावट के साथ फिर निचला सर्किट लग गया। कंपनी के शेयरों में गत चार दिनों से निचला सर्किट लग रहा है और इस दौरान इसमें 48 फीसद से अधिक गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार को कंपनी के शेयर 99.90 रुपये पर बंद हुए।

कमजोर विदेशी रुझान पर सोना 165 रुपये फिसला

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 165 रुपये फिसलकर 35,630 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक चांदी हालांकि 370 रुपये मजबूत होकर 41,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सराफा कारोबारियों ने कहा कि विदेश के कमजोर रुझानों का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। स्थानीय ज्वेलर्स के बीच मांग घटने से भी सोने में गिरावट हावी हुई। न्यूयॉर्क में सोने में 1,437.30 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर और चांदी में 16.22 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार हुआ। राजधानी के हाजिर बाजार में 99.9 फीसद खरा सोना 165 रुपये फिसलकर 35,630 रुपये और 99.5 फीसद खरा सोना भी इतनी ही कमजोरी के साथ 35,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी 27,500 रुपये प्रत्येक के भाव पर स्थिर रही। चांदी हाजिर 370 रुपये उछलकर 41,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वीकली डिलीवरी 484 रुपये चढ़कर 41,054 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई है।

कमाल की बात

100 व्यापारियों को जोड़कर शुरू किया ऑनलाइन व्यवसाय, व्यापारियों की दुकानों से कंपनी के लोग एकत्रित करते हैं बिल, रोजाना देर रात तक कर देते हैं बिलों को अपडेट

जीएसटी की झंझट को बना दिया स्टार्टअप

दीपक अवस्थी, रायपुर

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में व्यापारियों को आ रही दिक्कतों को ही रायपुर के युवाओं ने अपना स्टार्टअप बना लिया। रायपुर के सरोना में रहने वाले वामसी कृष्णा, एस स्वप्ना और विनय कुमार ने 'अकाउंटिंग वाला' नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। इस स्टार्टअप की खासियत है कि इससे व्यापारियों को न ही बिल एंट्री करने की जरूरत है न ही जीएसटी का रिटर्न भरने की आवश्यकता। केवल व्यापारियों को क्रय-विक्रय के बिलों को दुकान के एक बॉक्स में डालना है। युवाओं की स्टार्टअप कंपनी के बाइक राइडर वहां जाकर बिल को एकत्र कर लेंगे और उक्त बिलों को देर रात तक कंप्यूटर रिकॉर्ड में अपडेट भी कर देंगे। इसकी जानकारी व्यापारी को मोबाइल पर मिलती रहेगी। इसका फायदा ये होगा कि महीने के अंत तक व्यापरी का जीएसटी रिटर्न भर जाएगा।

ऐसे करता है काम : स्टार्टअप को तैयार करने वाले वामसी कृष्णा ने बताया कि व्यापारियों को एक शिकायत बॉक्स जैसी पेटी देते हैं। उक्त पेटी में व्यापारी खरीद के बिल, बिक्री के बिल और चेक की डिटेल आदि सब डाल देते हैं। व्यापारी को दी गई पेटी में बार कोड लगाया जाता है। इसमें उक्त व्यापारी की सभी जानकारी उपलब्ध होती है। रोजाना देर शाम तक स्टार्टअप का डिलीवरी बॉय (राइडर) पहुंच कर सभी पेटी को स्कैन कर सभी बिलों को मोबाइल से 'अकाउंटेंट वाला' सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं, जो सीधे सॉफ्टवेयर के सर्वर में चला जाता है। वहीं 'अकाउंटेंट वाला' सॉफ्वेयर कंपनी में बैठे अकाउंटेंट तत्काल बिलों को बही-खाते में अपडेट कर देते हैं। यह प्रक्रिया रोजाना चलती है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए व्यापारी को केवल 1500 रुपये प्रतिमाह चुकाने होते हैं।

ये होती थी दिक्कत : जीएसटी के नियम के मुताबिक 20 लाख के ऊपर का व्यापार करने वाले व्यापारियों को प्रतिमाह की 10 तारीख तक जीएसटी आर वन और 20 तारीख तक जीएसटी आर थ्री बी फॉर्म भर कर देना होता है। इसमें महीने भर में दुकान के लिए की गई खरीदारी और की गई बिक्री को बताना होता है। इसके लिए व्यापारियों को अकाउंटेंट और सीए के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो व्यापारी तय समय सीमा तक फॉर्म नहीं भरते, उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा करना होता है। उक्त स्टार्टअप से इन तमाम झंझटों से व्यापारियों को मुक्ति मिल गई है।

छत्तीसगढ़ में रायपुर के युवा जिन्होंने जीएसटी की झंझटों को ही अपना स्टार्टअप बना लिया। जागरण

नकदी की सीमा तय करने से दिल्ली हाई कोर्ट का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नकदी निकासी की सीमा 10 हजार रुपये तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोई आदेश देने से हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सीमा तय करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करना आयकर कानून में व्यवधान पैदा करेगा, जिसमें सीमा दो लाख तय की गई है।

हाई कोर्ट की इस प्रतिक्रिया के बाद भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका को वापस ले लिया। याचिका में मांग की गई थी कि नकदी की सीमा 10 हजार रुपये तय की जाए, क्योंकि ऐसा करने से आतंक, भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। ज्यादा नकदी निकासी और बड़े नोट से अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और पाया कि याचिका में जो दलीलें दी गई हैं वे स्वीकार करने लायक नहीं हैं, क्योंकि नकदी की सीमा तय करने का मामला केंद्र सरकार से संबंधित है।

ई-टेंडर घोटाले में मप्र के पूर्व मंत्री के एक और करीबी से पूछताछ

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई-टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा के करीबी मुकेश शर्मा से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने पूछताछ फिर शुरू कर दी है। शर्मा से नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य और जल संसाधन विभाग के टेंडरों को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं, मिश्रा के दो अन्य करीबियों निर्मल अवस्थी और वीरेंद्र पांडे से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ जारी है। ईओडब्ल्यू अब अवस्थी, पांडे और शर्मा को ई-टेंडर घोटाले में एजेंट मानकर चल रही है।

सूत्रों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू शर्मा से दो दिन से पूछताछ कर रही है। उसे करीब एक महीने पहले भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक दिन की पूछताछ के बाद वह लापता हो गया था। पांडे और अवस्थी से पूछताछ में शर्मा से जुड़ी कुछ जानकारियां मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने दबाव बनाया तो वह गुरुवार को जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंचा था। शर्मा इंदौर के विजय नगर में रहता है। उसकी प्रेमप्रकाश ट्यूब नामक कंपनी भी है। करीब एक दशक पहले उसका नाम आयकर के एक छापे में भी आया था, जिसमें एक वाहन चालक के लॉकर से करोड़ों रुपये मिले थे।

- अवस्थी के खिलाफ दर्ज होगा आय से अधिक संपत्ति का एक और केस

कुछ महीने में करोड़ों की संपत्ति : बताया जाता है कि ईओडब्ल्यू ने अवस्थी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक और मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली है।

अवस्थी की कुछ महीने की सरकारी नौकरी थी। उसकी पत्नी की वकालत से आय बताई गई है। दोनों की आय को ईओडब्ल्यू करीब 10 लाख रुपये मानकर चल रही है, लेकिन अब तक उसकी संपत्ति के जो कागजात मिले हैं, वे एक करोड़ से ज्यादा के हैं। वहीं, पांडे ने रीवा में करीब नौ एकड़ जमीन खरीदी है, जिसके भुगतान के बारे में ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है।

33 घंटे तक चली सर्जरी के जरिये सिर से जुड़ी बांग्लादेश की तीन साल की जुड़वा बहनों रबिया और रुकिया को चिकित्सकों की टीम ने अलग कर लिया है। हंगरी से आए 30 डॉक्टरों और स्थानीय चिकित्सकों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को यहां एक सैन्य अस्पताल में अंजाम दिया।

सऊदी महिलाओं को अकेले विदेश जाने की मिली आजादी

नए नियमों का हुआ एलान, पुरुषों की अनुमति के बिना पा सकेंगी पासपोर्ट

न्यूयॉर्क टाइम्स से

रियाद : छवि सुधारने में जुटे सऊदी अरब ने महिलाओं को अकेले विदेश जाने की छूट दे दी है। वे अब पुरुष रिश्तेदार के बगैर विदेश में काम भी कर सकेंगी। महिलाओं के अकेले विदेश जाने पर लगे प्रतिबंध के कारण सऊदी सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस तरह की बंदिशों को महिलाओं के अधिकारों का दमन करार दिया था।

सऊदी सरकार ने शुक्रवार को नए नियमों का एलान किया। इनके तहत वयस्क महिलाओं को पुरुषों की इजाजत के बिना पासपोर्ट पाने, विदेश जाने और काम करने की अनुमति होगी। पहले महिलाओं को पासपोर्ट पाने के लिए आमतौर पर पिता या पति की अनुमति की जरूरत पड़ती थी। कई बार तो उन्हें पासपोर्ट पाने, विदेश जाने, नौकरी करने या चिकित्सा संबंधी यात्रा करने के लिए अपने बेटे या किसी दूसरे पुरुष रिश्तेदारों की भी इजाजत लेनी पड़ती थी। इस तरह की तमाम बंदिशों समेत पुरुषों की प्रताड़ना और भेदभावपूर्ण कानून व्यवस्था से तंग होकर हाल के वर्षों में कई सऊदी महिलाएं विदेश भाग गईं। उनका कहना था कि सऊदी की कानून व्यवस्था उनकी रक्षा नहीं करती। इस साल जनवरी में रहाफ मुहम्मद अलकुनान नामक 18 साल की युवती सऊदी अरब से भागकर थाइलैंड पहुंच गई थी। सोशल मीडिया के जरिये उसने खुद पर ढाए अपने परिवार के जुल्मों को बयां किया था।

सऊदी अरब में अभी तक महिलाओं को विदेश जाने के लिए अपने पिता या पति की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन, क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने इन दिनों सामाजिक सुधारों की मुहिम छेड़ रखी है। इसी का परिणाम है कि अब यहां महिलाएं स्वेच्छा से विदेश जा सकेंगी। **फाइल फोटो, एएफपी**

मुल्क की छवि सुधारने में जुटे हैं क्राउन प्रिंस : सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे बंदिशों वाले स्थान के तौर पर बनी अपने मुल्क की छवि को सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। इसी कवायद में यह नया कदम उठाया गया है। वह 2015 से ही सामाजिक सुधार की मुहिम में जुटे हैं। महिलाओं पर बंदिशें लगाने वाले नियमों के बारे में पिछले साल क्राउन प्रिंस ने कहा था कि वह इन्हें समाप्त करना पसंद करेंगे।

पिछले साल मिली ड्राइविंग की छूट : क्राउन प्रिंस सलमान के प्रयास से ही पिछले साल महिलाओं को ड्राइविंग की छूट मिली थी। यह अधिकार पाने के लिए सऊदी महिलाएं लंबे समय से मांग कर रही थीं। 1990 में पहली बार इसके लिए मुहिम शुरू हुई थी।

चर्चित केनेडी परिवार में दवाओं की ओवरडोज से एक की मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक परिवारों में शुमार केनेडी परिवार में फिर एक हादसा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के भाई रॉबर्ट एफ केनेडी की पोती साओर्स केनेडी हिल (22) की गुरुवार को कथित तौर पर दवाओं के ओवरडोज से मौत हो गई। न्यूयॉर्क से सीनेटर रहे रॉबर्ट अमेरिका के अटॉर्नी जनरल भी रहे थे।

केनेडी परिवार के करीबी लोगों के अनुसार, साओर्स अपनी दादी इथेल (91) के साथ मैसाच्युसेट्स स्थित पैतृक आवास केनेडी कंपाउंड में थीं। गुरुवार दोपहर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत केप कोड अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पॉल माइकल हिल और कर्टनी केनेडी हिल की इकलौती संतान साओर्स बोस्टन कॉलेज में पढ़ती थीं। 2016 में उन्होंने खुद के डिप्रेशन और मानसिक रोग से पीड़ित होने की जानकारी भी दी थी। केनेडी परिवार ने साओर्स की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। दादी इथेल ने कहा, 'साओर्स के चले जाने से यह दुनिया आज कम खूबसूरत लग रही है।'

अमेरिका और रूस की ऐतिहासिक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि खत्म

वाशिंगटन में 8 दिसंबर 1987 को अमेरिका और सोवियत के बीच हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि के दौरान हाथ मिलाते तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन (दाएं) और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव। हथियारों के विकास की होड़ रोकने के लिए तीन दशक पहले हुई इस संधि से शुक्रवार को रूस ने खुद को अलग कर लिया है। फाइल फोटो, एपी

वाशिंगटन, एपी : परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तीन दशक पहले हुई ऐतिहासिक संधि शुक्रवार को खत्म हो गई। दोनों देशों के बीच 1987 में हुई इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (आइएनएफ) संधि के खत्म होने से दुनिया में नए हथियारों के विकास की होड़ शुरू होने की आशंका जताई जा रही है।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने शुक्रवार को थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक क्षेत्रीय सम्मेलन में आइएनएफ संधि से अमेरिका के हटने का औपचारिक एलान किया। इसके बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर संधि खत्म होने का एलान कर दिया। अमेरिका ने संधि खत्म होने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। उसका कहना है कि रूस सालों से ऐसे हथियार विकसित कर रहा है, जो इस संधि का उल्लंघन है। इससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों खासतौर पर यूरोप को खतरा पैदा हो गया है। इस आरोप से इन्कार करते हुए रूस ने कहा कि अमेरिका नई मिसाइलें विकसित करने के लिए संधि से हटने का बहाना बना रहा था।

ट्रंप ने अक्टूबर में किया था एलान : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 20 अक्टूबर को यह एलान किया था कि वह इस संधि से अमेरिका को अलग कर रहे हैं। अमेरिका ने गत एक फरवरी को आइएनएफ संधि को निलंबित कर दिया था। इसके बाद रूस ने भी संधि को निलंबित कर दिया था। अब दोनों देश औपचारिक तौर पर इस संधि से अलग हो गए।

मध्यम दूरी की मिसाइलें की गई थीं प्रतिबंधित : आइएनएफ संधि पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्वाच्योव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत मध्यम दूरी यानी 5,500 किलोमीटर तक मार करने वाली कई मिसाइलों को प्रतिबंधित किया गया था।

दुनिया में शुरू हो सकती है नए हथियारों के विकास की होड़

नाटो ने रूस को ठहराया जिम्मेदार

ब्रसेल्स, एएफपी : 29 देशों के गुट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन (नाटो) ने आइएनएफ संधि खत्म होने के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। नाटो ने कहा, 'हमें खेद है कि रूस ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर लौटने की कोई स्पष्ट इच्छा नहीं दिखाई।'

त्रिपक्षीय हथियार नियंत्रण समझौते के इच्छुक ट्रंप : ट्रंप प्रशासन का दावा है कि चीन परमाणु हथियारों के अपने जखीरे को बढ़ा रहा है। ऐसे में उसे परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर नहीं रखा जा सकता। ट्रंप इस बात की इच्छा जता चुके हैं कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच हथियार नियंत्रण समझौता हो।

न्यू स्टार्ट समझौता भी खतरे में : ट्रंप प्रशासन रूस के साथ 2010 में हुए न्यू स्टार्ट समझौते को भी आगे बढ़ाने का इच्छुक नहीं दिख रहा। इस समझौते की अवधि 2021 में खत्म होने वाली है। इस समझौते के तहत परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट को ही नवीनीकृत करने का सुझाव दिया था। लेकिन ट्रंप नए सिरे से संधि करने पर अड़े हैं। उन्होंने न्यू स्टार्ट को खराब समझौता करार देते हुए कहा था कि इसे ओबामा प्रशासन ने किया था।

कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान से होगी बात : जयशंकर

सुर बदले ▶ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों पक्ष करें आग्रह तो करेंगे मध्यस्थता

बैंकाक में हुई अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपिओ से जयशंकर की मुलाकात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत ने अमेरिका को दो टूक कहा है कि वह कश्मीर को लेकर किसी भी सूरत में मध्यस्थता स्वीकार करने नहीं जा रहा। कश्मीर पर पाकिस्तान के सिवाय और किसी भी देश से बात करने का सवाल नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल पोंपिओ को भारतीय नीति से अवगत कराया। वैसे जयशंकर यह बात संसद में पहले ही कह चुके हैं। यह बैठक बैंकाक में हुई जहां दोनों नेता पूर्वी एशिया समूह के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। भारत के इस कड़े रुख का असर अमेरिका पर भी पड़ता दिख रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदलने के संकेत हैं। उन्होंने कश्मीर में तभी मध्यस्थता करने की बात कही है जब इसका आग्रह दोनों पक्षों से आए।

पोंपिओ से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने जो ट्वीट किए हैं उससे साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए जो बयानबाजी की गई थी उसको लेकर भारत कितना गंभीर है। जयशंकर ने कहा, 'मैंने अपने समकक्ष पोंपिओ को साफ शब्दों में बता दिया है कि कश्मीर पर अगर कोई बात होगी तो वह सिर्फ पाकिस्तान से होगी और वह भी द्विपक्षीय तौर पर।'

थाइलैंड की राजधानी बैंकाक में शुक्रवार को आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो के बीच मुलाकात हुई। एएनआइ

ट्रंप ने पिछले दिनों पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का वाशिंगटन में स्वागत करते हुए बयान दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार भी है। भारत में ट्रंप के इस बयान को काफी राजनीतिक रंग दिया गया। कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि राजग सरकार कश्मीर पर भारत की पारंपरिक नीति का त्याग कर रही है। सरकार ने इसका पुरजोर खंडन भी किया। अब गुरुवार को वाशिंगटन में ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता को लेकर जो नया बयान दिया है उससे लगता है कि अमेरिका भारत की नाराजगी से सतर्क हो गया है। ट्रंप से जब यह पूछा गया कि भारत तो आपकी मध्यस्थता का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहा तो अब आप क्या करेंगे, इसका जवाब उन्होंने दिया कि, 'यह पीएम मोदी पर ही निर्भर करता है कि वह हमारा सुझाव स्वीकार करते हैं या नहीं। मोदी और खान (पाकिस्तान पीएम इमरान खान) दोनों बेहद शानदार आदमी हैं। मुझे लगता है कि दोनों के बीच अच्छी बात हो सकती है लेकिन अगर वे चाहते हैं कि कोई मध्यस्थता करे तो हम कर सकते हैं।'

पाक को सैन्य मदद देने पर भारत ने अमेरिका से जताया विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के अमेरिका के फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि यहां अमेरिकी राजदूत और वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया है। उन्होंने कहा, 'हमने दिल्ली में अमेरिकी राजदूत के साथ ही वाशिंगटन में हमारे राजदूत के जरिये अमेरिकी सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया है। हमने पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा सैन्य सहायता देने पर गंभीर चिंता जताई है।'

सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी राजदूत को साउथ ब्लॉक बुलाया गया और पाकिस्तान सेना की मदद करने के अमेरिका के फैसले पर उनके समक्ष विरोध दर्ज कराया गया। पेंटागन ने पिछले सप्ताह अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को जानकारी दी थी कि उसने 12 करोड़ 50 लाख डॉलर (करीब 862 करोड़ रुपये) की सैन्य बिक्री की मंजूरी दी है, जिससे पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों की निगरानी की जाएगी। यह सूचना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच व्हाइट हाउस में बैठक के बाद दी गई। रवीश कुमार ने कहा, 'अमेरिका ने हमें बताया कि प्रस्तावित बिक्री से पाकिस्तान को सैन्य सहायता रोककर रखने की अमेरिका की नीति में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता।' उन्होंने कहा, 'अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि प्रस्तावित बिक्री का उद्देश्य अमेरिका को तकनीकी और साजो-सामान सेवाएं जारी रखने में सक्षम बनाना है ताकि पाकिस्तान की एफ-16 विमानों की इन्वेंट्री के संचालन की निगरानी में सहायता की जा सके।' पाक ने बालाकोट हवाई हमले की जवाबी कार्रवाई में भारत के खिलाफ एफ-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था।

भारतवंशी डॉक्टर भाषा मुखर्जी बनीं मिस इंग्लैंड

लंदन, आइएएनएस : भारतवंशी डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने दर्जनों प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस इंग्लैंड का ताज अपने नाम कर लिया। डर्बी की रहने वाली 23 वर्षीय भाषा के पास स्नातक की दो डिग्री हैं। इस जीनियस सुंदरी का आइक्यू 146 है और वह पांच भाषाएं बोल सकती हैं। मिस इंग्लैंड प्रतियोगिता खत्म होते ही वह बोस्टन स्थित हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के तौर पर नौकरी शुरू करने वाली थीं। अब वह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करेंगी।

भारत में जन्मीं भाषा नौ साल की उम्र में अपने माता-पिता के साथ इंग्लैंड पहुंच गई थीं। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंस के साथ उन्होंने मेडिसिन और सर्जरी में भी स्नातक किया है। मिस इंग्लैंड के आखिरी चरण से पहले एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, 'कई लोग सोचते हैं कि सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीतने वाली लड़कियां बुद्धू होती हैं। लेकिन हम सब किसी ना किसी मकसद से ही यहां हैं। मेडिकल की पढ़ाई के बीच मैंने इस तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में सोचा। इसके लिए मुझे खुद को बहुत समझाना भी पड़ा था।' स्कूल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थीं इसलिए अपने शिक्षकों की चहेती थीं। क्लास में सबसे होशियार होने के लिए उन्हें आइंस्टीन अवार्ड भी मिला था। वह एक सामाजिक संस्था भी चलाती हैं।

पाक सेना की सफाई, सीनेट में नहीं गिराया अविश्वास प्रस्ताव

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के विपक्ष ने सेना पर संसद के ऊपरी सदन सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विफल कराने का आरोप लगा है। सेना ने हालांकि इससे इन्कार करते हुए शुक्रवार को कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को विफल करने में खुफिया एजेंसी आइएसआइ की कोई भूमिका नहीं थी।

सीनेट अध्यक्ष संजरानी के खिलाफ गुरुवार को विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन वह गिर गया। संयुक्त विपक्ष अपनी जीत की उम्मीद लगाए था लेकिन उसका प्रस्ताव महज तीन वोटों से पारित होने से रह गया। प्रस्ताव को 50 सांसदों का समर्थन मिला। मतदान से आधे घंटे पहले सभी 64 विपक्षी सदस्य संजरानी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए थे। लेकिन गुप्त मतदान के दौरान 14 सांसदों ने पाला बदल लिया। विपक्षी सांसद और सीनेट अध्यक्ष के संयुक्त उम्मीदवार मीर हसिल खान ने इस हार के लिए इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (आइएसआइ) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जिम्मेदार ठहराया।

अपनी हार का कारण पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया, 'वे जनरल फैज के लोग थे। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जानते हैं।' इस आरोप से इन्कार करते हुए सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट में कहा, 'मुल्क के प्रमुख संस्थान पर सांसद मीर हासिल के आरोप बेबुनियाद हैं। सियासी फायदे के लिए पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।' रक्षा मंत्री परवेज खटक ने भी सांसद मीर हसिल खान के बयान की निंदा की है।

अंतिम वक्त में कुछ सांसदों के पाला बदलने से गिरा विपक्ष का प्रस्ताव

आसिफ गफूर साभार : ट्विटर

पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ के दो भतीजों को विमान से उतारा

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने हज यात्रा पर जा रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दो भतीजों को विमान से उतार लिया। इमिग्रेशन अधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के आग्रह पर यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज अब्बास को गुरुवार को लाहौर के अल्लामा इकबाल हवाई अड्डे से मदीना जाने को तैयार फ्लाइट से नीचे उतारा गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के देश छोड़कर जाने पर रोक लगी है।

चौधरी चीनी मिल कंपनी से जुड़े अरबों रुपये के भ्रष्टाचार मामले में शरीफ परिवार के अन्य सदस्यों की तरह यूसुफ और अब्दुल पर भी मनी लांड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच कर रही पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी एनएबी ने हाल में दोनों से इस कंपनी में हिस्सेदारी और मुनाफे को लेकर पूछताछ की थी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एनएबी ने गृह मंत्रालय से दोनों के नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट (पीएनआइएल) में डाल देने की सिफारिश की थी। इस सूची में शामिल लोगों के देश छोड़ने पर पाबंदी रहती है। मिल मामले में शरीफ की बेटी मरयम से भी पूछताछ की गई थी।

उपचुनाव में हार के बाद मुश्किल में फंस सकती है बोरिस जॉनसन सरकार

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार को उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। वेल्स उपचुनाव में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के क्रिस डेविस की हार के बाद सरकार नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। टेरीजा मे के इस्तीफे के बाद पीएम बने जॉनसन संसद में अपना बहुमत गंवा सकते है। 650 सदस्यों वाली संसद में कंजरवेटिव पार्टी के 310 और डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी (डीयूपी) के 10 सदस्यों को मिलाकर जॉनसन के पास 320 सांसदों का समर्थन है। जबकि विपक्षी दलों के 319 सदस्य हैं।

वेल्स की ब्रेकन एंड रैडनोशायर सीट के लिए हुए उपचुनाव में लिबरल डेमोक्रेट नेता जेन डाड्स ने क्रिस को 1,425 वोटों से हराया। खर्च में गड़बड़ी के मामले में दोषी पाए जाने के बाद क्रिस को अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद भी पार्टी ने उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया। यह चुनाव जॉनसन के लिए पहली चुनौती माना जा रहा था। यह पहली बार है जब किसी नए प्रधानमंत्री को पद संभालने के इतने कम दिनों में ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जीत के बाद डाड्स ने कहा, 'मेरा पहला काम जॉनसन को ढूंढकर उन्हें यह बताना है कि वह हमारे देश के भविष्य के साथ खेलना बंद करें।' दरअसल, जॉनसन ने 31 अक्टूबर तक बिना किसी समझौते के भी ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की बात की है। विपक्ष के साथ ही कंजरवेटिव पार्टी के कुछ सांसद भी इसके विरोध में है।

डाड्स की जीत से खुश लिबरल डेमोक्रेट नेता जो स्विंसन ने कहा, 'जॉनसन का घटता बहुमत इस बात का सुबूत है कि उनके पास ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर निकालने का समर्थन नहीं है।' लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ब्रेक्जिट पर दोबारा जनमत संग्रह की मांग कर रही है।

- उपचुनाव में सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के प्रत्याशी क्रिस डेविस की हार
- जॉनसन के पास बचा 320 सांसदों का समर्थन, विपक्ष के पास 319 सीटें

ब्रिटेन में हुए उपचुनाव में लिबरल डेमोक्रेट नेता जेन डाड्स ने सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के क्रिस डेविस को 1,425 वोटों से हराया। एएफपी

विवादित द्वीप पर पहुंचे रूसी पीएम, जापान नाराज

तनाव के आसार

प्रशांत महासागर और रूस के ओखोस्क सागर को अलग करने वाले कुरील द्वीपसमूह के चारों द्वीप बने हुए हैं रूस और जापान के बीच विवाद का कारण

टोक्यो, रायटर : रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव शुक्रवार को विवादित कुरील द्वीपसमूह के एक द्वीप पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा से जापान और रूस के बीच फिर तनाव बढ़ने की आशंका है। जापान के विदेश मंत्रालय ने मेदवेदेव की इस यात्रा को खेदजनक बताया है। प्रशांत महासागर और रूस के ओखोस्क सागर को अलग करने वाले कुरील द्वीपसमूह के चारों द्वीप रूस और जापान के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में तत्कालीन सोवियत संघ की सेना ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान भी इन पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। इसी के चलते दोनों देशों में अब तक कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। मेदवेदेव की यात्रा पर एतराज जताते हुए जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'उनकी यात्रा जापान की संप्रभुता और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के संबंध बढ़ाने और शांति समझौते के लिए रूसी पक्ष ठोस कदम उठाए।' वर्ष 2015 के बाद मेदवेदेव पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे हैं। उनका यह कदम शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत और द्वीप पर हो रहे साझा आर्थिक कार्यक्रमों में बाधा बन सकता है।

रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने शुक्रवार को विवादित कुरील द्वीपसमूह के इतुरुप द्वीप का दौरा किया। जापान ने मेदवेदेव की इस यात्रा पर आपत्ति जताई है। रायटर

दूसरी ओर मेदवेदेव ने जापान के विरोध पर सवाल खड़े करते हुए कहा, 'यह द्वीप हमारी जमीन है तो इस यात्रा पर हमें क्यों चिंता होनी चाहिए।' पिछले साल सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना किसी शर्त के 2018 के अंत तक शांति समझौते की बात की थी। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने उनका यह प्रस्ताव खारिज कर दिया था।

अलकायदा के समर्थन वाले तुलसी गबार्ड के आरोप पर भड़के ट्रंप

वाशिंगटन, प्रेट्र : आतंकी संगठन अलकायदा को समर्थन देने के विपक्षी डेमोक्रेट सांसद तुलसी गबार्ड के आरोप पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई है। ट्रंप ने गबार्ड के बयान को हास्यास्पद बताया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ में शामिल गबार्ड ने बीते बुधवार को कहा था कि ट्रंप अलकायदा का समर्थन कर देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवारों की दूसरी बहस में गबार्ड ने यह बात कही थी।

इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आतंकी संगठन और युद्ध के खिलाफ उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा किडेमोक्रेट सांसद तुलसी गबार्ड को नहीं पता कि वह क्या बोल रही हैं। अपने बयान के बचाव में गबार्ड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा सऊदी अरब की मदद करना अलकायदा जैसे आतंकी संगठन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन करना है। बता दें कि गेबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवारी बने की होड़ में शामिल हैं।

दबाव बनाने को उ. कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट

सियोल, रायटर : उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को फिर से अपनी मिसाइलों का परीक्षण किया। आठ दिनों में यह उसका तीसरा मिसाइल परीक्षण था। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करके उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है, साथ ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर दबाव भी बना रहा है। दोनों देश चाहते हैं कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार खत्म कर दे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया इस तरह के परीक्षण कर संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन उनके और उत्तर कोरिया के नेता किम जोग उन के बीच हुआ अनौपचारिक समझौता बरकरार है।

उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण की उम्मीद पाले अमेरिकी अधिकारी मिसाइल परीक्षणों पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे। वे ट्रंप के साथ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की वार्ता को फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह वार्ता वियतनाम की राजधानी हनोई में इसी वर्ष फरवरी में टूट गई थी। 30 जून को ट्रंप ने आगे बढ़कर किम जोंग से फिर संबंध सामान्य बनाने का प्रयास किया। दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान किम जोंग को दोनों देशों के मध्य स्थित असैन्य क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाया और खुद उत्तर कोरिया की धरती पर गए। इसलिए अमेरिका मिसाइल परीक्षणों पर कुछ बोलकर ट्रंप-किम जोंग के बीच फिर से वार्ता के बन रहे माहौल को खराब नहीं कर रहा। बैंकॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा है कि कुछ अवरोधों के बावजूद उत्तर कोरिया के साथ हमारी वार्ता आगे बढ़ रही है। पोंपियो यहां आसियान देशों के एक कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। दक्षिण कोरिया ने प्रतिक्रिया में कहा है कि उत्तर कोरिया ने ताजा परीक्षण कम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल का किया है। यह 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 220 किलोमीटर की दूरी तक गई। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, हमारे खुफिया अधिकारियों की परीक्षण पर नजर है।

आठ दिनों में तीसरी बार किया परीक्षण, वार्ता के लिए प्रयासरत है अमेरिका

पहला मुकाबला ▶ दोनों टीमों के बीच तीन टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज

भविष्य की तैयारी करने उतरेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम में शामिल युवा खिलाड़ियों के लिए होगा सबसे बड़ा टेस्ट

लॉडरहिल (अमेरिका), प्रेट्र : तीसरा विश्व कप जीतने का सपना टूटने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच के जरिये करेगी। वेस्टइंडीज दौरे पर रवानगी से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि इन सीरीज का मकसद नए खिलाड़ियों को परखना है जिनके नाम चयनकर्ताओं के जेहन में हैं। कोहली को सीमित ओवरों के प्रारूप में आराम दिए जाने की संभावना थी लेकिन स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को छोड़कर पूरी मजबूत टीम चुनी गई है। बुमराह 22 अगस्त से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज खेलेंगे। हरफनमौला हार्दिक पांड्या को पूरे दौरे से आराम दिया गया है।

अय्यर और पांडे को करना होगा साबित : श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे के लिए यह दौरा अहम होगा जिनका मकसद अपनी उपयोगिता साबित करना रहेगा। पांडे ने भारत के लिए आखिरी मैच नवंबर 2018 में और अय्यर ने फरवरी 2018 में खेला था। भारत के सामने चुनौती मध्यक्रम की समस्याओं से निजात पाने की भी होगी। पांडे और अय्यर दोनों वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारत-ए टीम का हिस्सा थे और अच्छी पारियां खेल चुके हैं।

युवाओं के पास दम दिखाने का मौका : स्पिन हरफनमौला वॉशिंगटन सुंदर, तेज गेंदबाज खलील अहमद और दीपक चाहर टी-20 टीम में लौटे हैं। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी और दीपक के चचेरे भाई राहुल चाहर भी टीम में हैं। रोहित शर्मा और फिट होकर लौटे शिखर धवन पारी का आगाज करेंगे जबकि चौथे नंबर पर केएल राहुल का उतरना तय है। राहुल ने तीन साल पहले यहां 110 रन की नाबाद पारी खेली थी। हालांकि भारत यह मुकाबला वेस्टइंडीज से हार गया था। विश्व कप में पांच शतक समेत सर्वाधिक रन बनाने वाले रोहित उस लय को कायम रखना चाहेंगे। कप्तान कोहली के साथ मतभेदों की खबरों के बीच उनका फोकस क्रिकेट पर रहेगा

रिषभ पर अधिक जिम्मेदारी : इस दौरे से रिषभ पंत पर अधिक जिम्मेदारी होगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धौनी के भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं के बीच वह पहले विकेटकीपर के रूप में यहां आए हैं। दूसरी ओर टी-20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक टीम वेस्टइंडीज में कीरोन पोलार्ड और स्पिनर सुनील नरेन की वापसी हुई है। क्रिस गेल वनडे सीरीज ही खेलेंगे। चोटिल आंद्रे रसेल की जगह जेसन मुहम्मद को टी-20 टीम में जगह मिली है।

भारतीय कप्तान कोहली ने सोशल मीडिया पर साथियों संग यह तस्वीर साझा की। ट्विटर

4 छक्के दूर हैं रोहित शर्मा (102) टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बनने में। फिलहाल इस सूची में सबसे आगे क्रिस गेल (105) हैं

2 टी-20 मैच अब तक अमेरिका के लॉडरहिल में खेली है भारतीय टीम। एक मैच हारा, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा था

6 टी-20 मैच अब तक लॉडरहिल मैदान पर खेली वेस्टइंडीज। तीन जीती, दो हारी और एक बेनतीजा रहा

दोनों टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, रिषभ पंत, क्रुणाल पांड्या, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चाहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चाहर, नवदीप सैनी।

वेस्टइंडीज : कार्लोस ब्रेथवेट (कप्तान), जॉन कैंपबेल, एविन लुइस, शिमरोन हेटमायर, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, रोवमैन पॉवेल, कीमो पॉल, सुनील नरेन, शेल्डन कॉटरेल, ओशाने थॉमस, एंथनी ब्रेंबल, जेसन मुहम्मद, खारी पियरे।

फिर विराट की तस्वीर से रोहित नदारद

नई दिल्ली : कप्तान विराट कोहली ने टीम के अपने साथियों के साथ ट्विटर पर तस्वीर साझा की है। कोहली के इस फोटो का कैप्शन है- स्क्वॉड यानी टीम। इस तस्वीर में रवींद्र जडेजा, नवदीप सैनी, खलील अहमद, श्रेयस अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और केएल राहुल नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर में उपकप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन जैसे सीनियर खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे एक बार फिर कोहली और रोहित के बीच दरार की खबरों को हवा मिल रही है। इस दौरे पर जाने से पहले भी विराट ने रोहित के बिना एक फोटो शेयर की थी। कई प्रशंसकों ने कोहली की इस तस्वीर में रोहित की गैरमौजूदगी के बारे में सवाल किए हैं। वहीं रोहित ने इससे पहले इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की थी जिसका कैप्शन था कि मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए मैदान पर जाता हूं। विश्व कप सेमीफाइनल में हार के बाद से ही टीम में दरार की खबरें आ रही हैं। रह-रहकर ऐसी बातें सामने आती हैं जिसमें कोहली और रोहित के बीच कथित मतभेद की बातों को हवा मिलती है। हालांकि खुद कोहली, रोहित और कोच रवि शास्त्री ने इस तरह की किसी बात को खारिज किया है। रोहित इंस्टाग्राम पर कोहली को फॉलो नहीं करते और हाल ही में अनुष्का शर्मा को भी अनफॉलो कर दिया। इस खबर ने दोनों के मतभेदों की खबरों में आग में घी का काम किया।

गुप्टिल से आगे निकलने के करीब कोहली

नई दिल्ली : विराट कोहली के पास टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाली लिस्ट में एक स्थान ऊपर पहुंचने का मौका है। दरअसल, उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 67 मैच खेलते हुए 2263 रन बनाए हैं और सबसे अधिक रन बनाने वाली सूची में तीसरे नंबर पर हैं। अगर वह नौ रन और बना लेते हैं तो न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल की बराबरी कर लेंगे और 10 रन बनाते ही उन्हें पीछे छोड़ देंगे। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए विराट के लिए यह आंकड़ा पार करना कोई मुश्किल काम नहीं दिख रहा है। कीवी क्रिकेटर गुप्टिल ने 76 मैचों में 33.91 की औसत से 2272 रन बनाए हैं। वह सबसे अधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में भारतीय ओपनर रोहित 2331 रन के साथ पहले नंबर पर हैं।

मुझे प्रेरित करते हैं रोनाल्डो : विराट

ज्यूरिख : फुटबॉल के मुरीद भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वह पुर्तगाली स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से प्रेरणा लेते हैं जिन्होंने अपने बेमिसाल अनुशासन से अर्जेंटीना के लियोन मेसी की तुलना में अधिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। रोनाल्डो और कोहली ने फिटनेस के मामले में नए मानदंड कायम किए हैं। कोहली ने 'फीफा डाट काम' से कहा कि मेरे लिए क्रिस्टियानो सबसे ऊपर हैं। उनकी प्रतिबद्धता और अनुशासन लाजवाब है। आप हर मैच में देख सकते हैं। मैं हर उस क्लब का समर्थन करता हूं, जिसके लिए वह खेलते हैं। वह मुझे प्रेरित करते हैं। मेसी बनाम रोनाल्डो की कभी खत्म नहीं होने वाली बहस में शामिल होते हुए कोहली ने कहा कि बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर मेसी की तुलना में रोनाल्डो का करियर ग्राफ बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से रोनाल्डो ने अधिक चुनौतियों का सामना किया है और उनमें सफल रहा है। वह अधिक मुकम्मल खिलाड़ी है और लोगों को प्रेरित करता है। बहुत लोग ऐसा नहीं कर पाते। वह कप्तान भी है और मैं इस बात का कायल हूं। उनका आत्मविश्वास गजब का है। भारतीय कप्तान ने कहा कि बचपन में वह ब्राजील के रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, जर्मन गोलकीपर ओलिवर कान, मेसी, क्रोएशिया के लुका मोडरिच और स्पेन के आंद्रियास इनिएस्ता और जावी के प्रशंसक थे। कोहली की पसंदीदा फुटबाल यादों में 1998 और 2002 विश्व कप हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील को इन दोनों टूर्नामेंटों में देखना अद्भुत था। सीनियर रोनाल्डो के कौशल से मैं दंग रह गया। वह महानतम खिलाड़ियों में से है। भारतीय फुटबाल कप्तान सुनील छेत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगा। उन्होंने कहा कि हम बहुत पीछे नहीं है। पिछले तीन चार साल में हमारी फुटबॉल में काफी सुधार आया है। नई प्रतिभाएं सामने आ रही है और सुनील छेत्री बखूबी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। वह विश्व कप खेलने का हकदार है। टीम को उसके लिए क्वालीफाई करना चाहिए। वह चैंपियन है और शानदार इंसान भी।

नहीं जानता था दोबारा क्रिकेट खेल पाऊंगा : स्टीव स्मिथ

एशेज डायरी

एजबेस्टन, एएनआइ : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में शतक के साथ वापसी की। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में वह नहीं जानते थे कि दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं।

स्मिथ ने कहा कि पिछले 15 महीनों में मेरे मन में लगातार यह ख्याल आते थे कि क्या मैं दोबारा क्रिकेट खेल पाउंगा या नहीं। स्मिथ ने प्रतिबंध के एक वर्ष बाद टेस्ट टीम में वापसी की थी। इसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उनकी कोहनी की चोट उबर आइ, जिसके बाद जनवरी में उन्हें सर्जरी करना पड़ी थी। स्मिथ ने रहस्योद्घाटन किया कि एक दौर ऐसा भी आया था जब वह अपना क्रिकेट से प्यार खो चुके थे। एक समय ऐसा था जब वह क्रिकेट से अपने प्यार को खोने लगे थे। खास तौर पर तब जब उनकी कोहनी का ऑपरेशन हुआ और यह बेहद दुखद था। तब वह अपनी कोहनी तक नहीं मोड़ पा रहे थे। तब मेरा क्रिकेट से यह प्यार दोबारा जागा। मैं खेलना चाहता था। मैं मैदान पर जाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहता था। मुझे लगता है कि लोगों को मेरे पर गर्व होगा और मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना पसंद है। मेरे मन में कभी ऐसे ख्याल नहीं आए थे उससे पहले तक मैं खेल से प्यार करता था। खुशकिस्मती से मेरा यह प्यार वापस लौट आया। मैं इस स्थिति में खुद को पाकर खुश हूं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हूं जो मुझे पसंद है। ऑस्ट्रेलिया ने एक समय पर 122 रन पर ही आठ विकेट ले लिए थे। इस पर स्मिथ ने कहा कि मैं गर्व महसूस करता हूं जिस तरह से मैंने अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने में मदद की। इंग्लैंड ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, खासतौर पर पहले दो सत्रों में और टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए काफी मेहनत करनी थी। मैं खुद पर गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में कामयाब रहा।

ब्रेट ली ने भी किया जर्सी पर नाम और नंबर का विरोध

मेलबर्न : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेट ली को आइसीसी के टेस्ट क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के नए तरीके खोजने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि सफेद रंग की जर्सी पर नाम और नंबर भद्दे दिख रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट ने एक दिन पहले इस नए प्रयोग को 'बेहूदा' करार दिया था। साल के शुरू में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टेस्ट खेलने वाले देशों को अपने खिलाड़ियों की जर्सी पर नाम और नंबर लिखने की अनुमति दी थी। इस कदम को कई ने सराहा तो कई इससे प्रभावित नहीं दिखे। ली ने ट्वीट किया कि यह कितना उपयोगी है, मैं टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ियों की जर्सी पर नंबर और नाम लिखने के खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि यह बेहूदा दिख रहा है। गिलक्रिस्ट ने लिखा कि खिलाड़ियों की जर्सी पर नाम और नंबर बकवास लग रहे हैं। आप मेरे नजरिए को भले ही आधुनिक नहीं समझें, लेकिन मुझे जर्सी पर नंबर और नाम अच्छे नहीं लग रहे।

स्मिथ के पिता ने एशेज शतक को सर्वश्रेष्ठ करार दिया

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ के पिता पीटर स्मिथ का कहना है कि प्रतिबंध के बाद उनके बेटे ने भावनाओं को सकारात्मक रूप देते हुए एशेज में मुश्किल परिस्थितियों में शतक जड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पूर्व कप्तान स्मिथ ने 219 गेंद में 144 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट के शुरुआती दिन मुश्किलों से बाहर निकाला और 284 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाने में मदद की। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 122 रन पर 8 विकेट खो दिए थे। पीटर ने कहा, 'यह देखते हुए कि पिछले एक वर्ष में क्या हुआ, यह शतक काफी अहम है। वह (स्टीव) काफी दबाव में खेला क्योंकि दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। यह शायद इसलिए काफी अहम है। अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं खेला तो यह कम से कम उसी श्रेणी में था। उसने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। यही चीज मेरे बेटे ने मुझसे कही थी।

हम मजबूती से वापसी करेंगे : आयिका

इंटरव्यू

कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाली आयिका मुखर्जी को उम्मीद है कि अल्टीमेट टेबल टेनिस में शीर्ष स्तरीय खिलाड़ियों के विरुद्ध खेलने से उनके खेल में सुधार होगा। आयिका की मानें तो लीग में उनकी टीम पुणेरी पल्टन मजबूती से वापसी करेगी। निखिल शर्मा ने आयिका मुखर्जी से लीग के उनके अनुभव और आगे की योजनाओं के बारे में बातचीत की :-

● **लीग में पहला दौर समाप्त हो चुका है। अब तक टूर्नामेंट पर आपकी क्या राय है?**

-पहला सप्ताह शानदार रहा। हमने कई नजदीकी मैच देखे और कुछ अच्छे मुकाबले भी, जो दर्शाता है कि टेबल टेनिस एक खेल के तौर पर आगे बढ़ रहा है। यहां कुछ अच्छे मुकाबले हुए और दर्शकों का भी काफी समर्थन मिला। चेन्नई, यू मुंबा और गोवा शीर्ष टीमों के तौर पर उभरीं, जबकि हमारी टीम पुणेरी पल्टन ज्यादा पीछे नहीं है।

● **पुणेरी पल्टन ने अब तक एक मैच जीता और दो हारे हैं। अपनी टीम के सफर पर क्या कहना चाहेंगी?**

- हमने दबंग दिल्ली के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला जीता था। यह एक नजदीकी मुकाबला था और मेरा कृत्विका सिन्हा रॉय के खिलाफ काफी नजदीकी मैच हुआ और मैं जीती। विदेशी खिलाड़ी चुआंग चिह युआन और सेबिन विंटर काफी अच्छी लय में हैं। इसके अलावा हरमीत देसाई भी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। हम चेन्नई और कोलकाता से हारे, लेकिन अगर आप हमारे मैचों पर नजर डालेंगे तो आपको यहां अच्छा प्रदर्शन नजर आएगा। यह सिर्फ उस दिन अच्छा करने पर निर्भर था और मैं उम्मीद करती हूं कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

● **आप और मनिका अच्छी दोस्त हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आप दोनों ने अच्छा समय बिताया है। मनिका के साथ अपने मैच पर कुछ बताइए?**

- मनिका और मैंने राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय स्तर पर काफी समय बिताया है। हम खेल के बारे में अक्सर बात करते हैं, चाहे हम भारत के लिए खेल रहे हों या कहीं और। वह एक मजबूत खिलाड़ी हैं और भारतीय टेबल टेनिस का चेहरा हैं। टेबल पर हम अब विरोधी हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों की स्टाइल एकसमान है और हम एक-दूसरे को अच्छी चुनौती देते हैं। टेबल से बाहर हम अच्छे दोस्त हैं और खेल पर काफी चर्चा करते हैं। लीग में मैं उनके साथ काफी बार भिड़ी हूं और वह मुझे हराने में कामयाब रहीं। हमारा काफी नजदीकी मुकाबला था। दूसरे सेट तक हम बराबरी पर थे, लेकिन तीसरे सेट को मनिका जीतने में कामयाब रहीं। मैं वहां बेहतर कर सकती थी।

शिवम दुबे व संदीप वॉरियर ने कराई भारत-ए की वापसी

पोर्ट ऑफ स्पेन, प्रेट्र : वेस्टइंडीज-ए के पहली पारी में 318 रन के जवाब में एक समय 20 रनों पर पांच विकेट गंवाने वाली भारत-ए की टीम दूसरे अनाधिकृत टेस्ट मैच के दूसरे दिन शिवम दुबे के अर्धशतक की बदौलत स्कोर को 190 रन तक पहुंचाने में सफल रही।

भारत-ए की पहली पारी में शुरुआत काफी खराब रही थी और 20 रन पर उसने अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। ओपनर प्रियांक पांचाल ने 125 गेंदों की पारी में आठ चौके लगाकर 58 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। मैच के दूसरे दिन सातवें नंबर के बल्लेबाज शिवम दुबे ने निचले क्रम पर स्थिति संभालते हुए 85 गेंदों की पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाकर 79 रन की उपयोगी पारी खेली नौवें बल्लेबाज के रूप में 185 के स्कोर पर आउट हुए।

इसके जवाब में दूसरी पारी खेलने उतरी कैरेबियाई टीम को संदीप वॉरियर ने शुरुआती झटके दिए, जिसके चलते वेस्टइंडीज-ए ने दूसरी पारी में सात ओवर में 12 रन पर चार विकेट गंवा दिए। हालांकि, उसकी कुल बढ़त 140 रन हो गई है, जबकि उसके छह विकेट बाकी हैं। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम की दूसरी पारी में उसे बड़े स्कोर से रोकने के लिए चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी की। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने 10 रन बनाए, जबकि मोंटसिन हॉज, शमारह ब्रुक्स और जोमेल वारिकन शून्य पर आउट हुए। ब्रेथवेट, ब्रुक्स और वारिकन के विकेट संदीप वॉरियर ने लिए।

वाशिंगटन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे सितसिपास

टेनिस डायरी

वाशिंगटन, एएफपी : विश्व रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज स्टीफनोस सितसिपास ने वाशिंगटन ओपन एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्पसन को 6-3, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

20 वर्षीय ग्रीक स्टार सितसिपास ने पहला सेट आसानी से अपने नाम किया लेकिन दूसरे सेट में थॉम्पसन ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। इस शीर्ष वरीय खिलाड़ी ने 99 मिनट तक चले मुकाबले के दूसरे सेट को टाईब्रेकर में अपने नाम किया। अंतिम आठ में सितसिपास का सामना फ्रांस के 10वीं वरीय बेनोइट पियरे से होगा। पियरे ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के पांचवीं वरीय जॉन इस्नर को 7-6, 6-3 से पराजित किया। उनके खिलाफ मुकाबले को लेकर सितसिपास ने कहा कि पियरे एक खतरनाक खिलाड़ी हैं। वह बैकहैंड के बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी सर्विस खतरनाक हो सकती है। मुझे चौकन्ना रहना होगा।

छठी वरीयता प्राप्त क्रोएशिया के मारिन सिलिक ने कनाडा के नौवीं वरीय फेलिक्स आगर-अलीसिमे को 6-3, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विश्व के 17वें नंबर के खिलाड़ी सिलिक का अंतिम आठ में सामना रूस के 10वीं वरीय डेनिल मेदवेदेव से होगा जिन्होंने फ्रांसिस टिएफो को 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। वहीं ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस ने जापान के योशिहितो निशिओका को 6-2, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

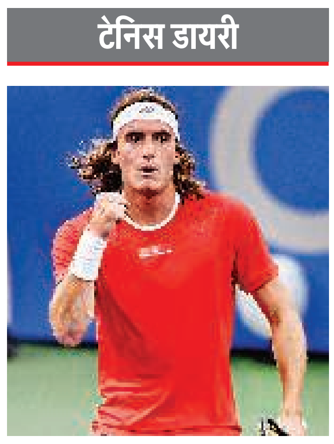

स्टीफनोस सितसिपास। एएफपी

वेकिक ने अजारेंका को हराया

सैन जोस : दुनिया की पूर्व नंबर एक महिला खिलाड़ी बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को पांचवीं वरीय डोना वेकिक ने सिलिकॉन वैली क्लासिक टूर्नामेंट के दूसरे दौर में 6-4, 6-3 से हराकर बाहर कर दिया। अजारेंका को अपनी खराब सर्विस का खामियाजा भुगतना पड़ा जिन्हें पिछले महीने विंबलडन के तीसरे दौर में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उन्होंने सात डबल फॉल्ट किए जबकि पांच बार उनकी सर्विस तोड़ी गई। दूसरे सेट में अजारेंका ने तोड़ी उम्मीद जगाई लेकिन 23 वर्षीय वेकिक ने उन्हें संभलने नहीं दिया।

20 अगस्त को हसन की हो जाएंगी हरियाणा की आरजू

कराची, प्रेट्र : भारतीय मूल की युवती से शादी को लेकर चल रही अटकलबाजियों को खत्म करते हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली ने शुक्रवार को कहा कि वह 20 अगस्त को दुबई में शामिया आरजू से निकाह कर रहे हैं। शामिया अमीरात एयरलाइंस में फ्लाइट इंजीनियर हैं और दुबई में रहती हैं, जबकि उनके परिवार के सदस्य हरियाणा के नूंह में रहते हैं।

हसन ने अपने गृहनगर गुजरांवाला में पत्रकार वार्ता में कहा, 'हमारे परिवार सादा समारोह कराना चाहते थे, लेकिन अब मीडिया में इसकी खबरें आ गई हैं तो मैंने इसे आधिकारिक करने का फैसला किया, ताकि मेरी शादी को लेकर कोई अटकलबाजी नहीं हो।' शामिया शादी के बाद गुजरांवाला में ही बस जाएंगी। उन्होंने कहा, 'निकाह 20 अगस्त को तय हुआ है, जबकि रुखसती तीन महीने बाद होगी और शादी के बाद हमारी योजना गुजरांवाला में ही रहने की है।' शामिया ने मानव रचना विश्वविद्यालय से एयरोनॉटिक्स की डिग्री ली है और उन्होंने इंग्लैंड में भी पढ़ाई की है। हसन ने बताया कि उनकी होने वाली पत्नी भारतीय परिधान पहनेंगी। उन्होंने कहा कि वह एक साल पहले दुबई में शामिया से मिले थे और उस मुलाकात के बाद उनकी दोस्ती गहरी होती गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मैंने अपनी पसंद का इजहार पहले किया और उन्हें प्रस्ताव दिया, जिसके बाद हमारे परिवारों ने जिम्मेदारी ली।' हसन पाक के चौथे क्रिकेटर हैं जो भारतीय बाला से परिणय सूत्र में बंधेंगे।

अब टीम इंडिया का टी-20 पर ध्यान केंद्रित करने का समय

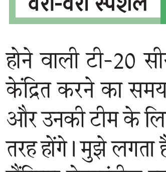

वीवीएस लक्ष्मण
वेरी-वेरी स्पेशल

भारत के विश्व कप सेमीफाइनल से बाहर होने को तीन सप्ताह बीत चुके हैं। इस बीच कई गैर क्रिकेटीय मुद्दे सुर्खियां बने। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली टी-20 सीरीज से खेल पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। ये तीन मैच विराट और उनकी टीम के लिए एक कठोर परीक्षा की तरह होंगे। मुझे लगता है कि टी-20 विश्व कप चैंपियन वेस्टइंडीज इस सीरीज में दावेदार के रूप में उतरेगी, क्योंकि वे इस प्रारूप को पसंद करते हैं। उनके पास ऐसे पॉवर हिटर्स हैं जो गेंद को मैदान से बाहर मारने में सक्षम है। भुवनेश्वर कुमार और रवींद्र जडेजा के टीम में रहते भी भारतीय गेंदबाजी आक्रमण कमजोर लग रहा है और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों से चुनौती मिलेगी।

मैं हमेशा कहता रहा हूं कि चुनौतियों से मौके मिलते हैं। यह खलील अहमद, दीपक चाहर, नवदीप सैनी, क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर और वाशिंगटन सुंदर के पास बेहतरीन मौका है कि वह आइपीएल की अपनी जबरदस्त फॉर्म को यहां जारी रखें। सही मायनों में यह दौरा एक नए चक्र की शुरुआत है। कुछ महीने पहले तक फोकस वनडे विश्व कप पर था। अब अगले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए टीम तैयार करनी है। भारत के पास इसके लिए 20 टी-20 मुकाबले खेलने का मौका है। खास तौर पर हम 2007 के बाद से यह खिताब नहीं जीत पाए हैं।

शिखर धवन की टीम में वापसी बल्लेबाजी में गुणवत्ता और फायर पॉवर लाती है। मैं केएल राहुल को उनकी विश्व कप की शानदार लय को देखते हुए उन्हें नंबर चार पर देखना पसंद करूंगा और देखना चाहूंगा कि रिषभ पंत किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि अब वह तीनों प्रारूपों में टीम का हिस्सा हैं। मनीष पांडे और श्रेयस अय्यर ने दोबारा बेहतरीन प्रदर्शन से टीम में जगह बनाई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मुझे लगता है उन्हें अभी इंतजार करना होगा क्योंकि विराट अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प के साथ जाना चाहेंगे। शीर्ष सात में से दो बल्लेबाजों को गेंदबाजी में जरूर योगदान देना चाहिए और इसके लिए क्रुणाल पांड्या और जडेजा बेहतरीन होंगे। दोनों ही बायें हाथ के स्पिनरों के पास गेंद को लंबा हिट करने की काबिलियत है, इससे बल्लेबाजी बिखरेगी नही, लेकिन खास तौर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ छठे गेंदबाज का अनिवार्य होना जरूरी हो जाता है।

मैच फिक्सिंग में शामिल चार फुटबॉल खिलाड़ियों पर लगा आजीवन प्रतिबंध

फुटबॉल डायरी

कुआलालंपुर, एएफपी : एएफसी कप में मैच फिक्सिंग में शामिल होने की वजह से चार फुटबॉल खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी जानकारी एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (एएफसी) ने शुक्रवार को दी।

किर्गिस्तान के कुर्सांबेक शेरातोव को 2017 के एएफसी कप के एक मैच में फिक्सिंग का दोषी पाया गया था। वह इस सेकेंड टीयर टूर्नामेंट में डोर्डोइ की ओर से खेलते हुए पकड़े गए। एएफसी के मुताबिक वह मैच में सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियों में भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा किर्गिस्तान के ब्लादिमिर वेरेवकिन और इलियाज एलिमोव को भी उनके क्लब एफसी एले से जुड़े एक या उससे ज्यादा मैचों में फिक्सिंग करने का दोषी पाया गया है। वहीं तजाकिस्तान के अब्दुलाजीज माखामोव ने 2017 और 2018 में एफसी एले से जुड़े मैचों में हेराफेरी करने का काम किया। एएफसी ने कहा कि उसकी अनुशासनात्मक और नैतिकता समिति द्वारा दी गई सजा ने मैच फिक्सिंग के लिए उसके शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण दिखाया है। साथ ही एएफसी ने यह भी कहा कि तुर्कमेनिस्तान के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मुहादोव सुलेमान को इस साल के एशियन कप में डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से चार साल का प्रतिबंध लगाया गया था।

जुवेंटस पर भड़का के लीग

सियोल : दक्षिण कोरिया के के लीग ने इटालियन क्लब जुवेंटस पर धोखा देना का आरोप लगाया है। पिछले सप्ताह सियोल में खेले गए एक दोस्ताना मुकाबले में जुवेंटस के स्टार रोनाल्डो एक सेकेंड के लिए भी मैदान में नहीं उतरे थे जिसके बाद हजारों समर्थकों ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। कोरियाई लीग ने कहा है कि जुवेंटस की इस हरकत से वह निराश और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। साथ ही उसने कहा है कि इटालियन क्लब इसके लिए माफी मांगे। के लीग ऑल स्टार्स टीम के खिलाफ जुवेंटस की टीम करीब 65000 दर्शकों की मौजूदगी में प्री सीजन मुकाबला खेलने उतरी थी लेकिन करार के बावजूद रोनाल्डो पूरे मैच के समय बेंच पर बैठे रहे। 2000 समर्थकों ने उस मैच का आयोजन करने वाली स्पोर्ट्स एजेंसी के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी थी।

लगातार नौवें खिताब पर सेल्टिक की निगाहें

ग्लास्गो : स्टीवन जेरार्ड ने कहा है कि स्कॉटिश प्रीमियरशिप में उनकी टीम रेंजर्स अपने चिर प्रतिद्वंद्वी सेल्टिक को लगातार नौ खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी करने नहीं देगी। नए सत्र की शुरुआत इस सप्ताह के अंत में हो रही है। पिछले सत्र में सेल्टिक ने दूसरे स्थान पर रहे रेंजर्स से नौ अंकों की बढ़त के साथ खिताब जीता था और इस बार भी उसकी निगाहें खिताब पर होंगी। पिछले तीन सत्र से सेल्टिक का स्कॉटिश फुटबॉल में दबदबा रहा है जहां उसने पिछले तीन सत्र में घरेलू स्तर के तीनों खिताब जीते हैं। पिछले आठ सत्र से वह स्कॉटिश प्रीमियरशिप का विजेता रहा है।

साओ पाउलो से जुड़े अलावेस

साओ पाउलो : ब्राजील के दिग्गज राइट बैक डानी अलावेस ने अपने बचपन के क्लब साओ पाउलो एफसी के साथ एक फ्री ट्रांसफर करार किया है। बार्सिलोना, जुवेंटस और पीएसजी के इस पूर्व खिलाड़ी के करार की खबर साओ पाउलो ने दी। ब्राजीली मीडिया के मुताबिक यह करार 2022 में होने वाले कतर विश्व कप तक का होगा। उधर अलावेस ने कहा कि मैं कहीं भी जा सकता था लेकिन मैंने ब्राजील वापस आने का फैसला किया। अलावेस ने ब्राजील के कप्तान के तौर पर अपने देश को कोपा अमेरिका का खिताब दिलाया था। साओ पाउलो ब्राजीलियन चैंपियनशिप में 12 मैचों के बाद अभी पांचवें पायदान पर है।

शॉ मामले में फंसा बीसीसीआइ

नई दिल्ली, आइएएनएस : राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के सीओओ तूफान घोष के बाद प्रशासकों की समिति (सीओए) ने भी पृथ्वी शॉ के निलंबन के बावजूद इस युवा बल्लेबाज के अकादमी में ट्रेनिंग करने के विवाद पर चुप्पी साध ली है। किसी को भी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि 16 जुलाई को शॉ को थमाए गए अस्थायी निलंबन के बाद वह 17 जुलाई को अकादमी में क्या कर रहे थे।

शॉ को डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के चलते आठ महीनों के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है। उनका निलंबन 15 नवंबर को समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति (सीओए) के एक सदस्य ने कहा कि हमको इस मामले में लूप में नहीं रखा गया, इसलिए इस मुद्दे पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हमें इस मुद्दे पर तकनीकी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। हम नियम नहीं जानते और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि हम सीओए की अगली बैठक में इस पर चर्चा करेंगे या नहीं।

भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 17 जुलाई को एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसमें शॉ, धवन और उमेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं जबकि बीसीसीआइ ने 16 जुलाई को ही डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया था। जब शॉ को 16 जुलाई को ही निलंबित कर दिया था तब वह 17 जुलाई को एनसीए में क्या कर रहे थे, इस सवाल पर घोष कोई भी जबाव नहीं दे रहे हैं। घोष ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं, आप बीसीसीआइ से बात कीजिए।' उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको प्रतिबंध के बारे में बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी ने बताया तो घोष ने फोन काट दिया।

बीसीसीआइ के पदाधिकारी ने बताया कि बोर्ड के ऐंटी डोपिंग मैनेजर, कानूनी टीम और सीईओ को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पता था और शॉ के निलंबित होने के बाद एनसीए में ट्रेनिंग करने का सवाल ही नहीं उठता। इस मुद्दे पर हैरानी जताते हुए बीसीसीआइ के एक कार्यकारी ने कहा कि ऐंटी डोपिंग क्लास का नियमित आयोजन किया जा रहा है और शॉ का दवाई लेना और फिर यह कहना है कि यह गलती से हुआ, इस बात में दम नहीं दिखता है। वह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और लगातार ऐंटी डोपिंग क्लास चलती रहती हैं। वह सिर्फ घरेलू खिलाड़ियों के लिए नहीं होती बल्कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के लिए भी होती हैं।'

इस प्रक्रिया में एक और बात पर पर्दा डाला गया है। जब तक इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) खत्म हुआ तब तक बीसीसीआइ के पास इसकी पूरी रिपोर्ट (17 मई) आ गई थी)। इसके बाद 14 मई से मुंबई टी-20 लीग शुरू हुई। शॉ को इस लीग में हिस्सा लेने से रोका जाना चाहिए था क्योंकि बीसीसीआइ के पास पहले से ही रिपोर्ट थी। बावजूद इसके शॉ नॉर्थ मुंबई पैंथर्स के लिए खेलते रहे। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए शॉ कैसे एनसीए में ट्रेनिंग करते रहे।

3.03 करोड़ की स्वीकृति दी है हरिद्वार के लक्ष्मण झूला पुल के नजदीक वैकल्पिक पैदल झूला पुल के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार ने। शासन ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 हजार की टोकन राशि भी जारी कर दी है। नए झूला पुल का निर्माण 2021 में होने वाले कुंभ से पहले कराने का लक्ष्य रखा गया है।

रामायणकालीन गांव में धार्मिक एकता की मिसाल हैं दरगाह और मंदिर

सुरेंद्र सैनी, कैथल

जागरण विशेष

- पहले चादर मंदिर जाती है, फिर दरगाह पर होता है सजदा
- रावण के नाना के नाम पर है हरियाणा के कैथल का गांव पोलड़

हरियाणा में कैथल जिले के पोलड़ गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसकी वजह है मां सरस्वती का मंदिर और शहंशाह नौ गजा पीर की मजार। दोनों एक-दूसरे के पूरक बन धार्मिक एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। पोलड़ को रामायणकालीन गांव माना जाता है। इसे हिंदू-मुस्लिम आस्था का संगम भी कहा जाता है। गांव की सड़क पर एक तरफ मां सरस्वती का मंदिर है, तो ठीक सामने शहंशाह नौ गजा पीर की दरगाह। आस्था है कि जब तक मंदिर और दरगाह पर एक साथ हाजिरी नहीं लगती, तब तक पूजा अधूरी रहती है। यही कारण है कि जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो पहले चादर मंदिर जाती है और पूजा-पाठ के बाद फिर दरगाह पर सजदा होता है।

यह है इतिहास : पोलड़ को रामायणकालीन गांव माना गया है। ऐसी धारणा है कि गांव का नाम पुलस्त्य मुनि के नाम पर पड़ा है। पुलस्त्य मुनि लंका नरेश रावण के नाना थे और उन्होंने यहां तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि रावण का बचपन भी यहां बीता। 2015 से मंदिर की देख-रेख कर रहे नगा साधु महंत देवीदास का कहना है कि मंदिर का निर्माण सपने में मां सरस्वती के आने के बाद महंत राघवदास ने करवाया था।

दरगाह के किस्से भी दूर-दूर तक : दरगाह पर शाह जलालुद्दीन की मजार भी है। पिछले 40 वर्ष से सेवक के रूप में काम कर रहे जिले सिंह का कहना है कि जब यहां अंग्रेज जंगलों को काट रहे थे तो पोलड़ में आकर उनका अभियान रुक जाता था। ऐसा कई बार हुआ। अंग्रेजों ने ही यहां मजार का निर्माण करवाया। इसके बाद ही पेड़ों की कटाई शुरू हो पाई थी। 50 से 60 वर्ष पहले तक मजार बहुत छोटे से क्षेत्र में थी। अब बड़ी मजार के साथ भव्य भवन भी है, जहां हर साल नौ व 10 जून को भंडारा लगता है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

हरियाणा में कैथल जिले के रामायणकालीन गांव पोलड़ में स्थित सरस्वती मंदिर जो शहंशाह नौ गजा पीर की मजार के साथ धार्मिक एकता की मिसाल पेश करता है। जागरण

नौ गजा पीर की मजार। जागरण

पुरातत्व विभाग कर चुका है खोदाई

गांव पोलड़ और पुरातत्व विभाग के बीच हाई कोर्ट में केस चल रहा है। पुरातत्व विभाग 2007 में गांव को खाली कराने और जमीन पर कब्जा लेने का प्रयास कर चुका है। 2013 में भी ऐसे प्रयास किए गए, तब पुरातत्व विभाग ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पोलड़ गांव इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। गांव की खोदाई की जाए तो यहां अति प्राचीन व दुर्लभ वस्तुएं मिल सकती हैं। बाद में कोर्ट के आदेश पर ही पुरातत्व विभाग ने कार्रवाई की थी। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का तर्क था कि यदि समूचे गांव की खोदाई हो तो यहां न केवल रामायणकाल से जुड़े प्रमाण मिलेंगे, बल्कि मुगलकाल से जुड़ी अहम जानकारियां भी हासिल हो सकती हैं।

तज आई 'वनवास', कर रहीं कौशल विकास

गिरि-वनवासी क्षेत्रों की छात्राएं प्राप्त कर रहीं व्यावसायिक शिक्षा, छात्रावास में ले रहीं हवन-पूजन, संगीत साधना के संस्कार

आशीष भटनागर, आगरा

जनसंख्या नियोजन

नार्थ सिक्किम के हीग्यथांग की रहने वाली पिंटसो डोमा लेपचा आगरा के एक प्रतिष्ठित निजी नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं। पढ़ाने के साथ-साथ वह मास्टर डिग्री लेने की भी तैयारी कर रही हैं। वनवासी क्षेत्र की बौद्ध धर्मावलंबी पिंटसो के इस ख्वाब में रंग भरने का काम कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम।

दिल्ली-कानपुर हाईवे पर सुल्तानगंज पुलिया चौराहे से चंद कदम की दूरी पर स्थित छात्रावास में रहकर व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने वाली पिंटसो अकेली नहीं हैं। उन जैसी कुल 21 छात्राएं यहां रह रही हैं। सभी वनवासी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की। सिक्किम की रहने वाली रिमित लेपचा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर शहर के ही एक प्रतिष्ठित होटल में कार्यरत हैं। हिंदी भाषी नहीं होने के बावजूद उन्होंने शहर में हुई प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ हिंदी राइटिंग का पुरस्कार हासिल किया। मेघालय की वृष्टि, अर्पिका, मिजोरम की रिश्वा और नेपाल की सुनीता हसदा मध्य प्रदेश के मुरैना में तीन साल का नर्सिंग कोर्स कर रही हैं। यहां सीट नहीं होने पर इनका दाखिला वहां कराया गया था। मेघालय की अन्वेषा और सिक्किम की विद्या लिंबू आइआइएमटी से ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रही हैं तो नेपाल की अंजू राई आरबीएस कॉलेज से एमबीए। नगालैंड की केविदियानी ले और केयिगुमलुले समेत सात छात्राएं स्नातक कर रही हैं। संत राम-कृष्ण स्कूल से बीए कर रहीं रंजना शतरंज की चैंपियन हैं। असम की सविता सिलाई-कढ़ाई में आइटीआइ कर रही हैं। हाल में ही अंडमान निकोबार से आइएएस बनने की चाहत लेकर आईं फूलवंती ने डीईआइ दयालबाग में प्रवेश लिया है। झारखंड की काजल और अरुणाचल की रिगम 12वीं और असम की पोरोस्मिता 11वीं में अध्ययनरत हैं। शिक्षा के साथ कोई ब्यूटीशियन का कोर्स कर रही है तो कोई संगीत का रियाज।

आठवीं में पढ़ने वाली देहरादून की कुंती केदारनाथ हादसे में मां-बाप को खोने के बाद से अवसाद में थी, अब छात्रावास में सबसे छोटी और सभी की लाड़िली है। मिजोरम की रिनी चकमा उसकी सहपाठी के साथ-साथ सहेली भी है।

आगरा में छात्रावास में सामूहिक हवन करती छात्राएं। फाइल फोटो

डॉ. पंकज भटिया। फाइल फोटो

तीन मंजिला भवन में बसे इस लघु भारत को परिवार की तरह सहेजने का काम कर रही हैं लखनऊ की 77 वर्षीय सुधा और राजस्थान के कॉलेज से सेवानिवृत्त मिथलेश। छात्राओं इनको दादी और मां कहती हैं। बताती हैं कि साल में एक बार छात्राओं को देशाटन के लिए ले जाया जाता है। हवन और ग्राम्य विकास के प्रशिक्षण के लिए छात्राओं को आंवलखेड़ा स्थित गायत्री पीठ भेजा जाता है। छात्रावास में भी प्रतिदिन प्रार्थना तो हर पखवाड़े यज्ञ होता है। सप्ताह में दो दिन संगीताचार्य आते हैं। परिणाम यह है कि लोग छात्राओं को यज्ञ कराने के लिए आमंत्रित करने लगे हैं। दो वर्ष से योग दिवस के सरकारी आयोजन में वंदेमातरम गायन के लिए बुलाई जाती हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम की इस योजना को मूर्तरूप देने में जुटे हैं डॉ. पंकज भाटिया और उनकी पत्नी अनुराधा। बताते हैं कि सभी छात्राएं वनवासी क्षेत्रों में संगठन द्वारा संचालित छात्रावासों में ही रहकर प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती हैं। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए उन्हें यहां भेजा जाता है। समाज के उदारमना लोगों के आर्थिक सहयोग से संचालित समग्र योजना का उद्देश्य यही है कि गिरि-वनवासी स्वावलंबी बनें। भारतीय संस्कृति के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। उनमें 'तू-मैं, एक ही रक्त' का भाव पैदा हो ताकि ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के जाल से बच सकें।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

प्रयास ▸ अविभाजित उत्तर प्रदेश की इस व्यवस्था को अब धरातल पर उतारने की तैयारी

बाघ सुरक्षा को खुलेंगे चार वन्यजीव अंचल

गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में खुलेंगे दो-दो वन्यजीव अंचल

केदार दत्त, देहरादून

उत्तराखंड में बाघों के कुनबे में इजाफे के बाद सुरक्षा को लेकर बढ़ी चुनौतियों से पार पाने के लिए अब कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इस कड़ी में उप्र के जमाने की वन्यजीव अंचल व्यवस्था को फिर से धरातल पर उतारने की तैयारी है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में दो-दो वन्यजीव अंचल खुलेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत ने इस बारे में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश वन विभाग को दिए हैं।

बाघ संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा रहा है। बाघों की निरंतर बढ़ती संख्या इसकी तस्दीक करती है। हाल में जारी अखिल भारतीय बाघ गणना के नतीजों पर ही गौर करें तो यहां बाघों की संख्या 442 पहुंच गई है। इनमें 102 का इजाफा चार साल के वक्फे में हुआ। 2014 की गणना में यहां 340 बाघ पाए गए थे। यही नहीं, अब तो राज्य के हर जिले में बाघों की मौजूदगी है। जाहिर है कि बाघ बढ़ने के साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता सताने लगी है। इस कड़ी में वन्यजीव अंचल व्यवस्था की तरफ सरकार का ध्यान गया है। दरअसल, अविभाजित उत्तर प्रदेश में यहां भी अंचल व्यवस्था अस्तित्व में थी। तब उत्तराखंड क्षेत्र में कोटद्वार (गढ़वाल) और रामनगर (कुमाऊं) दो वन्यजीव अंचल कार्यरत थे। प्रत्येक अंचल में सहायक वन संरक्षक की अगुआई में पांच सदस्यीय टीम थी। उसका कार्य वन्यजीव अपराधों की जांच-पड़ताल और अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही खुफिया जानकारी जुटाना था। उत्तराखंड बनने के बाद अंचल व्यवस्था खत्म कर दी गई, जबकि उप्र में यह अभी भी है।

इसलिए जरूरी हैं अंचल : असल में बाघ सहित अन्य वन्यजीव शिकारियों और तस्करों के निशाने पर हैं। विशेषकर कुख्यात बावरिया गिरोहों ने नाक में दम किया हुआ है, जिनका जाल राज्य से लेकर सीमापार तक फैला है। ऐसे में वन्यजीवों की सुरक्षा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।

चार साल पहले भी हुआ था प्रस्ताव

बढ़ते वन्यजीव अपराधों की रोकथाम को चार साल पहले वन महकमे ने अंचल व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में दो-दो अंचल प्रस्तावित किए गए, मगर यह मुहिम परवान नहीं चढ़ी। अब बदली परिस्थितियों में इस व्यवस्था को लेकर सरकार सक्रिय हुई है।

'वन्यजीव अंचल होने से बाघ समेत वन्यजीवों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। उप्र की तर्ज पर इस व्यवस्था को फिर से बहाल करने के मद्देनजर वन विभाग को जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। इसमें चार साल पहले के प्रस्ताव के बिंदुओं को शामिल करने को भी कहा गया है। कोशिश है कि इस साल ही यह व्यवस्था अस्तित्व में आ जाए।'

-डॉ. हरक सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखंड

दलमा में सूखे की गाज, संकट में गजराज

मनोज सिंह, जमशेदपुर

हाथियों के लिए संरक्षित दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी पर भी बारिश नहीं होने का असर दिखाई दे रहा है। जिन तालाबों में हाथियों के झुंड नैसर्गिक तौर पर स्नान कर दिनभर लोट-पोट करते रहते थे, वे अब सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हाथियों को स्नान करने के लिए कम से कम 10-12 फीट पानी चाहिए, लेकिन दलमा के कुछ जलाशयों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में 5-7 फीट पानी ही रह गया है।

दलमा हाथियों का नैसर्गिक आवास है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में बाहर गया हाथियों का झुंड बरसात में दलमा लौट आता है। इसकी मुख्य वजह यहां पर्याप्त मात्रा में मनपसंद भोजन व पानी का मिलना है, लेकिन दलमा रेंज के पदाधिकारी अब चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगस्त में जब तलाब व जलाशय नहीं भरे तब गर्मी के दिनों में तो एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा। हालांकि दलमा में बनाए गए चेकडैम में पानी है, जहां छोटे-बड़े पशु-पक्षी अपना डेरा जमा चुके हैं। आज दलमा के जलाशयों की स्थिति ऐसी हो गई है कि जहां इन दिनों में लबालब पानी रहता था, वहां मात्र 5-7 फीट पानी बचा है। वह भी तालाब के बीचों बीच।

दलमा के रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि स्थिति तो खराब है, लेकिन अभी भी जोरदार बारिश हो जाए तो दलमा के सभी जलाशय पानी से भर जाएंगे। पानी कम होने के कारण दलमा के हाथी अब केवल तीन जलाशय कासजोबी, घुसी झरना तथा महाजल के पास ही अपना समय बिता रहे हैं।

जलाशयों में पानी की स्थिति

तालाब	अगस्त में	वर्तमान में
बड़का बांध	20 फीट	7 फीट
कासजोबी	15 फीट	10 फीट
महाजल	10 फीट	6 फीट
नीचला बांध	16 फीट	8 फीट
मैंझला बांध	14 फीट	5 फीट
छोटका बांध	10 फीट	5 फीट
बिजली घाटी	15 फीट	9 फीट
रंगाजल	8 फीट	5 फीट
घुसीझरना	15 फीट	12 फीट
स्नान घाटी	13 फीट	7 फीट
माकड़ जल	8 फीट	5 फीट

पैरों में हाथ जैसी अंगुलियां, बीमारी पर होगा शोध

जागरण संवाददाता, कानपुर

- जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में जांच के लिए भेजे गए
- कानपुर देहात के अकबरपुर के इस परिवार में 12 को बीमारी हुई, चार की मौत

देश-दुनिया में अपनी तरह की अनोखी और पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाली बीमारी (ऑटोसोमल डोमिनेंट) सामने आई है। इस अजीबोगरीब बीमारी से एक-दो नहीं बल्कि परिवार के पूरे आठ लोग पीड़ित हैं। इसमें पैर के पंजे हाथ की तरह पतले, लंबी और टेढ़ी अंगुलियों जैसे हो जाते हैं। हाथ की अंगुलियां भी एक में मिलने लगती हैं। व्यक्ति के चलने, सामान उठाने और रोजमर्रा के काम करने में बेहद परेशानी होती है। कानपुर देहात के सीएमओ ने इस बीमारी के सामने आने के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (जीएसवीएम) मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल को शोध के लिए पत्र लिखा है। यहां के बाल रोग विभाग के चिकित्सकों ने पीड़ित परिवार को जांच के लिए बुलाया है। यह पहला मामला है, जिसमें परिवार के इतने लोग एक साथ पीड़ित हैं। यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। इस परिवार में अब तक 12 लोग इस बीमारी की चपेट में आए चुके हैं। जिनमें चार की मौत हो चुकी है।

पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ी बीमारी : अकबरपुर तहसील के जगजीवनपुर के बरकाती इस बीमारी से पीड़ित थे। उनकी मौत हो चुकी है। दो बेटे अशफाक व इशहाक एवं बेटी तजबुल को भी यह बीमारी हुई। तजबुल की भी मौत हो चुकी है। अब अशफाक के दो बेटे आठ साल के राशिद, 11 वर्षीय साहिल और बेटी पांच वर्षीय जेबा को यह बीमारी हो गई है। जबकि दो पीड़ित बेटों की मौत हो चुकी है। इसहाक की दो बेटियों 12 वर्षीय जैनब, छह वर्षीय आफरीन और बेटे आठ वर्षीय अरशद को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा। तजबुल की एक बेटी है और उसमें भी इस बीमारी के लक्षण हैं।

फोटो व अन्य रिकार्ड देखकर लग रहा है कि यह जेनेटिक ऑटोसोमल डोमिनेंट रोग है। यह लाखों लोगों में किसी एक को ही होता है। इसके पीछे समान ब्लड ग्रुप या बेहद नजदीकी संबंधों में विवाह, इंजेक्शन से नशा लेने की लत माना जाता है। एक परिवार में इतने पीड़ित होने का मामला पहली बार सामने आया है। उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है।

- डॉ. एके आर्या, बाल रोग विशेषज्ञ, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज

ये होगी जांच

- विकृति फैलाने वाले जीन की खोज के लिए ब्लड टेस्ट, क्यों हो रही मौत?
- सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है और हाथ पैर की अंगुलियां ऐसी क्यों हो हुईं?
- खून के नजदीकी रिश्तों में संबंधों के कितने मामले?
- पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों फैल रही बीमारी, क्या है जेनेटिक पैटर्न?

चुनौती

- मेडिकल कॉलेज में इस रोग से संबंधित जांच की व्यवस्था नहीं।
- अभी केवल एम्स में जांच संभव, जहां तक पहुंचना गरीब परिवार के लिए मुश्किल भरा।
- अधिकतर निजी पैथालॉजी में भी जांच की सुविधा नहीं

कुछ ऐसी समस्या से पीड़ित है साहिल। जागरण

अवैध वेंडरों पर चलेगा क्यूआर कोड का 'कोड़ा' स्कैन करते ही होगी पहचान

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद : रेलवे अवैध वेंडर पर रोक लगाने और यात्रियों को खानपान की गुणवत्तापूर्ण सामग्री निर्धारित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक सिस्टम का सहारा लेने जा रहा है। आने वाले दिनों में वेंडर को कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से तैयार पहचान-पत्र दिया जाएगा। कोई भी यात्री अपने मोबाइल से वेंडर के पहचान-पत्र पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है। वेंडर के अधिकृत न होने या अधिक कीमत लेने पर यात्री एसएमएस के जरिए सर्वर को सूचना भेजेगा। बीच रास्ते में टीटीई या रेलवे पुलिस पहुंचकर अवैध वेंडर को पकड़ लेगी। इसके लिए प्रत्येक मंडल में सर्वर स्थापित किया जा रहा है।

रेलवे खानपान की गुणवत्ता में सुधार के लिए अवैध वेंडरों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। देखने में आता है कि अवैध वेंडरों के बेचे गए सामान की गुणवत्ता खराब होती है और यात्रियों से अधिक कीमत वसूल की जाती है। इस पर रोक लगाने के लिए रेलवे वेंडरों को कंप्यूटर से तैयार पहचान-पत्र जारी करेगा, जिस पर क्यूआर कोड अंकित होगा। वेंडर को अपना पहचान-पत्र गले में पहनना होगा। अनधिकृत वेंडर के पहचान-पत्र में क्यूआर कोड नहीं होगा। इससे उसकी पहचान आसानी से हो जाएगी।

देश में 2017 के मुकाबले घटी है एटीएम की संख्या

रितेश द्विवेदी, मुरादाबाद

देश में नोटबंदी के बाद सरकार ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके अपना रही है। कैश का प्रयोग कम करने के लिए सरकार अब धीरे-धीरे एटीएम की संख्या घटाने में लगी है, ताकि लोग ऑनलाइन भुगतान करने के लिए तैयार हो सकें। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक से आरटीआइ के जरिए पूछे गए सवालों के जवाब में मिली है।

देश में नवंबर 2016 में नोटबंदी का एलान किया गया था। एक हजार व पांच सौ के नोटों का चलन बंद कर दिया गया था। 2017 में भारत में कार्य कर रहे पब्लिक सेक्टर, निजी सेक्टर के साथ ही विदेशी बैंकों ने 2,21,553 एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) स्थापित किए थे। पब्लिक सेक्टर के 1,46,907, प्राइवेट बैंकों के 59,365 के साथ ही विदेशी बैंकों के 934 एटीएम काम कर रहे थे। 2017 में पांच विदेशी बैंक भारत में 934 एटीएम का संचालन कर रहे थे। 2019 में इनके एटीएम की संख्या घटकर 914 हो गई। हालांकि सरकार ने 2019 तक दो नए विदेशी बैंक को भारत में काम करने मौका जरूर प्रदान किया। इसके बावजूद एटीएम की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। वहीं देश में निजी बैंक भी एटीएम की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं। एटीएम की संख्या कम किए जाने से यही अनुमान है कि सरकार कैश का प्रयोग कम करने के लिए एटीएम की संख्या में ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं कर रही है।

2017 में एटीएम की संख्या

1,46,907 पब्लिक सेक्टर बैंक के एटीएम

59,365 निजी सेक्टर बैंक के एटीएम

934 विदेशी बैंक के एटीएम-

2019 में एटीएम की संख्या

1,36,098 पब्लिक सेक्टर बैंक के एटीएम

63,340 निजी सेक्टर बैंक के एटीएम

914 विदेशी बैंक के एटीएम

बैंक जरूरत के हिसाब से एटीएम स्थापित कर रहे हैं। मुरादाबाद में एसबीआइ के 88 एटीएम संचालित हैं। हमने एटीएम की संख्या नहीं घटाई है, लेकिन जहां जरूरत है वहीं पर स्थापित कर रहे हैं।

-दीपक सिंह चंदेल, एजीएम, एसबीआइ, मुरादाबाद मंडल

निराशाजनक हाल

वर्ष 2013 की आपदा के बाद से मंदिर समिति केदारनाथ में नहीं तलाश पाई अपना ठौर, मास्टर प्लान में समिति के कार्यालय और मुख्य पुजारी व रावल आवास के लिए भी जगह नहीं

अपने ही घर में 'बेघर' बदरी-केदार मंदिर समिति

बृजेश भट्ट, रुद्रप्रयाग

जिस श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पास केदारनाथ मंदिर की पूजा और संचालन समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा है, वही समिति वर्ष 2013 की आपदा के बाद से धाम में ठौर के लिए भटक रही है। अब तक जिस अस्थायी व्यवस्था में केदारनाथ मंदिर के पास समिति का कार्यालय, मुख्य पुजारी व रावल का आवास बना था, उसे भी केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत इसी यात्रा सीजन में हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर, मंदिर समिति के लिए प्रशासन ने जो भूमि सरस्वती नदी के पास सुझाई है, उसकी भी अभी एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) से अनुमति नहीं मिल पाई है। ऐसे में मंदिर समिति अपने घर में ही बेघर होकर रह गई है।

केदारनाथ मंदिर की देख-रेख व पूजाएं संपन्न कराने के साथ ही धाम की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ही ही करती है। धाम में मंदिर समिति की अपनी पेयजल लाइन व पावर हाउस भी है। यात्राकाल के दौरान मंदिर के रावल, मुख्य पुजारी, समिति के कार्याधिकारी व कर्मचारी धाम में ही निवास करते हैं। समिति के स्टाफ की कुल संख्या 80 है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में मंदिर समिति की सभी आवासीय कॉलोनी, रावल व मुख्य पुजारी आवास, भोग मंडी और अतिथि गृह सैलाब की भेंट चढ़ गए थे। इसके बाद मंदिर समिति के लिए बिड़ला ग्रुप ने मंदिर के पास ही कॉटेज का निर्माण किया। इनमें मंदिर समिति के अस्थायी कार्यालय समेत मुख्य पुजारी व रावल आवास और मंदिर समिति अधिकारियों के कार्यालय संचालित होते हैं। अन्य स्टाफ अपनी व्यवस्थाओं पर निजी भवनों में रह रहा है। मंदिर समिति के कार्याधिकारी एमपी जमलोकी ने बताया कि अब केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत अक्टूबर तक मंदिर के चारों ओर से सभी निर्माण हटाए जाने हैं। इनमें मंदिर समिति के अस्थायी भवन भी शामिल हैं, लेकिन, मुश्किल यह है कि मंदिर समिति के पास धाम में फिलहाल अपना कोई ठौर नहीं है। इस स्थिति अब समिति प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए है।

मंदिर समिति के अधिशासी अभियंता अनिल ध्यानी ने बताया कि समिति ने धाम में 8.60 करोड़ की अनुमानित लागत से आवासीय भवन, रावल और मुख्य पुजारी निवास, भोग मंडी और 80 कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी तैयार करने के लिए 14 हजार वर्ग फीट भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा है। प्रशासन की ओर से मंदिर समिति को सरस्वती नदी के पास भूमि उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, लेकिन, इसके लिए पहले एनजीटी की अनुमति ली जानी जरूरी है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। पंचकेदार गद्दीस्थल ऊखीमठ के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग बताते हैं कि पौराणिक परंपरा के अनुसार मंदिर परिसर के भीतर ही मुख्य पुजारी आवास और भोग मंडी होनी चाहिए। ताकि मंदिर से जुड़ी परंपराओं का बेहतर ढंग से निर्वहन हो सके। फिर केदारनाथ के पुजारी के लिए यात्रा अवधि में छह माह तक मंदिर परिसर से बाहर जाना प्रतिबंधित है। ऐसे में यदि सरस्वती नदी के किनारे मंदिर समिति की आवासीय कॉलोनी व मुख्य पुजारी आवास बनता है तो यह परंपरा के विपरीत होगा। कारण, प्रस्तावित भूमि मंदिर से एक किमी की फासले पर है और यहां से मंदिर पहुंचने के लिए मुख्य पुजारी को यात्रियों की भीड़ के बीच बाजार से आवागमन करना होगा। पुजारी के मंदिर आने और लौटने के दौरान कोई भी मनुष्य अथवा जीव उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। ऐसे में धाम की परंपराओं का निर्वाह कैसे हो पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है।

केदारनाथ धाम में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के इन्हीं अस्थायी निर्माणों को अक्टूबर तक मास्टर प्लान के तहत हटा दिया जाएगा। जागरण

मंदिर समिति को नए निर्माणों के लिए सरस्वती नदी के पास भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। लेकिन, इसके लिए समिति को एनजीटी की अनुमति लेनी होगी। पूर्व में भी जो पुनर्निर्माण कार्य हुए हैं, उनकी भी एनजीटी से अनुमति ली गई थी। उम्मीद है कि सभी औपचारिकताएं तय समय पर पूरी कर ली जाएंगी।

– मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

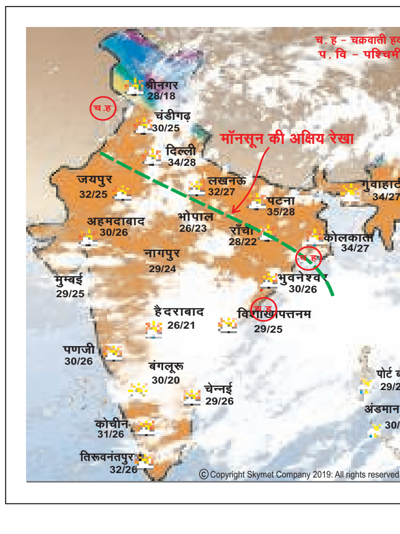

मौसम विशेष

पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी और एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा बाढ जैसी स्थिति भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा होगी। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में मध्यम वर्षा के साथ भूस्खलन की भी संभावना है।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	29/24/व	अहमदाबाद	33/25/व
कोलकाता	34/27/आंबा	बड़ौदा	31/25/व
चेन्नई	36/27/आंबा	नागपुर	29/23/व
हैदराबाद	28/21/व	इन्दौर	30/23/व
बंगलूरू	30/20/व	राँची	33/26/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/व	पटना	35/27/व
गुवाहाटी	32/27/व	जमशेदपुर	32/27/आंबा
गंगटोक	18/09/व	पुणे	23/22/व

पहला थीम आधारित एम्यूजमेंट पार्क खोला गया

1946 में आज ही दुनिया का पहला थीम आधारित एम्यूजमेंट पार्क अमेरिका के इंडियाना में खोला गया था। सेंटाक्लाज लैंड नामक इस पार्क को उद्योगपति लुईस जे कौच ने बनवाया था। इसे हॉलिडे वर्ल्ड एंड स्प्लैशिन सफारी के नाम से भी जाना जाता है।

उत्तरी ध्रुव को पार करने वाली पहली पनडुब्बी

1958 में आज ही परमाणु पनडुब्बी यूएसएस नॉटिलस उत्तरी ध्रुव को पार करने वाली पहली पनडुब्बी बनी। इसे 21 जनवरी, 1954 को लांच किया गया था। 3 मार्च, 1980 को इसकी सेवा समाप्त कर दी गई।

हिंदी सिनेमा के गीतकार-ए-आजम थे शकील बदायूंनी

शायर शकील बदायूंनी का जन्म 1916 में आज ही यूपी के बदायूं में हुआ था। असली नाम शकील अहमद था। 1942 में करियर की शुरुआत दिल्ली में आपूर्ति विभाग के अधिकारी के रूप में की। मुंबई में संगीतकार नौशाद का साथ मिला। 1947 में आई फिल्म दर्द में अफसाना लिख रही हूं गीत ने बुलंदियों पर पहुंचाया। अपने गीतों से मुगले-ए-आजम, बैजू बावरा, मेरे महबूब जैसी फिल्मों को यादगार बनाया। भारत सरकार ने गीतकार-ए-आजम सम्मान दिया। तीन बार फिल्मफेयर मिला। 20 अप्रैल, 1970 को मुंबई में निधन हुआ।

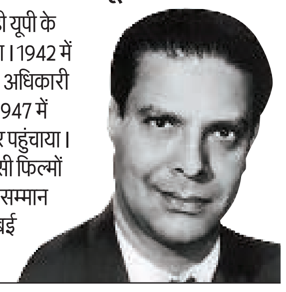

गंजेपन की चिंता से मुक्ति देगी ये क्रांतिकारी तकनीक

2,000 पौंड इसकी लागत (1,67,540 रुपये)

वह दिन दूर नहीं जब आपको बाल उड़ने की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रिटिश सरकार की ह्युमन टिश्यू अथॉरिटी ने बॉयोटेक्नोलॉजी कंपनी हेयर क्लोन को यह तकनीक विकसित करने की अनुमति दी है। इसके तहत हेयर फॉलिकल्स जमा करने का दुनिया का पहला बैंक विकसित करने की तैयारी है। यहां लोग अपने हेयर फॉलिकल्स (त्वचा का वह अंश जिसमें बाल उगते हैं और उनकी जड़ें होती है) को फ्रीज करवा सकेंगे और उपयुक्त समय यानी उम्र के उस पड़ाव पर जब बाल गिरने लगते हैं तो उसका इस्तेमाल करके फिर से बाल उगा सकेंगे।

बाल उगाने की प्रक्रिया

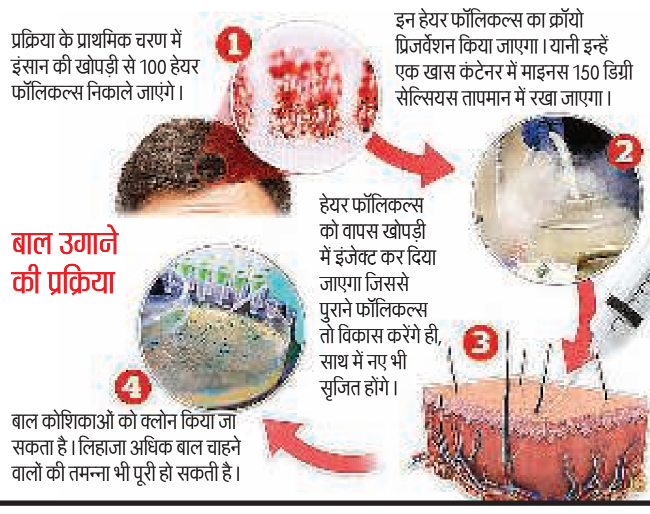

प्रक्रिया के प्राथमिक चरण में इंसान की खोपड़ी से 100 हेयर फॉलिकल्स निकाले जाएंगे।

इन हेयर फॉलिकल्स का क्रॉयो प्रिजर्वेशन किया जाएगा। यानी इन्हें एक खास कंटेनर में माइनस 150 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाएगा।

हेयर फॉलिकल्स को वापस खोपड़ी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा जिससे पुराने फॉलिकल्स तो विकास करेंगे ही, साथ में नए भी सृजित होंगे।

बाल कोशिकाओं को क्लोन किया जा सकता है। लिहाजा अधिक बाल चाहने वालों की तमन्ना भी पूरी हो सकती है।

कम उम्र में गंजे

अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन के मुताबिक, बालों का झड़ना आम बात है। लगभग 25 फीसद पुरुष 25 वर्ष की उम्र में गंजे होने लगते हैं।

महिलाएं भी पीड़ित

सौंदर्य प्रसाधन की दिग्गज कंपनी लॉरियल द्वारा 2,000 महिलाओं के एक अध्ययन के अनुसार, ब्रिटेन की अनुमानित 80 लाख महिलाएं बालों के गिरने से पीड़ित हैं।

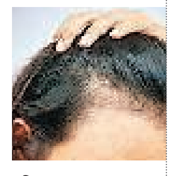

ब्रिटेन में दुनिया का पहला हेयर फॉलिकल्स स्टोरेज बैंक

बाल झड़ने के कारण

तनाव, गर्भनिरोधक गोलियां, लाल मांस खाने के विकार, नींद पूरी न होना, जंक फूड, पानी ज्यादा न पीना विटामिन बी 12 और जिंक युक्त शाकाहारी भोजन न खाना, प्रदूषण बाल झड़ने के कारक हैं।

बड़ा बाजार

हेयर क्लोनिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक अनूठा विकल्प पेश कर सकती है। इसका बाजार 2016 में चार अरब डालर से बढ़कर 2023 में 24 अरब डॉलर होने का अनुमान है।

भारत में स्थिति

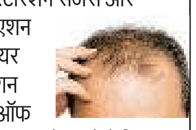

इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हेयर रेस्टोरेशन सर्जस और एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जस ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बाल झड़ने की समस्या से सबसे ज्यादा पुरुष पीड़ित हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस पर जारी 2011 जनसांख्यिकी अध्ययन के मुताबिक 21 से 31 वर्ष के बीच के लगभग 46 फीसद पुरुष गंजेपन से पीड़ित हैं।

इधर-उधर की

77 लाख रुपये में खरीदिए हरा-भरा द्वीप

एडिनबर्ग, एजेंसी : लोग शांत माहौल और प्रकृति के बीच रहने के लिए समुद्री द्वीपों का रुख करते हैं। लेकिन अगर उन्हें ऐसा ही कोई द्वीप मिल जाए जिसे खरीदकर अपना बना सकें तो कहने ही क्या। ऐसा मौका स्कॉटलैंड ने मुहैया कराया है। दक्षिण स्कॉटलैंड में ताजे पानी की झील में स्थित क्रेइंच नामक द्वीप 77 लाख रुपये से कम में बिक रहा है। इसे ट्री आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि यह पूरी तरह से हरे-भरे पेड़ों से ढका है। लगभग 364 मीटर लंबा और 303 मीटर चौड़ा यह द्वीप सात फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। हालांकि, इस स्कॉटिश द्वीप को खरीदने वाला व्यक्ति वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही करा सकता है। खरीदारों से अपेक्षा की गई है कि वे इसकी विशेष सुविधाओं का प्रबंधन और संरक्षण करेंगे, क्योंकि यह विशेष वैज्ञानिक अभिरुचि का स्थल है। 1999 में लेडी लीथ बुकानन के निधन के बाद कर्ज चुकाने के लिए बुकानन परिवार ने इस द्वीप को बेच दिया था। तब से यह द्वीप दो दशकों में पहली बार बिक रहा है।

शोध अनुसंधान

मोटापे को नियंत्रित करने में जॉगिंग मददगार

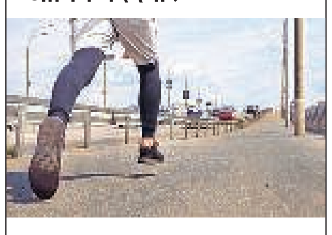

शोधकर्ताओं का कहना है कि कुछ लोगों में वंशानुगत मोटापे का जीन होता है। इसकी वजह से उन लोगों में मोटापे का खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों के लिए अब कुछ खास एक्सरसाइज की पहचान की गई है, जिन्हें मोटापा बढ़ाने वाले आनुवांशिक प्रभाव से मुकाबले में प्रभावी पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, मोटापे को नियंत्रित करने में नियमित जॉगिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज पाई गई है। इसके अलावा टहलने, कुछ खास नृत्य करने और योग से भी ऐसे लोग जिनमें मोटापे का खतरा बढ़ रहा है, अपने बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) को कम कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तैराकी, साइकिलिंग और स्ट्रेचिंग जैसी एक्सरसाइज मोटापे में आनुवांशिक प्रभाव की रोकथाम में प्रभावी नहीं पाई गईं। नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष 30 से 70 साल की उम्र के 18,424 लोगों पर किए अध्ययन के आधार पर निकाला है। -आइएएनएस

नासा ने सौर मंडल के पास खोजा पहला 'सुपर अर्थ'

अचरज भरा आकाश ▸ धरती से 31 प्रकाश वर्ष दूर मिला नया ग्रह

वैज्ञानिकों का अनुमान, रहने के लिए अनुकूल हो सकता है जीजे 357-डी

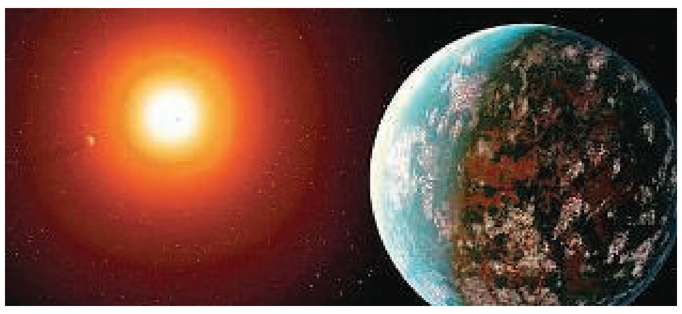

नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट के जरिये की गई खोज। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने ऐसे विशेषता वाला पहला ग्रह खोजा है, जो रहने योग्य हो सकता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर मिला है। हमारी धरती से यह करीब 31 प्रकाश वर्ष दूर है। इस 'सुपर-अर्थ' ग्रह को जीजे 357-डी नाम दिया गया है। इस ग्रह की खोज नासा के सैटेलाइट से की गई है।

एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपे अध्ययन के अनुसार, नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस) के जरिये इस साल के शुरू में जीजे 357-डी नामक ग्रह को को खोजा गया था। अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीईएसएस विज्ञान टीम की सदस्य लिजा कलटेनेगर ने कहा, 'यह उत्साहजनक है कि समीप में पहला सुपर अर्थ मिला है। इस पर जीवन की संभावना हो सकती है। यह आकार में हमारी धरती से बड़ा है। इस पर घना वातावरण देखने को मिला है। जीजे 357-डी पर अगर जीवन का कोई संकेत मिलता है तो यहां पर हर किसी की आने की चाहत होगी।'

तरल रूप में हो सकता है पानी : कलटेनेगर ने कहा कि जीजे 357-डी की सतह पर हमारी धरती की तरह पानी तरल रूप में हो सकता है। हम टेलीस्कोप की मदद से इस पर जीवन के संकेतों की पहचान कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी जल्द ही ऑनलाइन जारी की जाएगी।

इस सैटेलाइट ने खोजा ग्रह : ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस) एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। इसे नासा ने ग्रहों की खोज के लिए 18 अप्रैल, 2018 को लांच किया था। यह सैटेलाइट दो साल तक काम करता रहेगा।

तीन ग्रहों का लगाया था पता : एस्ट्रोनोमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नामक जर्नल में स्पेन के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ द कैनरी आइलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ ला लागुना के खगोलविदों ने कहा है कि उन्होंने जीजे 357 सिस्टम का पता लगाया है। इसमें कुल तीन ग्रह हैं, जिसमें से एक ग्रह (जीजे 357-डी) में रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें एक बौना ग्रह (जीजे 357) भी है, जो सूर्य के आकार का एक तिहाई हिस्सा लगता है।

पृथ्वी से 22 फीसद बड़ा है 357 बी : पिछली फरवरी में ही टीईएस सैटेलाइट ने पता लगाया था कि जीजे 357 हर 3.9 दिनों में थोड़ा मंद हो रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि इसके आस-पास कोई ग्रह चक्कर का लगा रहा है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के अनुसार, यह ग्रह जीजे 357 बी था, जो पृथ्वी से लगभग 22 फीसद बड़ा है।

कैट फैशन शो

दुनिया भर में विभिन्न तरह के फैशन शो तो होते ही रहते हैं लेकिन यह कैट फैशन शो का नजारा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित इस कैट फैशन शो में विभिन्न वेशभूषा में सजी-धजी बिल्लियों ने लोगों का मन मोह लिया। एलांक्विन होटल के इस वार्षिक फैशन शो में मोहक गुलाबी पगड़ी में सैकी नाम की इस बिल्ली ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब ध्यान खींचा। बिल्लियों ने अपने मालिक के साथ कैटवॉक किया। शो का उद्देश्य पशुओं के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था के लिए धन जुटाना था। रायटर

हिमखंडों से कनाडा के पूर्वी तट पर पर्यटन में उछाल

ग्रीनलैंड के पिघलते-टूटते ग्लेशियर एक तरफ दुनिया भर के लिए चिंता का सबब हैं तो दूसरी तरफ इससे कनाडा के पूर्वी समुद्री तट पर पर्यटन के नए द्वार खुल गए हैं। कनाडा के न्यूफाउंडलैंड प्रांत में बोनाविस्टा की खाड़ी में ग्रीनलैंड से आने वाले हिमखंड अपने आकार और स्वरूप के कारण यहां लोगों को खूब लुभा रहे हैं। सरकार के मुताबिक 2018 में पांच लाख से अधिक पर्यटकों ने न्यूफाउंडलैंड प्रांत का दौरा किया और अर्थव्यवस्था में लगभग 389 मिलियन यूरो (करीब 30 अरब रुपये) का योगदान दिया। एएफपी

फिल्म रिव्यू

★★

अटकती-भटकती कहानी!

खानदानी शफाखाना

निर्देशन : शिल्पी दास गुप्ता
प्रमुख कलाकार : सोनाक्षी सिन्हा, वरुण शर्मा, नादिरा बब्बर, अन्नू कपूर
अवधि : 2 घंटे 16मिनट

वर्जित विषय फिल्ममेकर की पसंद रहे हैं। यौन रोगों और समस्याओं को कहानी में पिरोया जा रहा है। हालांकि इस विषय की तह में पहुंचने में कई लेखक और निर्देशक नाकामयाब हो रहे हैं। 'खानदानी शफाखाना' सेक्स एजुकेशन के मुद्दे को उठाने का प्रयास करती है, पर भटक जाती है।

कहानी पंजाब के शहर होशियारपुर में रहने वाली बेबी बेदी (सोनाक्षी सिन्हा) की है। वह अपनी मां (नादिरा बब्बर) और निखट्टू भाई (वरुण शर्मा) के साथ रहती है। घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर है। सेक्स क्लीनिक चलाने वाले उसके मामा (कुलभूषण खरबंदा) की उनका मरीज ही हत्या कर देता है। मामा जी वसीयत में क्लीनिक को सशर्त बेबी को सौंप जाते हैं। शर्त के मुताबिक, उसे क्लीनिक को छह महीने सफलतापूर्वक चलाना होगा। पैसों की खातिर बेबी लोगों की कानाफूसी, घूरती आंखों और तानों को दरकिनार कर क्लीनिक चलाने का फैसला करती है। अपने मामाजी के लिखे नुस्खों से दवाइयां बनाने लग जाती है।

फिल्म के पहले हिस्से में कहानी को स्थापित करने में लेखक-निर्देशक ने काफी समय लिया है। यहां पर उनका फोकस यूनानी इलाज पर रहा है। फिल्म से प्रतीत होता है कि यौन रोगों का इलाज सिर्फ इसी पद्धति से ही संभव है। मेडिकल की दुनिया को समझने के लिए लेखक को मेहनत करने की जरूरत थी। वह अपने विषय से भटकने के साथ सेक्स एजुकेशन की आवश्यकता को भी समुचित तरीके से रेखांकित नहीं कर पाए। कहानी यौन समस्याओं पर बात न कर एक लड़की के सेक्स क्लीनिक चलाने पर टकराव को लेकर ज्यादा लगी।

फिल्म में गुप्त रोगों के इलाज को लेकर तंबू में बैठकर दवा बेचने वालों का चित्रण अच्छा है। वे चिल्ला-चिल्लाकर प्रचारित करते हैं कि 'मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसे खाने के बाद आप बनेंगे सनी देयोल। सैकड़ों को एक साथ मारेंगे। एक पुड़िया हलक के अंदर और टनक जाओगे जैसे जंगली बंदर।' ऐसे दावे करने वाले इन रोगों के कितने जानकार होते हैं, उसकी गहराई में लेखक नहीं जाते हैं। मामा जी की बर्खास्तगी के समय उनके साथ काम करने वाले बीस साल बाद भी फिल्म में पहले जैसे ही दिखाए गए हैं।

फिल्म में दिग्गज कलाकारों की जमात है, मगर लचर पटकथा के चलते वे उसे संबल नहीं दे पाते हैं। फिल्म का भार सोनाक्षी सिन्हा के कंधों पर है। बेबी के किरदार में वह जंची हैं। रैपर बादशाह की यह डेब्यू फिल्म है। उनका किरदार रॉक स्टार है, जो उनकी छवि के अनुरूप है। नादिरा बब्बर की प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं हुआ। वरुण शर्मा अपने चिर-परिचित अंदाज में हैं। अन्नू कपूर वकील की भूमिका पहले भी निभा चुके हैं, यहां अंग्रेजी बोलते हुए अपने किरदार को रोचक बना देते हैं। गीत-संगीत साधारण है। **-स्मिता श्रीवास्तव**

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

जयललिता का दमखम लुभाता रहा है कंगना को

कंगना रनोट की फिल्म 'जजमेंटल है क्या' रिलीज हो चुकी है। उसमें सनकी लड़की की भूमिका निभाने को लेकर कंगना की तारीफ भी हो रही है। उसके अलावा कंगना अश्विनी अय्यर की फिल्म 'पंगा' में काम कर रही हैं। उसमें वह कबड्डी खिलाड़ी की भूमिका में नजर आएंगी, वहीं 'धाकड़' में हैरतअंगेज एक्शन करती दिखेंगी। खबर है कि अक्टूबर से कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की तैयारियों में जुटेंगी। उसमें वह जयललिता की भूमिका में नजर आएंगी। कंगना अपने किरदारों को निभाने से पहले किरदार की तैयारी के लिए जानी जाती हैं। राजनीति में जयललिता के कद और दमखम से कंगना भी वाकिफ हैं। उनके मुताबिक, 'राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी और जयललिता की गिनती सशक्त राजनेताओं में होती है। जयललिता के बारे में मेरी भी धारणा सशक्त नेता की रही है। उन्होंने जिस भी क्षेत्र में हाथ आजमाया, उसमें शीर्ष पर खुद को स्थापित किया। भले ही वह राजनीति का क्षेत्र हो या अभिनय का। वह तीन बार तमिलनाडु की सीएम रहीं। अपनी इच्छाशक्ति के बल पर वह हमेशा मजबूत रहीं। उनका यह व्यक्तित्व मुझे लुभाता रहा है।'

योगा मैट की क्या जरूरत!

मां फराह खान के ऊपर लेटकर योग की मुद्रा में दिख रही हैं अन्या और मॉम का कहना है कि जब आपके पास मां हों तो योगा मैट की क्या जरूरत। जी हां, फराह खान ने इंस्टाग्राम पर अपने बेड रूम से अपने साथ बेटी अन्या का फोटो शेयर किया है, जिसमें अन्या और फराह के बीच बॉन्डिग साफ नजर आ रही है। लगता है, जब काम से थककर फराह घर पहुंचती हैं तो बच्चे उनके साथ जमकर मस्ती करते हैं। सोशल मीडिया पर फराह अपनी बेटियों दीवा, अन्या और बेटे जार के किस्से साझा करती हैं।

शेखर कपूर की 'मासूम' पोस्ट लोगों को नागवार गुजरी

'मासूम', 'मिस्टर इंडिया' और 'बैंडिट क्वीन' जैसी फिल्में बनाने वाले शेखर कपूर की सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट लोगों को नागवार गुजरी है। असल में शेखर ने अपनी पहली फिल्म 'मासूम' को लेकर एक पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, 'यह मेरे सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक थी। मैं इस फिल्म को लेकर आज भी भावुक हूं। इसमें नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और सुप्रिया पाठक ने बेहतरीन अदाकारी की और जुगल हंसराज व उर्मिला मातोंडकर ने बच्चों के किरदार में रंग जमा दिया था। गुलजार के गीतों ने फिल्म की खूबसूरती बढ़ा दी थी।' यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब शेखर ने लिखा, 'मुझे इंडस्ट्री के कई लोकप्रिय और अनुभवी लोगों ने 'मासूम' की स्क्रिप्ट बदलने को कहा था। लेकिन मैं नया और अप्रशिक्षित होते हुए भी फिल्मी दुनिया में बागी सरीखा था। अब फिल्म को लेकर ईश्वर का धन्यवाद करता हूं।' तो यूजर्स ने शेखर कपूर को निशाने पर ले लिया। लोगों ने लिखा कि इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि एरिक सहगल की किताब 'मैन वूमन चाइल्ड' से ली गई थी। यूजर्स ने शेखर की यह कहते हुए आलोचना की कि उन्होंने लेखक का जिक्र तक नहीं किया। एक ने लिखा, 'फिल्म 'मैन, वूमन ऐंड चाइल्ड' 1983 में प्रदर्शित हुई थी, जिसके निर्देशक डिक रिचर्ड्स थे और इसके लेखक एरिक सहगल और डेविड जीलैग गुडमैन थे।' एक और फैन ने लिखा, 'आपको कम से कम यह जानकारी देनी थी कि 'मासूम' किसी दूसरी फिल्म से प्रेरित थी। आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि 'मासूम' की कहानी ओरिजिनल थी?'

तकनीक

बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण पैदावार में आ जाती है गिरावट, क्यूपीसीआर से दो दिनों में रोग का लग सकता है पता, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ अध्ययन

अनार में संक्रमण का लग सकेगा पूर्वानुमान

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : एक तरफ अनार की मांग बढ़ रही है तो दूसरी ओर इसकी फसल में जीवाणु जनित झुलसा (बैक्टीरियल ब्लाइट) रोग एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस रोग से अनार की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ पैदावार में भी 80 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई है। भारतीय शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसी तकनीक की पहचान की है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट के पूर्वानमान में मददगार हो सकती है।

फसलों में किसी रोगजनक बैक्टीरिया के संक्रमण और उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए रोगजनकों के डीएनए का विश्लेषण किया जाता है। शोधकर्ताओं ने आणविक विश्लेषण में उपयोग होने वाली विभिन्न पीसीआर तकनीकों का मूल्यांकन किया है और एक ऐसी तकनीक की पहचान की है, जो बैक्टीरियल ब्लाइट के संक्रमण का जल्दी पता लगाने में अधिक प्रभावी पाई गई है। यह अध्ययन शोध पत्रिका साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुआ है।

कारगर है क्यूपीसीआर आधारित तकनीक : बैक्टीरियल ब्लाइट रोग सैंथोमोनस एक्सोनोपोडिस पीवी. प्यूनिके बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान के लिए क्यूपीसीआर आधारित तकनीक को अत्यधिक संवेदनशील पाया गया है। परंपरागत तकनीकों की मदद से कम से कम चार दिन बाद बैक्टीरियल ब्लाइट का पता चल पाता है। लेकिन, इस तकनीक के उपयोग से दो दिनों के भीतर ही संक्रमण की पहचान की जा सकती है।

अनार के पौधों का निरीक्षण करते हुए डॉ. मंजूनाथ (बाएं से दूसरे) और अन्य वैज्ञानिक।

स्वस्थ पौधों की हो सकती है पहचान : कर्नाटक के बागलकोट में स्थित बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डॉ. जी. मंजुनाथ ने बताया कि रोपाई से पहले नर्सरी में स्वस्थ पौधों की पहचान करने में यह तकनीक उपयोगी हो सकती है। ऐसा करके बाग लगाने के लिए रोगमुक्त पौधे किसानों में वितरित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, यह तकनीक रोग के पूर्वानुमान और उसके प्रकोप के बारे में चेतावनी जारी करने में भी मददगार हो सकती है। इस तकनीक के परीक्षण के लिए बागलकोट के आसपास के क्षेत्रों के सात अनार के बागों से नमूने एकत्रित किए गए हैं। इनमें से पांच बागों के अनार के पौधों में बैक्टीरियल ब्लाइट का संक्रमण पाया गया है, जबकि पहले उन पौधों में बीमारी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं देखे गए थे। इस तकनीक के उपयोग से रोगजनक बैक्टीरिया की मात्रा भी निर्धारित की जा सकती है।

नियंत्रित किया जा सकता है कीटनाशकों का उपयोग : शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तकनीक का उपयोग व्यावसायिक निदान केंद्रों और शोध संस्थानों में बैक्टीरियल ब्लाइट के संक्रमण की पहचान के लिए किया जा सकता है। बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रबंधन में महंगे कीटनाशकों और सिंथेटिक अणुओं का उपयोग शामिल है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।